पंचम माला, खंड 43, अंक 22, बुधवार, 21 अगस्त, 1974/30 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLIII, No. 22, Wednesday, August 21, 1974/Sravana 30, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 43 में अंक 21 से 30, तक हैं
Vol. XLIII Contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 288(22)
DATE 17.7.75

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/Contents

अंक 22, बुधवार, 21 अगस्त, 1974/30 श्रावण, 1896 (शक)

No. 22, Wednesday, August 21, 1974/Sravana 30, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नो के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		पृष्ठ/PAGES
426. केबल एंड कंडक्टर्स मेन्युफेक्चरिंग उद्योग	Cable and conductors Manufacturing Industry . .	1—4
428. नेपाल में राप्ती नदी के ऊपरी क्षेत्रों में जलकुण्डी परियोजना	Jalkhundi Project in Upper Breaches of River Rapti in Nepal . . .	5—7
429. थीन बांध परियोजना	Thein Dam Project . .	7—10
430. पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयला पट्टी को विद्युत की सप्लाई	Supply of Power to Coal Belt of West Bengal and Bihar . . .	10—13
432. आदिवासी क्षेत्रों के लिये उपयोजनाएं	Sub plans for Tribal Areas	14—17
प्रशनों के लिखित्त उत्तर	WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS	
427. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिये वित्तीय सहायता की मांग	Financial Assistance sought by Madhya Pradesh Government for Irrigation Purposes . . .	17
431. पोंग बांध के कारण विस्थापित हुए परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Families Displaced by Pong Dam .	18
433. भारत स्थित विदेशी इलैक्ट्रोनिक्स कम्पनियों का विस्तार	Expansion of Foreign Electronics Companies in India	18-19
434. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास के अध्ययन के लिये केन्द्र	Centre for Study of Science, Technology and Development	19-20

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्रा० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
435.	हिन्दी समाचारपत्रों को अखबारी कागज	Newsprint to Hindi Newspapers	20
436.	बम्बई के मेट्रो सिनेमा के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Workers of Metro Cinema, Bombay . . .	20
437.	वायु दूषण	Air Pollution . . .	20-21
438.	स्वतंत्रता सेनानियों की डायरेक्टरी	Directory of Freedom fighters . . .	21
439.	मध्य प्रदेश में बाढ़	Floods in Madhya Pradesh	21-22
440.	बंगाल पेपर मिल रानीगंज (पश्चिम-बंगाल) के प्रबन्धकों द्वारा जबरन छुट्टी	Lay off by Management of Bengal Paper Mill, Raniganj (West Bengal) . .	22
441.	ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी से मिलाने की योजना	Brahmputra Ganga Link .	22-23
442.	बड़े औद्योगिक गृहों की औद्योगिक गतिविधियों को सीमति करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to Restrict Industiral Activities of Large Industrial Houses	23
443.	महाराष्ट्र में कृष्णा बेसिन में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं	Medium Irrigation Projects in Krishna Basin in Maharashtra	23-24
444.	विदेशी फर्मों द्वारा अप्राधिकृत उत्पादन	Unauthorised Prodution by Foreign Firms . .	24-25
445.	बंदियों को यातनाएं देना अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार	Torture or Degrading Treatment to Detenues .	25
446.	विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता देना	Priority to Generation of Electricity . . .	25-26

अता० प्रा० संख्या

U. S. Q. No.

2984.	सरकारी क्षेत्र में एक पिक्चर ट्यूब ग्लास शैल फैक्टरी का स्थापित किया जाना	Setting up of a Picture Tube Glass Shell Factory in Public Sector . .	26
2985.	टैलिविस्टा कम्पनी द्वारा टेलीविजन सेटों का निर्माण	Production of T.V. Sets by Televista Company . .	27
2986.	रेडियो तथा टेलीविजन सेट बनाने में विदेशी कम्पनियों का हिस्सा	Share of foreign owned Companies in the production of Radios and T.V. Sets .	27-28

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2987.	इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम के लिये विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहन	Encouragement to foreign companies in expansion programme in field of Electronics . . .	28-29
2988.	राष्ट्रीय डिजाइन संबंधी समिति (कमटी ग्रान नैशनल इन्स्टीट्यूट ग्राफ डिजाइन) का प्रतिवेदन	Report of committee on National Institute of Design	29—31
2989.	कर्मचारियों को दिए जाने वाले समयोपरि भत्ते के भुगतान में कमी करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अधिक कर्मचारियों की भर्त्ती	Recruitment of more staff by DESU to reduce payment of overtime to Staff .	31-32
2990.	दिल्ली पुलिस म कथित भ्रष्टाचार	Alleged corruption in Delhi Police . . .	32
2991.	पूर्वी नदियों से गंगा के जल को बढ़ाने के बारे में अध्ययन	Study regarding augmentation of Ganga Waters from Eastern Rivers . .	32-33
2992.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में फालतू पुर्जों का संकट	Spare parts crisis in DESU	33
2993.	पांचवी योजना में कोयले के मुहानों के पास विद्युत संयंत्रों का स्थापित किया जाना	Setting up of Power plants near coal pits in Fifth Plan . . .	34-35
2994.	बदरपुर और भटिंडा में ताप विद्युत संयंत्र	Commissioning of Thermal Plants in Badarpur and Bhatinda . . .	35
2995.	जबलपुर के एक कालेज में सी० आई० ए० की गतिविधियां	Activities of CIA in a Jabalpur College . .	35
2996.	पोस्टल जीवन बीमा पालिसियां	P.L.I. Policies . .	36
2997.	डाक तथा तार विभाग में सामान की चोरी	Theft of Stores in P & T Department . . .	37-38
2998.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड में उत्पादन	Production in National Instruments Ltd. . . .	38
2999.	समाचारपत्रों की आर्थिक व्यवस्था संबंधी तथ्यों का पता लगाने वाली समिति को सौंपे गए कार्य का पूरा होना।	Completion of work assigned to Fact Finding Committee on News paper Economics . . .	39

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3000.	बैंकों द्वारा लघु उद्योगों से ब्याज की अधिक दर लिया जाना	High Rate of interest charged by Banks from Small Scale Industries . .	39-40
3001.	लघु औद्योगिक और सहायक एककों के लिये संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की सीमा	Limit on Value of Plant and Machinery for Small Scale Industrial and Ancillary Unit . . .	40
3002.	गुजरात सरकार द्वारा भावनगर की मैसस हय्यात एंड कम्पनी को काली सूची में शामिल किया जाना	Blacklisting of Messrs Hayat and Company of Bhavnagar by Government of Gujarat . . .	41
3003.	हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में कांडु गांव में बंधक दास प्रथा समाप्त किया जाना	Abortion of Bonded Slave Practice in Village Kando, Sirmour District, Himachal Pradesh . . .	41
3004	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए आवास बस्तियां	Housing Colonies for P & T Employees . .	42-44
3005	डाक और तार कर्मचारियों के लिए खेल-कूद	Sports and Athletics for P & T Employees . .	44
3006.	केरल में विमान डाक सेवा	Air postal service in Kerala . . .	44-45
3007.	केरल में टायर और ट्यूब का निर्माण करने वाली परियोजनाओं के लिए प्रार्थना	Request for Tyre and Tube Manufacturing Project in Kerala . . .	45
3008.	केरल में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in Kerala . .	45-46
3009.	केरल में ग्राम्य इन्जीनियरिंग सर्वेक्षण	Rural Engineering Survey in Kerala . . .	46-47
3010.	हिन्दुस्तान लीवर प्राडेक्ट्स के मूल्य	Prices of Hindustan Lever Products . . .	47-48
3011.	सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का राज्यों में बार बार तैनात किया जाना	Frequent deployment of BSF and CRP in States .	48-49
3012.	सेन्ट्रल मकनिकल इन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट, दुर्गापुर द्वारा विकसित प्रक्रियाएं	Processes developed by Central Mechnical Engineering Research Institute, Durgapur . .	49-50

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पष्ठ/PAGES
3013.	सामाचार एजेंसियों को सरकारी निगम में बदलना	Conversion of New Agencies into Public Corporation .	50
3014.	पांचवी योजना म आन्ध्र प्रदेश के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाय	Rural Electrification Schemes for Andhra Paradesh in Fifth Plan . . .	50
3015.	उड़ीसा में चूना उद्योग और हस्त-निामत कागज उद्योग के विकास के लिए सहायता	Assistance for development of Hand Made Paper and Lime Industry in Orissa .	51
3016.	महाराष्ट्र स्थित करखानों का विस्तार करन के लिए मैसर्ज फिलिप्स इंडिया को अनुमति	Permission to M/s Philps India for expanding the Units in Maharashtra .	51
3017.	चौथी योजना की बिजली पैदा करने की योजनाओं को पांचवी योजना में पूरा करना	Spilling over of Power Generation Schemes of Fourth Plan in Fifth Plan	52
3018.	आकाशवाणी को स्वायत्त निगम म बदलना	Conversion of A.I.R. into an Autonomous Corporation	52
3019.	कोसी नदी पर बहु-प्रयोजनीय बांध का निर्माण	Construction of Multi purpose Dam over River Kosi	52-53
3020.	रामेश्वर नगर पेपर मिल में उत्पादन	Production in Rameshwar Nagar Paper Mill . .	53
3 21.	पश्चिम बंगाल में कोयले पर आधारित पेट्रोलियम स्थापित करने संबंधी योजना	Plan to instal a coal based petroleum Plant in West Bengal . . .	53
3022.	नागार्जुन सागर परियोजना की नहर व्यवस्था	Canal system of Nagarjunasagar Projcts . . .	53-54
3023.	राज्यों म विद्युत निगम स्थापित करन का आल इंडिया पावर इंजीनियस फडरशन द्वारा विरोध	Opposition by All India Power Engineers Federation to setting up of Power Corporations in States . . .	54
3024.	उद्योगों की इधन लागत म कमी लान क लिए राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के सुझाव	Suggestion from NPC to cut Fuel costs to Industries . . .	54-55

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3025.	बिजलीघरों में ईंधन तेल का उपयोग	Use of Fuel Oil in Power Plants . . .	55
3026.	भू-केन्द्रों से राकेटों का मार्गदर्शन करने तथा उन पर नियंत्रण करने हेतु उपकरण	Equipment for-Guiding and Controlling Rockets from Ground Stations . .	55
3027.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना से प्रयोग किये गए ईंधन का तारापुर स्थित पावर रिएक्टर फ्यूल रि-प्रोसेसिंग प्लांट को सुरक्षित भेजा जाना	Safe Transit of Spent Fuel from Rajasthan Atomic Power Project in Power Reactor Fuel Re-processing plant at Tarapur .	55-56
3028.	वर्ष 1974–75 के दौरान बिहार में पनबिजली कारखाना स्थापित करने संबंधी बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	Proposal from Bihar Re: setting up of a Hydel Power Plant in Bihar in 1974-75 .	56
3029.	उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति	Clearance of Irrigation projects from Orissa . .	56-57
3030.	बड़े शहरों में नकली माल	Spurious goods in big cities	57
3031.	पोचमपद, निजाम सागर और नागार्जुन सागर परियोजनाओं का कार्य	Working of Pochampad, Nizam Sagar and Nagarjunasagar Projects . .	57-58
3032.	रिजनल मैनेजर मैन्टेनेन्स पूर्वी रेलवे कलकत्ता के अधीनकार्य कर रहे कर्मचारियों का वेतन निश्चित करना	Pay fixation of staff under Regional Manager Maintenance, Eastern Region, Calcutta . . .	58-59
3033.	बिहार सर्किल में विभिन्न संवर्गों के पदों की संख्या	Posts in various cadres in Bihar Circle . .	59
3034.	भारत स्थिति अमरीकी दूतावास का एक गैर सरकारी जासूसी एजेंसी के साथ समझौता	Agreement of U.S. Embassy in India with a Private detective agency . .	59
3035.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सैलुलर जेल का जीर्णोद्धार किया जाना	Renovation of Cellular Jail in Andaman and Nicobar Islands . . .	60
3036.	बाढ़ नियंत्रण उपाय संबंधी योजना	Scheme for flood control	60-61
3037.	लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of raw material to small scale industries .	61

अता० प्रा० संख्या

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3038.	राज्य योजनाओं में केन्द्रीय सहायता का अंश	Share of central Assistance in State Plans . .	61-62
3039.	स्वतंत्रता सेनानी पेंशन	Freedom Fighters Pension .	63
3040.	पांचवी योजना में सिचाई के लिए प्रावधान	Provision for Irrigation in Fifth plan . . .	64
3041.	तेलचर (उड़ीसा) में हैवी वाटर प्लांट	Heavy Water Plant at Talcher (Orissa) . .	64
3042.	भागलपुर (बिहार) में एकचारी ग्राम में हरिजन परिवारों पर हमला	Attack on Harijan families at Ekchari Village, Bhagalpur (Bihar) . . .	64
3043.	उड़ीसा में आदनन्दपुर बांध परियोजना स्थल के प्रश्न पर विवाद	Controversy over site of Anandpur Barrage Project in Orissa . . .	64-65
3045.	बिहार में नार्थ कोएल सिंचाई परियोजना के संबंध में कार्य	North Koel Irrigation project in Bihar . . .	65
3046.	नये सोन बराज नहर	New Sone Barrage Canal .	65-66
3047.	त्रिपुरा में डुम्बर हाइडल प्रोजेक्ट में बांध के कारण प्रभावित आदिवासी परिवार	Tribal families affected by Dam in Unmber Hydel Project in Tripura . . .	66
3048.	पम्पिग सैटों को बिजली देना	Energisation of pumping sets	66-67
3049.	बसों और ट्रकों के टायरों का उत्पादन	Production of bus and truck tyres . . .	67
3050.	मध्य प्रदेश में चमड़े के वस्त्र तैयार करने का कारखाना स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिया जाना	Licence for setting up leather garments factory in M.P. .	67-68
3051.	पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा "शिवाजी संघ" की स्थापना	Formation of Shivaji Sangh by RSS in West Bengal .	68
3052.	टेलीफोन एक्सचेंजों में स्वचालित मशीनें	Automatic machines in telepohone exchanges .	68
3053.	हिन्दुस्तान लीवर लाइसेंसिंग प्रक्रिया का उल्लंघन	Violation of licensing procedure by Hindustan Lever .	69

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3054.	राज्यों में सिंचाई दरों का पुनरीक्षण	Revision of Water Rates in States . . .	69–70
3056.	अंतर्राज्यीय विवादों के कारण सिंचाई परियोजना का क्रियान्वित न होना	Non-Implementation of Irrigation projects due to inter State dispute . . .	70
3057.	यूरेनियम की तस्करी के संबंध में बिहार के एक व्यापारी के निवास स्थान पर छापा	Raid on residence of a businessman of Bihar in connection with Uranium smuggling . . .	70-71
3058.	सीमेंट निगम के कार्यकरण की जांच	Enquiry into working of Cement Corporation .	71
3059.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इंडिया के कायकरण की जांच	Enquiry into working of Hindustan Paper Corporation of India . . .	71-72
3060.	आगामी 10 वर्षों म तापीय बिजली उत्पादन को प्राथमिकता	Priority to Thermal Power Generation in next 10 years	72
3061.	तापीय बिजली घरों म ईंधन तल क स्थान पर कोयले का उपयोग करन का प्रस्ताव	Proposal to switch over fuel oil to coal in Thermal Stations . . .	72
3062.	अमृतसर से टलीविजन रुपक फिल्मों निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to produce T.V. feature films from Amritsar . . .	73
3063.	प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों का दौरा	Visits of Prime Minister to States and Union Territories . . .	73-74
3064.	तमिलनाडु में डाकघरों म बचत बैंक सुविधाएं	Savings Bank facilities in Post Offices in Tamil Nadu . . .	74-75
3065.	रबड़ उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material in Rubber Industries .	75-76
3066.	राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति जारी रखना	Continuance of National Emergency . . .	76
3067.	जेलो संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of working Group on prisons . . .	76-77
3068.	दुर्ग जिले क नगरों और बस्तियों म टेलीफोन की व्यवस्था	Telephone in Cities and Bustees in Drug District .	77

अता० प्रा० संख्या

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3069.	स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी देना	Grant of Pension to Freedom Fighters . . .	77-78
3070.	भारत स्थित चर्चों द्वारा विदेशी धन का उपयोग	Use of foreign money by Churches in India . .	78
3071.	अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची तैयार करना	Listing of persons as V.I.Ps.	78-79
3072.	आदिवासी असंतोष	Tribal unrest . .	79
3073.	बिहार के गया और नावाडा जिलों के लिए ऊपरी सिकरी और मोहाना जलाशय योजनायें	Upper Sikri Reservoir and Mohana Reservoir Schemes for Gaya and Nawadah Districts of Bihar .	79-80
3074.	विक्रम साराभाई स्पेस सैंटर एम्पलाईज यूनिट की अनिर्णीत मांगे	Unsettled demands of Vikram Sarabhai space centre Employees Union .	80
3075.	चावल मिलों के उप-उत्पादों का उचित उपयोग	Proper utilisation of by products of rice mills .	80-81
3076.	भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम द्वारा विकसित संगणक	Computer developed by Electronics Corporation of India . . .	81
3077.	केन्द्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा कच्ची दीवारों की जल से निष्प्रभावों बनाने के तरीके की खोज	Method of water proofing of mud walls worked out by Central Building Research Institute, Roorkee	81-82
3078.	सीमेंट और टायरों का उत्पादन	Production of Cement and Tyre	82
3079.	बम्बई और कलकत्ता के बीच विभिन्न रास्तों से को-एक्सियल केबल प्रद्धति	Co-axial cable system via different routes between Bombay and Calcutta .	82-83
3080.	राजस्थान की सिंचाई परियोजना	Irrigation projects in Rajasthan	83
3081.	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में डाके और लूट की घटनाएं	Cases of robbery and loot in Chittaranjan Park, New Delhi . . .	83-84
3082.	पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट की कमी	Shortage of cement in West Bengal and Eastern Region	84

अता० प्रा० संख्या

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3083.	जून 1974 तक राजस्थान के गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in Rajasthan upto June, 1974	84—86
3085.	भूकम्प के धक्कों के परिणामस्वरूप हुई क्षति	Damage caused by earthquake shocks . .	86
3086.	महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रोजगार की गारंटी देने संबंधी योजना	Employment Guarantee Scheme in Maharashtra and other States . .	86-87
3087.	आकाशवाणी के सुरक्षा स्टाफ में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	Number of Ex-servicemen appointed in Security Staff of A.I.R. . .	87
3088.	प्रशिक्षित टेलिवीजन कर्मचारियों का अभाव	Shortage of trained T.V. Staff . . .	87-88
3089.	विदेशों में रह रहे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति	Grant of pension to Indian Freedom Fighters Abroad	88
3090.	उड़ीसा के सीमेंट उद्योग में कोयले की कमी	Shortage of Coal on Cement Industry in Orissa .	88
3091.	उड़ीसा से लाइसेंसों के लिए प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending Applications from Orissa for Licences . .	88-89
3092.	बुदाबालंगा नदी के ऊपरी भागों पर कुलियाना जलाशय के बारे में सर्वेक्षण	Survey Regarding Kullana Reservoir of Upper Reaches of Budabalanga .	89
3093.	पांचवीं योजना में शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार संबंधी लक्ष्य	Employment Target for Educated and Uneducated in Fifth plan . . .	89-90
3094.	निर्यात हेतु टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए लाईसेंस जारी करना	Issue of Licences for manufacturers of T.V. sets for Export . .	90-91
3095.	उड़ीसा में विद्युत प्रजनन संयंत्र की स्थापना	Setting up of Power Generating Plant in Orissa .	91
3096.	त्रिनगर दिल्ली में प्लास्टिक के कारखाने	Plastic Factories in Trinagar, Delhi . . .	91—93

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3097.	अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in West Bengal in Comparison to other States . .	93-94
3098.	देहरा मुख्य डाक-घर	Dehra Head Post Office .	94
3099.	पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिये गृह	Home for Freedom Fighters in West Bengal . .	94-95
3100.	केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़े पश्चिम बंगाल के टेलीविजन निर्माता एककों के आवेदन-पत्र	Application of T.V. manufacturing Units of West Bengal pending with Central Government . .	95
3101.	दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाना	Declaration of Darjeeling (W.B.) as Industirally Backward . . .	95
3102.	वर्ष 1974–75 के लिए राज्य की योजनायें	State plans for 1974-75	96
3103.	स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन	Freedom Fighters Pension	96-97
3104.	गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in Gujarat	97
3105.	आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिल नाडु में 'पम्पड स्टोरेज' योजनाओं की स्थापना	Setting up of Pumped storage schemes in A.P. Gujarat and Tamil Nadu .	97-98
3106.	केन्द्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते	Salaries and Allowances of Central Ministers . .	98.99
3107.	वर्ष 1974 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचार	Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes during 1974 . .	99
3108.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियां	Scholarships to S.C. and S.T. Students . . .	99-100
3109.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उप-योजना	Sub Plan for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	100
3110.	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विद्युत परियोजनायें	Power Projects sponsored by Central Government .	100-101

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3111.	बिजली उत्पादन और पारेषण योजनाओं का पुनर्विलोकन	Review of Power Generation and Transmission Schemes . . .	102
3112.	बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति पर अंतमंत्रालयीय समिति की सिफारिशें	Recommendations of Inter Ministerial Group on Bhagwati Committee on Unemployment . .	103
3113.	पंजाब में बिजली का उत्पादन	Power Generation in Punjab	103
3114.	अवरसचिव और इससे ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी के नाम नामांकित करने के लिए मंत्रालयों को निदेश देना	Directive to Ministries to sponsor names of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Class I Officers for appointment to Posts of Under Secretaries and above .	104
3115.	"हरिजनों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने की सलाह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned 'Harijans urged to join Islam'	104
3116.	राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को देय बकाया राशि	Arrears due to Bharat Heavy Electricals Limited from State Electricity Boards	105-106
3117.	तापीय बिजली घरों में बिजली के उत्पादन के लिए घटिया प्रकार के कोयले का उपयोग	Use of poor quality coal for generation of Power at Thermal Power Station .	106-107
3118.	यमुना नदी पर बांध का निर्माण करने के प्रश्न पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद	Dispute between Haryana and U.P. on construction of a bund across Jamuna	107
3119.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन कार्यालयों का स्थानान्तरण	Shifting of offices of Hindustan paper Corporation .	107-108
3120.	बर्दवान के भूतपूर्व उप-महानिरीक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Inquiry against Ex-DIG of Burdwan . .	108
3121.	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अंतर्गत बर्दवान जिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	Number of persons arrested under MISA in Burdwan District . . .	108

अतां० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पष्ठ/PAGES
3122.	गुजरात के रानमालपुरा गांव के सवर्ण हिन्दुओं पर सामूहिक दंडात्मक जुर्माना किए जाने का प्रस्ताव	Move to impose collective Punitive fines on the caste Hindus of Ranmalpura Village, Gujarat . . .	108-109
3123.	आंध्र प्रदेश में कुड्डापट्टी जिल के रमन्नापल्ली गांव में हरिजनों को पुनर्वास के लिए प्रस्ताव	Proposals for rehabilitation of Harijans of Ramanapali Village in Cuddapati District, Andhra Pradesh	109-110
3124.	इडिक्की विद्युत परियोजना के लिए धन देना	Release of Funds for Idikki Power Project. .	110
3125.	मध्य प्रदेश में बस्तर में आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण	Electrification of tribal areas of Bastar in Madhya Pradesh . . .	111
3126.	तिलकनगर, नई दिल्ली के केशीपुर गाँव में हरिजनों पर हमले	Attack on harijans in village Keshopur, Tilak Nagar, New Delhi . .	111-112
3127.	भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत रतलाम में व्यापारियों की गिरफ्तारियां	Arrests of Merchants in Ratlam under DIR . .	112
3128.	रतलाम (मध्य प्रदेश) में जमा किए हुए कागज का पकड़ा जाना	Seizure of hoarded paper in Ratlam (M.P.) . .	112-113
3129.	दिल्ली में विद्युत संयंत्रों को अधिकार में लेना	Take over of Power Plants in Delhi	113
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	113
	भार्गव आयोग का प्रतिवेदन सभापटल पर रखने में सरकार की कथित असफलता	Alleged Failure of Government to lay on the Table Bhargava Commission Report	113—117
	सभापटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	117-118
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importace	119
	रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की कथित विफलता	Reported failure of schemes under the crash programme for employment . .	119
	श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey .	119
	श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . .	119—123

अंता० प्रा० संख्या

U. S. Q. No. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
याचिका समिति	Committee on petitions .	124
19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।	Nineteenth Report—presented	124
बिहार में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में दिनांक 14 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to SQ No. 332 dated the 14th March, 1973 re. Setting up of Industries in Bihar in Public Sector . .	124-125
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल), 1974-75 विवरण प्रस्तुत किया गया ।	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1974-75—Statement—presented	126—132
रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. the Financial positions of the Railways-	132
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	132—142
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377	142
नागपुर मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों का सरकार को प्रस्तावित हस्तोतरण	Proposed Transfer of Shares of the Nagpur Manganese Ore (India) Ltd. to the Government . .	142
1974 के अध्यादेश संख्या 7 और 9 के निस्नुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक	Statutory Resolutions Re. Disapproval of Ordinances Nos. 7 and 9 of 1974 and companies (Temporary Restrictions on Dividends) Bill	143
विचार किए जाने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	143
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik .	143
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	143-144
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	144-145
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda .	145
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra .	146
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavlankar	146-147
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	147-148
श्री राम रतन शर्मा	Shri Ram Ratan Sharma	148-149

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	149
	खंड 2 से 16 और 1	Clauses 2 to 16 and 1	150
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	150
	श्री यशवंतराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan	150
	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—	Statutory Resolution Re. Disapproval of the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 1974 and Essential Commodities (Amendment) Bill— .	151
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider .	151
	श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	151—152
	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya	152
	आधे घंटे की चर्चा	Half an hour Discussion .	152
	गलत सूचना देने वाले स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters who supplied False Information .	152
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	152—155
	श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin . .	156—158
	श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	158
	सदस्य द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Member .	154
	सदस्य से धन्यवाद पत्र	Letter of Thanks from Member	155

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 21 अगस्त, 1974/30 श्रावण, 1896 (शक)
Wednesday, August 21, 1974/Sravana 30, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केबल एण्ड कन्डक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग उद्योग

*426. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल एंड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) केबल एण्ड कंडक्टर निर्माण करने वाले उद्योग कई कठिनाईयों का सामना करता रहा है, यद्यपि ये कठिनाईयां प्रत्यक्ष रुप से कवल ऋण सम्बन्धी ही नहीं है। इस उद्योग को जिन दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एल्युमीनियम की कमी तथा हाल ही में कच्चे माल की कीमतों से हुई अत्यधिक वद्धि से सम्बन्धित हैं।

सरकार ने उन एककों को एल्युमीनियम का काम करने की अनुमति दे दी है जो देश में ही इन वस्तुओं के बनाने हेतु इसी धातु का आयात करना चाहते हैं। देश में ही एल्यमीनियम का उत्पादन करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इस उद्योग को कुछ एककों के बारे में यद्यपि बताया गया है कि उन्हें ऋण सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनकी समस्या मुख्य रूप से ऋण की कठिनाई के कारण नहीं है क्योंकि अब अर्थ व्यवस्था के मूलभूत क्षेत्रों में उत्पादन में ऋण संबंधी कठिनाइंयों के कारण बाधा पड़ती है तो देश की बैंकिंग प्रणाली ने इन फर्मों की उत्पादन संबंधी वास्तविक कठिनाईयों को हल करने में अपनी तत्परता दिखाई है।

Shri Ishaque Sambhali : Mr. Speaker, Sir, the reply given by the Hon. Minister is quite contradictory. He has said that they don't have any credit difficulty. It appears that he is keeping in view only the big industries but he is not thinking of small ones. He has said that as the raw material, aluminium is in short supply, they have been granted permission for import. It is a matter which requires consideration. Therefore, I want to know :

(i) Is it a fact that the Hindal Co. Industry of Birlas, which is the topmost aluminium manufacturing unit, has announced that they would not be supplying any aluminium to cable factories. Cable factories are, therefore, compelled to import aluminium. If it is so, what action has been taken by the Government in this regard ?

(ii) what is the policy of the Government with regard to credit facility ? Has the government issued special instructions to Banks for grant of credit facility to small factories ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : केवल हिण्डालकों ही नहीं, अपितु अन्य सभी एल्युमीनियम कारखाने अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। उनका उत्पादन प्रति वर्ष घटता जा रहा है। यह समस्या मुख्यतः बिजली की कमी के कारण उन्पन्न हुई है। बिजली न मिल पाने के कारण कई कारखाने अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाए हैं।

वर्ष 1971–72 में क्षमता का प्रयोग 108 प्रतिशत तक हुआ किन्तु 1972–73 में 97 प्रतिशत, 1973–74 में 70 प्रतिशत और 1974–75 में घट कर 52 प्रतिशत तक रह गया है। अतः हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। वस्तुतः यह ऐसा मामला है जिसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। क्योंकि एल्यूनीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, इसका उपयोग केवल केबल इडस्ट्री द्वारा ही नहीं अपितु अन्य सभी आवश्यक उद्योगों द्वारा भी किया जाता है। सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक हमें कुछ सीमा तक आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंडी में एल्यूमीनियम की कीमत ऊंची होने के बावजूद भी हमने कुछ सीमा तक आयात करने की अनुमति दे दी है।

जहां तक छोटे एककों को ऋण देने का संबंध है, बैंक छोटे पैमाने के एककों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हैं। किन्तु इसका संबंध उत्पादन के साथ होना चाहिए। इस आधार पर बैंक, चाहे वह छोटा उद्योग हो अथवा बड़ा, ऋण सुविधा प्रदान करता है।

Shri Ishaque Sambhali : Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered. I wanted to know whether it is a fact that the Hindal Co. Industry of Birlas has announced that they will not give any aluminium to cable factories. Because of this announcement, we are compelled to import aluminium from abroad. Our money is being drained out to foreign countries. Therefore, I want to know whether they have made any such announcement.

I also want to know what is the basis for granting loan to small factories?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक ऋण देने का संबंध है, मैंने पहले भी बताया कि ऋणों पर प्रतिबंध लगाया गया है, पर इसके साथ ही बैंकों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वह उत्पादन पर रोक न लगाएं, चाहे वह उत्पादन लघु पैमाने पर हो अथवा मध्यम या बड़े पैमाने का। अतः जब भी ऋण के अभाव में उत्पादन पर रोक लगाई जाती है, तो वे बैंकों के ऋण के लिए कह सकते हैं और बैंक उत्पादन के आधार पर ऋण देता है। जहां तक हिंडाल को द्वारा एल्यूमीनियम की सप्लाई न करने का मामला है इस संबंध में खान मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न एककों के लिए आवंटन खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, चूंकि माननीय सदस्य ने विशिष्ट आरोप लगाया है कि उन्होंने ऐसी घोषणा की है, तो मैं निश्चिय ही जांच करूंगा।

Shri Ishque Sambhali : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister has evaded my question. He has shifted his responsibility to the other Ministry. Cable factories come under his Ministry. Therefore, I wanted to know whether any such complaint has been received that the Hindal Co. Industry of Birlas has stopped supplying aluminium to cable factories. If so, it is obvious that his Ministry is suffering. Has he discussed the matter with other Ministry ?

Mr. Speaker : This question relates to other Ministry.

Shri Ishaque Sambhali : Is it a fact that Hindal Co. Industry of Birlas has stopped supplying aluminium to cable factories and we are being compelled to import aluminium from abroad. May I know whether the Government will reconsider the grant of facilities like supply of electricity at Cheap rate etc. enjoyed by the industry.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, कि हिंडालको अग्रिम धन राशि लेकर एल्यमीनियम की सप्लाई कर रहा है। खान मंत्रालय ने हिंडालको की पिछली शर्तों के अनुसार ऋण पत्र के आधार पर सप्लाई पुनः चाल करने की सलाह दी है।

Shri Md. Jamilurrahman : Will the Hon. Minister be pleased to state the number of small scale cable units and has the Ministry issued any direction with regard to maximum credit facility for the small scale industry. If so, what is the maximum quantum of credit and when will it be made available. How much credit has been given to this particular industry during this current year.

श्री सुब्रह्मण्यम् : छोटे तथा बड़े पैमाने के एककों को दिए गए ऋण के बारे में आंकड़े बताने हेतु मुझे पूर्व सूचना दी जाए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : रूपनारायणपुर में एक केबर फैक्टरी है । एक सरकारी उपक्रम है इसका नाम हिन्दुस्तान केबल्स है । इसकी उत्पादन क्षमता क्या है और इसमें कितना उत्पादन किया जा रहा है ?

मेरा अगला प्रश्न है . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : केबल कारखानों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक पृथक प्रश्न पूछ रहे हैं । इसके लिए पूर्व सूचना दीजिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं । सारे भारत के केवल कारखानों की कुल क्षमता क्या है । किस वस्तु की कमी के कारण हमें बाहर से एल्यूमोनियम आयात करना पड़ रहा है । जे० एण्ड के० उद्योग समूह द्वारा एक एल्यूमीनियम का कारखाना बन्द कर दिया गया है ।

कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस मामले की जांच कराई जाएगी ताकि जे० एण्ड के० एल्यूमीनियम कारखानें में उत्पादन फिर से शुरु हो सके इसके लिए या तो इस कारखाने को अपने अधिकार में ले लिया जाएगा अथवा कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी । यही मेरे दो प्रश्न हैं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं पहले भी बता चुका हूं कि एल्यूमीनियम उद्योग खान मंत्रालय के अंतर्गत है । अतः यह प्रश्न संबद्ध मंत्रालय को भेजा जाए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कुल मांग कितनी है और वह कितना उत्पादन कर रह हैं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस संबंध में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य इस प्रश्न के लिए पृथक सूचना दें ।

Shri Achal Singh : Bill the hon. Minister be pleased to state how many conductor manufacturing industries have been closed for want of aluminium.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : अभी मैंने उत्तर दिया एल्यूमीनियम की भारी कमी है । कुछ एकक निश्चय ही इसकी कमी के कारण बन्द हो गए हैं । हम देश में मांग के अनुसार उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे है । इस बीच कुछ आयात की व्यवस्था भी की गई है ।

नेपाल में राप्ती नदी के ऊपरी क्षेत्रों में जलकुण्डी परियोजना

*428. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में राप्ती नदी के ऊपरी क्षेत्रों में जलकुण्डी परियोजना संबंधी प्रस्ताव को भारतीय विशेषज्ञों के एक दल ने जांच पड़ताल की थी ;

(ख) क्या उन्होंने कोई सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ;

(ग) क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) परियोजना के क्रियानवयन के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

लजकुंडी में राप्ती पर एक बांध के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1955–56 में नेपाल सरकार के सहयोग से सर्वेक्षण किये थे । बांध के स्थल का निरीक्षण केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के एक दल ने 1956 में किया था । इन अन्वेषणों के आधार पर राज्य सरकार ने सिंचाई, विद्युत और बाढ़-नियंत्रण के लिए बहु-उद्देश्यीय परियोजना के निमित्ति एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की थी ।

बहरहाल, बांध के लिए अन्य संभव विकल्प स्थलों का अन्वेषण करना आवश्यक समझा गया है जिससे सर्वोत्तम स्थल का चरन किया जा सके । इस संबंध में नेपाल सरकार से अनुरोध किया गया है ।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उक्त परियोजना को तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी स्वीकार किया गया है यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कार्य क्यों नहीं किया गया जबकि रिपोर्ट प्रस्तुत किए हुए भी 20 वर्ष गुजर गए हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस परियोजना की आर्थिक उपयोगिता अभी पता नहीं लगी किन्तु मुख्य बात यह थी कि इस विशेष स्थल का चयन करने से नेपाल के काफी गांव लगभग 60 के करीब जल-मग्न हो जाते । नेपाल के राजा जब यहां आए थे, तो उनसे इस मामले पर चर्चा की गई थी । नेपाल के लिए यह स्थल हानिकारक थी । बाद में अन्य स्थलों के चयन की संभावना से इस परियोजना को फिर हाथ में लिया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं सुझाव दिया कि इस संबंध में नेपाल सरकार से बातचीत की जाए ।

जहां तक अन्य स्थल का सम्बन्ध है एक और स्थल का सुझाव दिया गया था पर नेपाल सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्वीकृति के लिए नेपाल सरकार पर बहुत कुछ निभर करता है।

श्री बी० आर० शुक्ल : पहली रिपोर्ट पर ही विचार करते करते 20 वर्ष गुजर गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जबसे वैकल्पिक स्थल के चयन के प्रश्न पर विचार शुरु हुआ है क्या इससे कोई लाभप्रद परिणाम निकलने की संभावना है अथवा इस पर भी आधी शताब्दी और लग जाएगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह ऐसा बांध है जो केवल भारत में ही नहीं बनाया जाना अपितु इसके निर्माण में अन्य देश के सहयोग की भी आवश्यकता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिए।

श्री बी० आर० शुक्ल : एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know from the Hon. Minister whether the Government of India and the Irrigation Department have prepared a map of the Sikatia Project which has been treated as an electronic project on which the ex-Minister Shri K. L. Rao had discussion with the Irrigation and Power Minister of Nepal? In view of the fact that only three small villages, not 60 villages, are involved in this project and that Nepal Government are prepared to accept this project, may I know whether the Government are going to take speedy action in this connection so that this project is completed and the eastern districts of Uttar Pradesh can be saved from the floods every year?

Shri K. C. Pant : It is difficult to tell the definite reaction of the Government of Nepal. No doubt, they are thinking over it and they have not said 'no' so far. They have said that they are aware of this problem. But it is still under consideration of them. Dr. K. L. Rao looked into the matter on the basis of the information available to Uttar Pradesh and to us. Therefore, I have said that he suggested on the basis of paper study that the dam could be constructed at the another site than the original one that would not submerge so many villages. As I have said we have discussed this matter with the Nepali Ambassador in India. The Indian Ambassador in Nepal has also been informed. Besides, the Power and Irrigation Secretary of Nepal came here last week and this matter was discussed with him by our secretary. But as I have said we have not arrived at any decision so far.

Shri Bhogendra Jha : Mr. speaker, Sir, with reference to the matter with Rapti and in the context of the power crisis in our country and in view of the fact that flood havoc is caused by all the rivers emerging from Himalayas and that Nepal is also in great need of electricity, may I know whether Government of India are considering the question of making such multi-purpose schemes at the sources of the Kosi, Bagmati and Kamla rivers, apart from Rapti as may enable the Government to have a control over floods and to solve the problem

of irrigation and power ? I think the production of Kosi Hydro electric project would be equel to half of the total production in India. What are the steps being taken in this regard ?

Shri K.C. Pant : Sir, most of the tributries of Ganga river coming from north flow through Nepal. Preliminary discussions have been held on the construction of dams at Pancheshwar and Karnali besides the projects on Gandak, Kamala and Bagmati from time to time. But the Nepal Government took more interest in Karnali project as a result of which further talk were held on it. As soon as unanimily in both the parties is arrived at further steps will easily be taken in this connection. Thus, we discuss on all the projects but we have given more emphasis on a certain project. As I have already said this project is useful for both the parties. Actually, all the schemes are useful but we are to proceed with a scheme in a proper manner.

Shri Chandrika Prasad : Mr. Speaker, Sir, the floods in Rapti rivers seriously affecteastern districts of Uttar Pradesh and the Jalkundi Project is an important project. But the Government of India could not finalise the matter in the last 28 years with the Government of Nepal. In this context will the Hon. Minister tell us whether our experts and other technical persons can not find out another site for this purpose regarding which the Government of Nepal might be having no objection ? The Government of India may succeed in pursuading the Government of Nepal but I fear they may take another 28 years in doing so.

Shri K. C. Pant : As I have already pointed out it is a field for mutual cooperation between India and Nepal and this project is beneficial for both the countries. With this project Nepal will get irrigation facilities along with power production and India will also get some irrigation facilities. It will also help us in having flood control. Thus, it is an important sphere of mutual cooperation for both the countries. It would be our endeavour to provide our cooperation to the Government of Nepal in general way especially in the field of technology if they so desire. We will also see that minimum loss is incurred to Nepal so that both the countries get benefit of the project.

थीन बांध परियोजना

*429. **श्री भान सिंह भौंरा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पंजाब सरकार की थीन बांध परियोजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) निर्माण कार्य कब से आरंभ होगा; और

(घ) क्या इस समय हिमाचल प्रदेश में व्यास-सतलुज परियोजना में लगे श्रमिकों को थीन बांध परियोजना में खपाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Shri B. S. Bhaura : I am sorry to know that such an important project has not been taken up and that it has been delayed so much. The period of agreement with Pakistan has elapsed. Our water is going to Pakistan. This water can be utilised by the Government of Puujab for irrigation. We know that the ex-minister deliberately delayed the matter and he did not want to get this project completed. Some time he made Haryana a party to it and some time he involved certain other state in this matter. May I know the reasons for which this project is being delayed when it was decided in the conference of chief Minister that the project should be taken up by the Central Government ? What is the difficulty for not taking up this project ?

Shri K. C. Pant : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Member has done injustice to the ex-minister by stating that the Hon. Minister was against the project. Certain inter-state matters are involved in this project. These issues are not raised by the Centre. The situation is that the construction of dam requires the land of both the States, Jammu and Kashmir and Punjab and some of the lands of both the States is to be submerged. Another point relates to the distribution of power to be produced thereby. This point is also disputed as to how the power would be distributed. After the meeting of the Chief Ministers consultation with the various ministries were held in the Centre on this matter. Then the Central Government gave certain suggestions along with one relating to the manner of the distributions of power. But this point is still disputed to a large extent. Thus it is wrong to say that the ex-minister in the Central Government did not want to take up this project or we do not want to do anything. One of the disputes is relating to land acquisition. The Government of Jammu and Kashmir is of the opinion that they can acquire land for Central Project but there are legal difficulties in acquiring land for inter-state project. These points are to be taken into consideration. Therefore, it is not fair, to cast aspersious on an individual.

Shri. B. S. Bhaura : When the Chief Ministers have decided that it should be constructed by the course then what difficulties are there in this regard. Beas project is going to be completed and after its completion thousands of workers will be rendered jobless. Unless this project is taken up these workers will not be provided with jobs. Keeping these facts in mind the Government of Punjab have sought the permission of the Centre for starting the work on the project. The state Government have also suggested that the matter of distribution of power can be settled later on. What is the difficulty in it ? The Punjab Government are prepared to construct the project and to incur the amount on its construction. When the issue of power distribution can be solved by the states later on what difficulty is there before the Centre.

Shri K. C. Pant : One difficulty is that it is not agreeable to the state of Jammu and Kashmir because of the fact that their land will be submerged. So they object to it and we will have to consider it.

Secondly, the Hon. Member has said that the state of Government of Punjab are keenly interested in it. I also feel that they are very anxious and we are also interested in it. But I do not believe that the State Government have got resources for this project because of the fact that, as you might be knowing, a sum of Rs. 4·50 crores is due to be paid by the Punjab Government against the Beas project which is an common project of all the States.

Shri Darbara Singh : Sir, I want to know that if Punjab Government does not have the sources, then let the Central Government especially when it is being demanded by all the Hon. Members. Afterwards the matter can be divided and Punjab should also be given its due share.

Shri K. C. Pant : Financial difficulty is the main difficulty at present. I have recently discussed this matter with the officials of Ministry of Finance and Planning Commission in detail with a view to find some way out to allocate some amount for this purpose in the Central budget. But they expressed their inability. The suggestion given by the Hon. Member was made in the House earlier also and thereafter I discussed this matter and tried to find out whether money can be made available for this purpose or not.

श्री बूटा सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार रिज़र्व बैंक ग्राफ इंडिया ग्रथवा किसी ग्रन्य एजेंसी के माध्यम से विशेष ऋण की व्यवस्था कर सकती है जिससे पंजाब की जनता के लिये इस महत्वपूर्ण थीन बांध परियोजना का निर्माण किया जा सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नि:सन्देह थीन बांध परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है ग्रौर यदि मेरे मंत्रालय में कुछ ग्रधिक धन उपलब्ध हो सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी परन्तु तथ्य यह है कि वित्त मंत्रालय ग्रौर योजना ग्रायोग ने कुल संसाधनों को ध्यान में रखना है । मैंने उन मंत्रालयों के साथ परामर्श किया है । मैं इस बात से ग्रपने मित्रों के साथ सहमत हूं कि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है परन्तु सभी वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखना होगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : How much land of Jammu and Kashmir will be submerged and that shall be the actual gain for the water being supplied to Pakistan and in case the same is stopped then what will be our total gain ?

Mr. Speaker : This is a different question. The source of supply of water to Pakistan is different . You have perhaps not consulted the map.

Shri K. C. Pant : I have just mentioned about inter-states problems in this regard. Another thing in this connection is that Himachal Pradesh wants that this dam should be constructed in their territory and it should not be built here. So it is not the question of financial resources only, there are some other inter-state considerations also. Then question of distribution of power is also involved.

In so far as Jammu and Kashmir is concerned, on one side of the Ravi is land of this State and on the other side is the land of Punjab. I cannot quote the exact area of such land, it may be 50 per cent on each side.

In order to remove misunderstading I may state that 33 million acre feet water was available in all the three eastern rivers for which the paid money to Pakistan. When first and second Project of Beas would be completed, then only one acre feet water remains which will be stopped by Thein Dam and that also in monsoon only.

पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयला पट्टी को विद्युत की सप्लाई

*430. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम से विद्युत की सप्लाई की कमी के कारण पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयला पट्टी में कोयले का उत्पादन कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य स्तर पर विद्युत सप्लाई बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) पश्चिम बंगाल और बिहार क्षेत्रों में वर्ष 1972—73 और 1973—74 के दौरान कोयले का उत्पादन लगभग बराबर था। अप्रैल-जून, 1974 के दौरान, 1973—74 की उसी अवधि की तुलना में उत्पादन कुछ बढ़ गया है। कोयला उत्पादन में कई निवेशों जैसे परिवहन, श्रमिकों, विद्युत, उपस्कर आदि की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रत्येक तत्व की कठिनाइयों के कारण उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि करने की संभाव्यता पर प्रभाव पड़ा है। दामोदर घाटी निगम रेलवे कर्षण के साथ साथ, कोयला खानों को विद्युत के आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और पिछले महीनों में, सामान्यतया विद्युत की आबंटित मात्रा उन्हें उपलब्ध की गई है।

2. दामोदर घाटी निगम के ताप केन्द्रों में विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता से काफी कम रहा है, जिसका कारण कोयले की घटिया तथा भिन्न भिन्न किस्में, काफी लम्बे समय तक अपर्याप्त उपयुक्त अनुरक्षण; जिसके परिणामस्वरूप कई कोयला-मिलें, आई० डी० पंखें तथा राख नियंत्रण प्रणाली इत्यादि अविश्वसनीय हो गए हैं तथा कुछ यूनिटों में कुछ निहित अभिकल्प दोष पैदा हो गए हैं। पिछले वर्ष से जीर्ण-शीर्ण संयंत्र की पुनस्थापना और नवीकरण का योजनाबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिया गया है तथा इनके इस वर्ष में काफी हद तक पूरी किये जाने की संभावना है। ऐसे कोयले को उपलब्ध करने की व्यवस्था करने, जिसके लिए बायलरों का अभिकल्पित किया गया हो, तथा प्रचालन और अनुरक्षण के स्तर में सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Shri Bhogendra Jha : Sir, it appears from the statement that the trouble is because of poor quantity of coal. But the Minister responsible for coal had stated that as power is not being made available, a capture thermal power station is required to be built and production coal is declining. The Hon. Minister has nowhere stated in his statement that coal production is declining owing to shortage of power supply. I would like to know whether any instance has been brought to his notice where D. V. C. had rejected the coal supplied by N.C.D.C. on the ground that it was substantial and the same coal was purchased by the Contractor in and on and thereafter when some coal was supplied to D.V.C. they accepted it treating it of good a quality ? I want to know whether the enquiry will be held in order to check such malpractices and fix the responsibility for such acts. So that power generation may be regular and the necessity of setting up separate captive thermal power stations may not arise, is it possible through D.V.C. ?

Shri K. C. Pant : There is no question of two Ministries. I have seen the statement given by Shri Malaviya and he has stated "Power supply, of late, has shown some improvement. Among the major factors which have contributed to this lower level of production are shortage of power in the Bengal—Bihar coalfields, non-availability and delay in the delivery of certain essential items of machinery, disturbed law and order and industrial relations in the eastern region and inadequacy of rail transport". This is what I have also stated. We have supplied power to them. In so far as Ministries are concerned, they have to work in co-operation with one another.

In so far as the question of good quality of coal is concerned, we do not depend on the management of D.V.C. only. Our experts go there and examine the equipment installed there and they also go into the merits of streamlining the working. Moreover The Secretary of Ministry of Irrigation and Power has also visited that place and saw that unit himself. We are trying to enforce quality central at both the places to avoid of recurrance of supply of poor quality of coal. We have discussed this matter so that we may get good quality of coal and we shall try to supply power to them regularly, I have gone through the figures and observed that the production of D.V.C. was more than 500 M.W. on our average. There has been production of a little less than 450 M.W. in the month of August and they are allotted 450 M.W. of power.

Shri Bhogendra Jha : The important part of the Hon. Minister's state ment is "In adequacy of proper maintenance over a period of time"

I want to know whether any responsibility has been fixed in this matter and whether any action has been taken in this connection ?

Shri K. C. Pant : The Chairman has been transferred. Several Officers have also been transferred. The old staff is not always there. The problem of maintenance is an old one. The work of renovation is going on at present there. Several units are being renovated in Durgapur. We are thinking of renovating I. D. Fence in Chandrapura. We are thinking of making great improvement in main unit of Bokaro.

Shri Bhogendra Jha : Power has been interlinked between North and South of Bihar. So in such circumstances if there is some power trouble in D.V.C. the power can be supplied from South to North and its effects on coal production may be stopped. It is possible and it has been so happening. I want to know whether the Hon. Minister is aware that the Bihar Government had taken the decision to nationalise private companies and an ordnance in this regard has been lying here. There is a rumour that the owners of those Companies have put the pressure on the Central Government and so the assent of the President could not be obtained and as a result of it neither the old owners nor the Government are looking after those companies. I want to know whether that rumour is correct. ?

Shri K. C. Pant : I am not aware about any pressure with regard to any ordinance...

Shri Bhogendra Jha : This matter was raised under Rule 377 and at that time it was told that it would be sent, but now he says that he is not aware of the fact.

Shri K. C. Pant : I have stated about the pressure. So far as the question of licence is concerned it is true that power is supplied through them. We try to supply power direct to the Coal Mines so that there may not be any necessity of issuing licences.

Shri Bhogendra Jha : I want to know your opinion regarding the ordinance.

Shri K. C. Pant : This is not the question here.

श्री नवल किशोर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1972-73 और 1973-74 में कोयले का उत्पादन वही था, बिहार में 1972-73 और 1973-74 में कोयला पट्टी को कितनी बिजली सप्लाई की गई ? उनके वक्तव्य के पैरा 2 को ध्यान में रखते हुए क्या दामोदर घाटी निगम में निर्धारित अवधि में प्लान्ट और मशीनों के नवीनकरण और उनके लगाने के लिये स्थायी व्यवस्था है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे पास 1972–73 और 1973–74 में सप्लाई की गई कुल बिजली के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है सामान्यतया उनको लगाने का नियोजित कार्यक्रम स्थिति की आवश्यकतानुसार समय समय पर आरम्भ किया जाता है। लेकिन इस मामले में कुछ उपकरण इस कदर घिस गये हैं कि इनको बदलने की आवश्यकता है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं हम इसके कारणों का पता लगाने पर इतना अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना इसमें सुधार करने की कोशिश पर ध्यान दे रहे हैं। मैं माननीय मित्र को इस बात का आश्वासन देता हूं कि संयंत्रों को नया रूप देने और दामोदर घाटी निगम को आत्म-निर्भर बनाने का काम तीव्र गति से चल रहा है और इस सम्बन्ध में गत कुछ दिनों में सुधार हुआ है और इसमें 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है, जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। वास्तव में ऐसी अल्प अवधि में उपलब्ध जलशक्ति के प्राप्त होने से हुआ है।

Shri Shankar Dayal Singh : I am directly connected with the D. V. C. Power station because Ponar and Tallaya come under my constituency. There are two aspects of this question. The first aspect is generating power and the second aspect is producing coal. The Hon. Minister has just stated that D.V.C. is producing 500 M.W. power. There has been less production of power due to short supply of Coal and there has been less production of coal due to short supply of power, so I want to know whether the Minister of Steel and Mines and Irrigation and Power will personally visit the site at D.V.C. and take steps to remove the shortcomings.

Shri K. C. Pant : If necessary both of us can go. Both of us are in touch with the situation there. We have also discussed this matter and we have found out some means to maintain the quality of coal. Both of us want that there should be adequate stock of coal there. So that it may not face difficulties arising out of short supply of Coal. So we have taken some steps in this direction.

Shri Shankar Dayal Singh : I again request that both the Ministers shouls go to D.V.C. to study the situation there. The Minister of steel and Mines has already visited the site, but I want an assurance in this regard from you.

KShri K. C. Pant : I will be pleased to go to D.V.C.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether it is not a fact that more than 90 percent of the coal of the country is available in West Bengal and Bihar. In such circumstances the shortage of power in Bihar and West Bengal shows inefficiency of the Government. As it is very costly to send coal through train, I want to know whether Thermal power plants will be established in Bihar and West Bengal to supply power in other parts.

Shri K. C. Pant : Hon. Member will be pleased to note that there has been an improvement in the power position in West Bengal. I had a talk with the Chief Miuister of West Bengal in this convecture yesterday night. He had told me that there had been tremendous improvement in the situation.

So far as Bihar is concerned, the production of power is far below the capacity, but it produces power for its own requirements. So far as priority areas like coal areas are concerned, D.V.C. supplies power to them.

Shri Madhu Limaye : My question has not been replied to. I had asked that as it was very difficult to supply coal through train, whether it would be possible to supply power to other states by establishing thermal Plants in places where there are large number of coal Mines? I want to know whether the Government has considered this matter ?

Shri K. C. Pant : Generally Thermal Plants are set up at such places where there are coal mines. But in states like Gujarat or West Bengal formerly there were Thermal Plants based on Gas Oil, now they will be based on Coal. So we have to send coal there also. There are some other regions also in the country where we have to send Coal.

आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं

***432. श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के लिये अब तक उप-योजनाएं प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन उप-योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य से उप योजनाएं प्राप्त हो गई हैं, जबकि असम तथा बिहार की उप योजनाएं अपूर्ण हैं, उड़ीसा की उप योजना में संशोधन की आवश्यकता है ।

(ख) वर्तमान अनुसूची के अनुसार सब उप योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति दी जानी है ।

श्री गिरिधर गोमांगो : उत्तर से यह स्पष्ट है कि आसाम बिहार की उप-योजनाएं अधूरी हैं और उड़ीसा की उप-योजना का पुनरीक्षण करना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट है कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ने अपनी उप-योजनाएं प्रस्तुत नहीं की है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने इन राज्यों को उप-योजनाएं तैयार करने के लिये कोई निदेश जारी किये हैं। इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं और उप-योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए कब विचार विमर्श किया जायेगा ।

श्री राम निवास मिर्धा : भारत सरकार ने उप-योजनाएं तैयार करने के लिये राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हमारे सामने रखी हैं। हमने उन्हें दूर करने का प्रयास किया और उन्हें सुझाव दिया है कि उनकी उप-योजनाओं का आधार क्या होना चाहिये। यह सच है कि इस मामले में कुछ विलम्ब हुआ है लेकिन हम राज्य सरकारों पर उप-योजनाओं को शीघ्र भेजने के लिये जोर डाल रहे हैं। लेकिन चालू वर्ष में भी हमने इन क्षेत्रों में कार्यवाही के लिये कुछ अग्रिम धन की व्यवस्था की है जिससे इन अधिक आदिम जाति वाले क्षेत्रों में, जहां समेकित विकास परियोजनाएं आरम्भ की जानी है, पहले से ही कार्य आरम्भ किया जा सके। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाता हूं कि हम राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए हैं और उन पर इस बात के लिये जोर डाल रहे हैं। हम इस बात का प्रयास करेंगे कि योजनाएं समय पर प्राप्त हो जायें और उन्हें इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राप्त हो जाये ।

श्री गिरीधर गोमांगो : उप-योजना के लिए संसाधन राज्य से जुटाये जायेंगे। क्षेत्रीय आवंटनों के लिए संसाधन केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जुटाये जायेंगे तथा आदिवासियों के विकास के लिए विशेष आवंटन के लिए संसाधन संस्थागत वित्त से जुटाये जायेंगे । ऐसा पता लगा है कि गृहकार्य

मंत्रालय द्वारा प्रगति की उचित निगरानी के अभाव के कारण प्रगति आपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाई है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह यह आबंटन कहीं और खर्च नहीं करेगी तथा साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि यह आबंटन बिना उपयोग के ही न पड़ा रह जाये और इन क्षेत्रों पर खर्च होने वाले व्यय का लेखा रखने के लिए अलग सैल बनाई जाये ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना ठीक नहीं है कि गृह मंत्रालय की किसी गलती के कारण पहले धनराशि का उचित उपयोग नहीं हो पाया है। योजना आवंटन का उचित उपयोग किया जाता रहा है और चाहे वह आदिवासी ब्लाक विकास है या आदिवासी क्षेत्र के विकास सम्बन्धी योजना, उनके परिणाम हमारे समक्ष हैं। सदस्य महोदय ने यह भी एक अच्छा प्रश्न उठाया है कि इस विशिष्ट क्षेत्र के लिये धनराशि को उपलब्ध करवाना किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। यह समस्या निश्यच ही हमारे समक्ष है तथा हम कोई ऐसी व्यवस्था ढूंढने में लगे हुए हैं जिससे इस कार्य पर लगने वाली धनराशि को प्रत्येक चरण पर आंका जा सके। योजना आयोग इसके बारे में काफी चौकस है और अब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए आबंटित धनराशि को अन्य कार्यों के लिए खर्च न किया जाये, जैसा कि कभी कभी कर लिया जाता है। हम इससे भली भांति अवगत हैं और हम इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे।

एक माननीय सदस्य : इसकी कसौटी क्या होगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : इसकी कई कसौटियां है तथा उन सब की सूची हम ने राज्य सरकारों को दे दी है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा उप-योजनाओं के लिए कल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और उनका राज्यवार व्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के आंकड़े पूछने के लिए आपको अलग नोटिस देना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, while replying, it has been stated by the Hon. Minister that some allocation has been made to State Governments. I want to know the statewise break up of the Central Government allocation and the number of States from where sectoral plans have been received and how many States have sent no such plans? How you are going to develop tribal areas—what sort of development it will be ? May I know if it will be at economic level, educational level or this amount will be spent for building up roads and houses ? On what sort of plans this amount will be spent ?

Mr. Speaker: If you are interested in details, you must give a separate notice for the same. If the Hon. Minister wishes, he can reply to the queries of general nature.

Shri Ram Niwas Mirdha : Hon. Member wants to know the names of States and amount sanctioned to them for sub-plans. I have already stated that the sub-plans of all the states have not been received so far. The sub-plans which have been received are being examined by the Planning Commission and it is

hoped that the Planning Commission will accord its sanction to these plans by the end of this year and then further action will be taken on them. On current tribal development blocks we are spending 8 crores of rupees but in future when these tribal blocks or their adjoining areas will be covered under new plans, then 5 crores of rupees will be given to them immediately. But this plan will be finalised only after taking into consideration the amount given by the states under sub-plans and the amount which we shall be able to give.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं यह जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों के कारण उड़ीसा की उपयोजना में फेर बदल करना पड़ा है ? क्या उड़ीसा सरकार को कोई निदेश दिये गये हैं ? केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को अपने मूल कार्यक्रम में, यथा उड़ीसा राज्य द्वारा भेजी गई मूल उप-योजना में परिर्वतन करने के लिए क्यों कहा गया ?

श्री राम निवास मिर्धा : उड़ीसा राज्य की उप-योजना की सभी त्रुटियों का ब्यौरा तो मैं नहीं दे सकता । हम कुछ निदेश पद अवश्य देते हैं । इन में से मुख्य निदेश पद यह था कि सर्वप्रथम राज्य सरकारों को हमें यह बताना था कि वह आम योजना आबंटन में से कितनी धनराशि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए देने को तैयार हैं । हमारी नई कार्यनीति का आधार यही है । अभी तक हम कुछ योजनाओं के लिए ऐसी केन्द्रीय सहायता देते रहे हैं जो राज्य प्रयासों की अनुपूरक हुआ करती थी । परन्तु हमें पता चला कि राज्य सरकारें केवल केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय आबंटन की इंतजार में ही लगी रहती थी और अन्तिम विश्लेषण करने पर पता चला कि वह धनराशि भी वहुत कम होती थी । अब हमारी नई कार्य नीति यह है कि पहले क्षेत्र को देखा जायें, फिर उसकी जनसंख्या को ध्यान म रखा जाये, तथा फिर उसमें जन जातियों के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य सरकारें हमें यह वतायें कि वे इन खंडों के लिए अपने संसाधनों में से कितनी धनराशि देने को तैयार हैं । इसके अतिरिक्त हमने 200 करोड़ रुपया आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सुरक्षित कर दिया है जिसे कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार उन्हें दे दिया जायेगा ।

श्री कार्तिक उरांव : संविधान की व्यवस्था के अनुसार तो यह प्राक्लन या उप-योजनायें 1950 में संविधान के लागू होते ही राज्यों द्वारा भेजी जानी चाहिये थी । हमारी चार पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो गई हैं और राज्य सरकारों से कोई इस प्रकार की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है । सत्य तो यह है कि यह योजनायें केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री के आग्रह पर ही भेजी गई है । यह योजनायें बिना पंचवर्षीय योजनाओं की परवाह किये प्रत्येक वर्ष भेजी जानी चाहिये थी । मैं मंत्री महोद से ययह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1974–75 के लिए उपयुक्त निदेश पदों सहित ये योजनायें भेजने के लिए कोई अन्तिम समय निर्धारित किया गया था और यदि हां, तो इसके लिए वर्ष 1974–75 में कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया तथा 1974–79 की पांचवीं योजना म इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं पहले कह चुका हूं कि हमने राज्य सरकारों को विस्तृत निदेशपद जारी कर दिये हैं कि उप-योजनायें किस आधार पर बनाई जानी चाहियें । जहां तक इस वर्ष के आबंटन का सम्बन्ध है, अभी हमें न तो योजना ही प्राप्त हुई है और न ही वह मंजूर हुई है । अत:

इस वर्ष हम उसके लिए कोई आबंटन नहीं कर पाये हैं। परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमने इसकी प्रतीक्षा नहीं की है। हमने इसके लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है, यह धनराशि आदिवासी खण्डों के विकास के लिए आबंटित वर्तमान 8 करोड़ रूपये की धनराशि के अतिरिक्त होगी जो कि इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत आयेगी।

श्री बूटा सिंह : गृह मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इन योजनाओं को क्रियान्वित न करने में गृह मंत्रालय का कोई दोष नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह है कि शीलो आओ कमेटी तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी संसदीय समिति में बार बार यह बात कही गई हैं कि राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी क्योंकि इसके लिए राज्य को जिस धनराशि का आबंटन किया गया, वह अन्य कार्यों से निकाल कर किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इनकी क्रियान्वित और आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजनाओं पर कार्य करने के लिए किसी केन्द्रीय तन्त्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि का उपयोग अन्य विकास कार्यों के लिए करने की संभावना से हम भलीभांति परिचित हैं। इसीलिए हम योजना आयोग के साथ विचार विमर्श करके एक ऐसा तंत्र बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा इस प्रकार के खर्चे पर नियंत्रण रखा जा सके। हम यह भी देखेंगे कि धनराशि का उपयोग अपेक्षित कार्यों के लिए सुनिश्चित करने के लिए अन्य कौन कौन से नियन्त्रणात्मक कदम उठाये जा सकते हैं। हम इस बात के लिए पूर्णतया सतर्क हैं कि धन राशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों के लिए हो जिसके लिये उनका आबंटन किया गया है और उन्हें अन्य कार्यों के लिए खर्च करने की अनुमति न दी जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

Financial Assistance sought by Madhya Pradesh Government for Irrigation Purposes

*427. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sought any financial assistance from the Central Government for irrigation purposes for the coming year ; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : (a) No assistance, outside the plan, has been sought by the Government of Madhya Pradesh, for major and medium irrigation schemes.

(b) Does not arise.

पोंग बांध के कारण विस्थापित हुए परिवारों का पुनर्वास

*431. **श्री विक्रम महाजन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के कारण विस्थापित हुए कुल कितने परिवारों को जुलाई, 1974 में समाप्त होने वाले गत छः महीनों में पुनः बसाया गया है ;

(ख) उनमें से कितने परिवारों को भूमि आबंटित की गई है ; और वस्तुतः कितने परिवारों को भूमि का कब्जा दिया गया है ;

(ग) क्या पोंग बांध में पानी एकत्रित करने से पूर्व सभी प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन परिवारों के पुनर्वास का क्या कार्यक्रम है और यह पुनर्वास कार्य सम्भवतः कितने समय में पूरा हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) पोंग बांध के कारण विस्थापित हुए सभी परिवारों को भूमि तथा सम्पत्ति के लिए मुआवजा देने के अतिरिक्त, पूर्व-निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उन्हें पुनर्वास सहायता दी जा रही है और उनके पुनर्वास कार्य में तदनुसार प्रगति हो रही है। उपयुक्त पाए गए परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि भी आबंटित की जा रही है और उन्हें परिवहन तथा पुनर्वास संबंधी अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। पिछले छः महीनों के दौरान 1,558 पात्र परिवारों को भूमि आबंटित की गई और 1,286 परिवारों ने राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का कब्जा ले लिया।

इस वर्ष बांध में ई० एल० 1365 तक जल एकत्रित किया जाएगा और राजस्थान में बसने के इच्छुक अधिकांश पात्र परिवारों के लिए इसी क्षेत्र में, जिसे राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में उपलब्ध करना स्वीकार किया गया है, भूमि की व्यवस्था की जा रही है। प्रभावित होने वाले शेष परिवारों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से अपनी व्यवस्था स्वयं कर ली थी और वे सुरक्षित क्षेत्रों को चले गए हैं। ऐसे पात्र परिवार जिन्हें तत्काल राजस्थान में नहीं बसाया जा सकता, उन्हें अस्थायी शरण की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

भारत स्थित विदेशी इलैक्ट्रानिक्स कम्पनियों का विस्तार

*433. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **इलेक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत स्थित विदेशी इलैक्ट्रोनिक्स कम्पनियों को अपना कार्य बढ़ाने की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) इसका स्वदेशी कम्पनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में पर्याप्त अथवा अधिकांश विदेशी साम्य पून्जी वाली कंपनियों के संबंध में सरकार की नीति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित होती है। मोटे तौर पर सरकार को ऐसे विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें निर्यातों के जरिये विदेशी मुद्रा प्राप्त हो अथवा जहां उस परिष्कृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता हो, जिसे उच्च मूल्यों पर तथा अधिक समय बिलवों के अलावा अन्यथा प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रत्येक आवेदन पर वैयक्तिक रूप से गुणानुसार विचार होता है तथा निर्णय किये जाते हैं। ऐसा करते समय सरकार संगठित एवं लघु दोनों क्षेत्रों की स्वदेशी कंपनियों पर ऐसे विस्तार के संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखती है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास के अध्ययन के लिये केन्द्र

*434. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का विचार विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास के अध्ययन के लिये एक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास का अध्ययन करने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रधान कार्यालय में एक छोटा दल कार्यरत है।

(ख) इस संबंध में एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) इस समय इस कार्य के लिये कोई अलग राशि आवंटित नहीं की गई है।

विवरण

अध्ययन के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

(1) **वैकल्पिक प्रौद्योगिकी** : विकासशील देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के लिये प्रौद्योगिकी का विकास करने और वर्तमान प्रौद्योगिकी के खराब प्रभाव को रोकने संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिये अध्ययनार्थ निदेश दिये गये हैं।

(2) **विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजना** : इसके अन्तर्गत अध्ययन का लक्ष्य था—दार्शनिक विचारों का विकास, सामाजिक स्वरुप की परिभाषा करना, योजना के लिये साधन और तकनीकों का विकास करना, अनुसंधान का मूल्यांकन कर क्रमबद्ध करना।

(3) **विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गतिशीलता :** वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति प्रौद्योगिकी संबंधी मूल्यांकन, विकासशील देशों के साथ अन्य संबंधित समस्याओं सहित उन्नत देशों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध को प्रभावित करने वाले राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिये अध्ययन ।

(4) **वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति :** सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की उपयुक्तता, बेरोज़गारी की समस्याओं, रोज़गार में प्रतिभा का दुरुपयोग और प्रतिभा पलायन, समाज में वैज्ञानिक समुदाय का सहयोग, उत्पति और अनुसंधान उत्पादन क्षमता और संबंधित समस्याओं का अध्ययन ।

(5) उपर्युक्त कार्य के मुख्य चार क्षेत्रों के अतिरिक्त, विज्ञान का ऐतिहासिक विकास और विभिन्न समुदायों में इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संदर्भ में भी कुछ अध्ययन क्रियान्वित किये जायेंगे ।

News : print to Hindi Newspapers

***435. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the measures being taken by Government to ensure adequate supply of newsprint to hindi newspapers which are not receiving requisite quantity of the same?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri I.K. Gujral) : Language is not the criterion for allocation of newsprint to newspapers. Hindi papers as indeed papers in other languages have been given their due entitlement in accordance with the newsprint policy, which clearly lays down criteria of eligibility and entitlement.

Memorandum from workers of Metro Cinema, Bombay

***436. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Milster of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum on behalf of the workers of Metro Cinema, Bombay ; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have noted the contents of the memorandum.

वायु दूषण

*437. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वायु दूषण के प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वातावरण में, विशेषकर मद्रास, बम्बई, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता, कोचीन, बंगलौर तथा हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में वायु दूषण की मात्रा के बारे में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) वायु-प्रदूषण के प्रभाव का अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है । फिर भी, उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिये प्रायोगिक अध्ययन लगातार किये जा रहे हैं ।

(ख) वायु-प्रदूषण संबंधी मूल आकड़ों के अभाव में वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया ।

(ग) राष्ट्रीय वातावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने वायु-प्रदूषण के सर्वेक्षण का कार्य एक आयोजित कार्यक्रम के रूप में बम्बई और कलकत्ता, में प्रारम्भ कर दिया है और यह कार्य निरंतर जारी है । दिल्ली और कानपुर में भी परीक्षण के तौर पर एक सर्वेक्षण किया गया है । मद्रास कानपुर, दिल्ली, कोचीन, बंगलौर और हैदराबाद में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

स्वतन्त्रता सेनानियों की डायरेक्टरी

*438. **श्री नागेश्वर द्विवेदी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1857 के स्वाधीनता युद्ध से प्रारम्भ होकर विभिन्न स्वाधीनता आन्दोलनों में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों की सम्पूर्ण डायरेक्टरी का संकलन किया है और इसे प्रकाशित करने का विचार है ;

(ख) इस प्रकार के स्वाधीनता सेनानियों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ग) उनमें से कितने अभी भी जिन्दा हैं और कितनों की मृत्यु हो चुकी है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मध्य प्रदेश में बाढ़

*439. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में हाल के बाढ़ के कारण हुई हानि का अनुमान क्या है ; और

(ख) सरकार ने राज्य सरकार से इस बारे में विचार-विमश करके क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से इस मानसून के दौरान राज्य में बाढ़ों के कारण हुई हानि का कोई मूल्यांकन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

बंगाल पेपर मिल रानीगंज (पश्चिम बंगाल) के प्रबन्धकों द्वारा जबरन छट्टी

*440. **श्री रोबिन सेन :** क्या **श्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थित बंगाल पेपर मिल के प्रबंधकों द्वारा घोषित जबरन छुट्टी की श्रोर दिलाया गया है जिसके कारण सैंकड़ों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ; श्रौर

(ख) श्रमिकों को वापस काम पर न लिए जाने के लिए प्रबंधकों के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रौद्यौगिक विकास तथा विज्ञान श्रौर प्रौद्यौगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) श्रौर (ख) सरकार का ध्यान रानीगंज स्थित बंगाल पेपर मिल में श्रमिक श्रशान्ति तथा उसके फलस्वरुप क्षमता के श्रल्प उपयोग की श्रोर दिलाया गया है। हाल ही में बताया गया है कि मजदूरों की जबरन छुट्टी बन्द कर दी गयी है तथा राज्य सरकार द्वारा सामान्य स्थिति लाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी से मिलाने की योजना

*441. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **सिंचाई श्रौर विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० कपिल भट्टाचार्य ने ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी से मिलाने का कोई नया नक्शा प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या श्री देवेश मुखर्जी ने ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी से मिलाने के बारे में कोई व्यवहार्यता श्रध्ययन किया है ; श्रौर

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिचाई श्रौर विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) डा० कपिल भट्टाचार्य श्रथवा श्री देवेश मुखर्जी द्वारा ब्रह्मपुत्र-गंगा संपर्क के लिए कोई विशिष्ट स्कीम श्रथवा ब्लू प्रिंट्स सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

बहरहाल, सरकार का ध्यान, डा० कपिल भट्टाचार्य द्वारा 1951 में लिखे गए एक लेख की श्रोर श्राकर्षित किया गया है जिसमें ब्रह्मपुत्र-गंगा नौगम्य नहर सम्पर्क का सुझाव दिया गया है ।

इसी प्रकार, सरकार का ध्यान श्री देवेश मुखर्जी द्वारा 1950 के दशक में ब्रह्मपुत्र-गंगा संपर्क पर किए गएकुछ श्रध्ययनों श्रौर उनके द्वारा 1972 में लिखे गए एक लेख की श्रोर भी श्राकर्षित किया गया है, जिसमें ब्रह्मपुत्र तीस्ता श्रौर गंगा को जोड़ने का सुझाव दिया गया है । इस सुझाव में निहित मुख्य बात यह है कि ब्रह्मपुत्र को एक नहर द्वारा गंगा के साथ उपयुक्त ढंग से जोड़ देन पर एक बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकता है ।

बड़े औद्योगिक गृहों की औद्योगिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए की गयी कार्यवाही

*442. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **औद्यौगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : लघु और मध्यम दर्जे के उन उद्योगों जिनमें उत्पादन हो रहा है, के हितों की रक्षा करने के लिए बड़े औद्योगिक गृहों की औद्योगिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : जैसा कि फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुबंध 1 में उल्लेख किया गया है और जिसकी प्रतियां अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के 21 फरवरी, 1973 को दिये गये उत्तरों में सभा-पटल पर रख दी गयी हैं, सरकार की यह घोषित नीति रही है कि बड़े गृहों तथा विदेशी कंपनियों के औद्योगिक कार्य कलाप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चलाये जायें / की जाये । उन क्षेत्रों को छोड़कर जिनमें उत्पादन मुख्यतः निर्यात की दृष्टि से ही किया जाता है सामान्य रूप से उन्हें अन्य क्षेत्रों से अलग कर दिया गया ये सरकारी क्षेत्र अथवा लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिये आरक्षित उद्योग खोलने के भी उद्योग मात्र नहीं समझे जाते । साथ ही सरकार की नीति बड़े गृहों तथा विदेशी कंपनियों को जिन उद्योगों की स्थापना करने की अनुमति है उन्हें मिलाकर सभी उद्योगों में सक्षम लघु तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की है और जिसके लिये ऐसे उद्यमियों को नई क्षमता स्थापित करने के लिये अधिमान दिया जाएगा । सरकार द्वारा लघु तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कई सक्रिय कदम उठाए गए हैं जिनमें काफी संख्या में उद्योगों को केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है । मझौले उपक्रमों में 1 करोड़ रुपये तक की अचल सम्पत्ति वाले मध्यम श्रेणी के उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार करके नये उपक्रम स्थापित करने नयी वस्तुएं बनाने के लिये कुछ अपवादों को छोड़कर लाइसेंस प्राप्त करने के उपबंधों से छूट दे दी गयी है यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री आर० एस० भट्ट की अध्यक्षता में लघु तथा मध्यम श्रेत्र के उद्यमियों को विकास कार्य में सलाह देने हेतु नियुक्त कमेटी द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर इस सम्बन्ध में हाल ही में कई निर्णयों की घोषणा कर दी गयी है ।

महाराष्ट्र में कृष्णा बेसिन में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं

*443. **श्री अण्णासाहिब गोट खिंडे :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री महाराष्ट्र में कृष्णा बेसिन में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति के बारे में 19 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित परियोजनाओं की योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और राज्य सरकार ने उनके बारे में क्या अद्यतन अनुमान भेजे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इन परियोजनाओं को, विशेषकर थेरलवाढ़ी और सिद्देवाड़ी परियोजनाओं को, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का पंचाट मिलते ही शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ; और

(ग) इन परियोजनाओं को सम्भवतः कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) निम्नलिखित 8 मध्यम सिंचाई स्कीमें जिनके लिए महाराष्ट्र सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, स्वीकृति हो चुकी हैं :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मुख्य विशेषताएं		
		जिला	लाभ हैक्टेयर में	अनुमानित लागत लाख रुपये
1	खंडाला	उसमानाबाद	1,496	73.69
2	पानगांव हींगनी	शोलापुर	6,750	172.68
3	नजारे	पूना	3,196	129.60
4	भण्डारदी	उसमानाबाद	1,162	51.06
5	यरलवादी	सतारा	3,450	263.24
6	सोना (नीमगांव में)	अहमदनगर	7,390	372.63
7	सिद्दे्वदी	सांगली	826	76.16
8	उलुप	उसमानाबाद	963	54.61

हातिज हींगनी और भुडावले सिंचाई स्कीमों के बारे में संशोधित प्रस्तावों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।

विदेशी फर्मों द्वारा अप्राधिकृत उत्पादन

***444. श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली विदेशी फर्मों के अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का प्रयोग करने तथा 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली विदेशी फर्मों की इक्विटी पूंजी कम करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० ब्रह्मण्यम) : (क) लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक अनाधिकृत उत्पादन सम्बन्धी विदेशी तथा साथ ही भारतीय फर्मों के मामले समय समय पर सरकार की जानकारी में आते रहे हैं। पहिल इसी प्रकार के 45 मामलों की रिपोर्ट, औद्योगिक लाइसेंसिग नीति जांच समिति ने की थी और ये मामले जांच पड़ताल के लिए बड़े औद्योगिक घरानों के जांच आयोग को भेज दिए गए थे उद्योग में अनधिकृत विस्तार को रोकने के लिए सरकार ने सामान्य हिदायतें जारी कर दी हैं कि अधिकृत क्षमता से अधिक के लिए कच्चा माल और अन्य सहायताएं नहीं दी जायेंगी ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अधीन 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली सभी कम्पनियों को अपना कामकाज जारी रखने के लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक में अर्जी पहुंचने की तिथि 31–8–74 तक बढ़ा दी गई है। इन कम्पनियों द्वारा अर्थव्यवस्था में दिये गये योग को ध्यान में रख कर इन कम्पनियों की आगामी गतिविधियों के विनियमित करने के आदेश किये जायेंगे।

बन्दियों को यातनाएं देना अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार

***445. श्री आर० के० सिन्हा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1974 के स्थानीय प्रैस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एमनेस्टी इन्टरनेशनल, मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिये युवा आन्दोलन, ने भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों से अपने देशों में बन्दियों को यातना देने अथवा उनके साथ बुरे व्यवहार का उन्मूलन करने के लिये कहा है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कैदियों के साथ किसी भी रूप में दुर्व्यवहार तथा यातना देने की अमानुषिक प्रथा जहां कहीं भी प्रचलित है उसे रोकने के लिए विश्व जनमत तैयार करने के प्रयत्नों के लिए भारत सरकार की पूर्ण सहानुभूति है ।

Priority to Generation of Electricity

***446. Shri K. M. Madhukar :** Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to give priority to the schemes for generation of electricity next onlv to defence schemes:

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the expenditure proposed to be incurred on the generation of electricity in the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Power Development Programme is a core sector programme and has been given high priority. In respect of supply of scarce materials such as steel, cement, aluminium, industrial gases, explosives, etc., required for the execution of the power projects, the Centre has given high priority next only to defence.

(b) The most important infrastructure required for economic development of the country has been recognised to be electricity. For overcoming the present power shortages and for supporting the implementation of the power programme in the Fifth Plan period which will enable achieving a satisfactory power situation towards the end of the Fifth plan period, Centre has accorded high priority to power development during the Fifth Plan period.

(c) A plan provision of Rs. 417·17 crores has been made in the 1974-75 Annual Plan for the generation projects out of a total power plan provision of Rs. 767·55 crores.

सरकारी क्षेत्र में एक पिक्चर ट्यूब ग्लासशैल फैक्टरी का स्थापित किया जाना

2984. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिक्चर ट्यूबों के लिये ग्लास शैल सम्बन्धी पेनल ने सरकारी क्षेत्र में एक पिक्चर ट्यूब ग्लास शैल फैक्ट्री स्थापति करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या अनेक राज्य इलैस्ट्रोनिक्स निगमों के इस प्रकार का कारखाना स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के लिये ग्लास शैल बनाने हेतु फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड को लाइसेंस जारी करने का है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बंगलौर की ओर से एसा एक यूनिट स्थापित करने के संबंध में एक आवेदन पत्र दिनांक 1–8–1974 को प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार हो रहा है ।

(ग) इस मद के लिए मै० फिलिप्स इण्डिया लि० ने कोई आवेदन नहीं दिया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलिविस्टा कम्पनी द्वारा टेलिविजन सेटों का निर्माण

2985. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन निर्माता कम्पनी, मैसर्स टेलिविस्टा ने वर्ष 1973 में अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक टेलीविजन सेट बनाये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) मैसर्स टेलिविस्टा लघु क्षेत्र का एक यूनिट है, जिसकी स्वीकृत क्षमता 10,000 टी० वी० सेट प्रतिवर्ष है। 1973 में इसका उत्पादन 15,483 रहा। यह पार्टी को उपलब्ध संपूर्ति लाइसेंसों के प्रयोग के कारण संभव हो सका। लघु क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

रेडियो तथा टेलिविजन सेट बनाने में विदेशी कम्पनियों का हिस्सा

2986. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेडियो और टेलिविजन सेट बनाने की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है ;

(ख) वास्तव में कितने सेट बनाये जाते हैं ; और

(ग) इन में से विदेशी स्वामित्व वाली अथवा निगमित कम्पनियां कितने सेट बनाती हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संगठित क्षेत्र में रेडियो बनाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 30. 1 लाख प्रति वर्ष है। टेलीविजन सेटों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता संगठित क्षेत्र में 1,05,000 तथा लघु क्षेत्र में 2,16,800 है। चूंकि रेडियो उत्पादन वास्तविक रूप से लाइसेंस मुक्त है, इसलिये लघु क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत क्षमता के समर्थन में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1972 एवं 1973 के दौरान रेडियो और टी० वी० सेटों का उत्पादन निम्नानुसार रहा :–

	रेडियो		टेलीविजन	
	1972	1973	1972	1973
	लाख	लाख		
संगठित क्षेत्र	19.9	16.46	14,072	27,815
लघ क्षेत्र	10.1	10.04	15,893	46,687
योग	30.0	26.50	29,965	74,502

संगठित क्षेत्र के आंकड़े डी० जी० टी० डी० को प्रस्तुत विवरण पर आधारित हैं, लघु क्षेत्र के आंकड़े अनिवार्यतः अनुमान हैं ।

(ग) रेडियो के उत्पादन में कंपनियों का शेअर जहाँ विदेशी साम्य का अनुपात 40% से अधिक है, निम्नानुसार है :–

1972	17·69 लाख
1973	13·92 लाख

ऐसी कम्पनियों का टी० वी० रिसीवरों के उत्पादन म कोई शेअर नहीं है, क्योंकि विदेशी साम्य पूंजी वाली किसी कंपनी को टी० वी० सेटों के उत्पादन का लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

इलक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम के लिये विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहन

2987. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत में इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में अपने क्रिया-कलापों का विस्तार करने के लिये विदेशी इक्विटी कम्पनियों को प्रोत्साहित नहीं करेगी ;

(ख) क्या फिलिप्स इण्डिया को बहुत बड़ा विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वित करने की मंजूरी दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पर्याप्त विदेशी साम्य पूंजी वाली कंपनियों के विस्तार से संबद्ध सरकारी नीति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसार विनियमित होती है। सरकार ने मोटे तौर पर घोषणा की है कि ऐसे विस्तार को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, अपवाद स्वरूप वे स्थल हैं, जहां निर्यातों के जरिये लाभ हो अथवा उस परिष्कृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता हो, जिसे उच्च मूल्य पर तथा अधिक समय विलंबों के अलावा अन्यथा प्राप्त करना कठिन होगा।

(ख) और (ग) फिलिप्स (इण्डिया) लि० अपनी वर्तमान क्षमता को बढ़ाने अथवा नई मद्दों का उत्पादन करने के संबंध में जो प्रस्ताव कर रही है, उन पर सरकार को उक्त नीति के प्रकाश में विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय डिज़ाइन सम्बन्धी समिति (कमेंटी आन नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन) का प्रतिवेदन

2988. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान संबंधी पुनरीक्षण समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) समिति की प्रमुख सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। समीक्षा समिति की रिपोर्ट की प्रतियां संसद लाइब्रेरी को भेजी जा चुकी हैं।

(ग) सरकार समिति की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विवरण

थापर कमेटी द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में बताने वाला विवरण

1. नई शासी परिषद का सर्व प्रथम कार्य एक उपयुक्त निदेशक खोल निकालना तथा उसे अपना कार्य करने के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना ;

2. इस रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशें पूरी करने हेतु विद्यमान थोड़े से कर्मचारियों में वृद्धि करके उन्हें मान्यता प्रदान करना ;

3. संस्थान को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को व्यवसायी बनाने के लिए तैयार करे। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ऐसा होना चाहिए जिससे उच्चकोटि के मानक तैयार किए जा सकें। वर्तमान की अपेक्षा विद्यार्थियों का दायरा इस तरह व्यापक बनाया जाये कि उससे विद्यमान अनुरूप केरियर संबंधी अवसर प्रदान करने के अनुरूप बृहत्तर कार्यक्रम बनाये जा सकें ;

4. विद्यार्थियों के लिए समुचित निवास व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

5. विद्यार्थियों को विस्तार केन्द्र अथवा किसी अन्य स्थान में इंटर्नशिप की अवधि में कार्य करना चाहिए;

6. शासी परिषद की सदस्यता का विस्तार करने का विचार है ;

7. शासी परिषद के अधीन एक स्थायी समिति तथा कर्मिकों, वित्त तथा बजट, भवन तथा निर्माण कार्यों व चयन प्रबंध समिति सहित समितियां बनाने का विचार है ;

8. प्रबंध संस्थानों द्वारा वेतन तथा कर्मचारी नियमावली विनियमित करने हेतु एक ढांचे की सिफारिश की गयी है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि शासी परिषद तथा निदेशक को चाहिये कि वे कर्मचारियों संबंधी विनियमों का उदाहरणात्मक योजना के रूप में इसका अध्ययन करें तथा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजायन की व्यवस्था के अनुरूप एक योजना तैयार करें।

9. **योजना तथा कार्यक्रम**

कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :

1. शिक्षा,
2. प्रशिक्षण,
3. अनुसंधान,
4. सेवा,
5. परामर्श, तथा
6. विस्तार।

10. रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है कि संस्थान द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाये तथा आवर्ती व पूंजीगत व्यय हेतु एक योजना बनाये जाने की व्यवस्था की जाये;

11. सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाईन को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाना चाहिये ताकि वह डिग्रियां व डिप्लोमा आदि प्रदान करने में समर्थ हो सके;

12. एतद्पश्चात् संस्था विभिन्न विशिष्टताओं वाले त्रिवर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम चलायेगा। इन विशिष्ट कार्यक्रमों में एक या दो वर्ष लगेंगे जो पाठ्य क्रम के विषय पर निर्भर करेगा। इस प्रकार संस्था एक पंचवर्षीय कार्यक्रम चलायेगा जिससे विद्यार्थी किसी विशिष्ट विषय म अर्हता प्राप्त कर सकेगें। प्रोद्योगिकी अथवा भवन निर्माण विद्या के स्नातक तीन वर्षों के आधारभूत डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करेंगे;

13. अल्पकालिक पाठ्यक्रम में इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि कार्मिक बाहर भी जायें जो बाहरी संस्थानों, उद्योगों तथा सरकार की आवश्यकता पर आधारित होगा ;

14. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाईन में और अधिक गहन तथा विशिष्टपूर्ण पाठ्क्रम चलाने हेतु दीर्घकालिन चुने हुए शिक्षक लाये जाने चाहिये ;

15. एन० आई० डी० को स्वयं अपने यहां अनुंसधान, प्रांरभ करना चाहिये और दूसरों को सौंपे गए कार्य करें जिनमें मूलभूत तथा व्यावहारिक अनुसंधान भी शामिल होना चाहिये ;

16. संस्था के शिक्षण तथा अनुसंधान कायर्क्रमों में परियोजनाओं तथा सौंपे गए कार्य का एक दूसरें से संबंध होना चाहिये । इस कार्य के लिए एक अलग प्रभाग होना चाहिये । संस्थान को अदायगियां तो की जायें परन्तु फीस के एक भाग का वितरण करने हेतु एक औपचारिक पद्धति भी बनायी जानी चाहिये । अदायगियां प्रमुख रूप से नेशनल इस्टीटयूट आफ डिजाईन की निधि में सहायक होनी चाहिये . और उसका कुछ हिस्सा सुविधायें बढ़ाने में व्यय किया जाना चाहिये । यह प्रभाग अपने आप कार्य करने में समंर्थ होना चाहिये ;

17. डिजाईन से हुए लाभ शीघ्र ही प्रदर्शित किए जाने चाहियें । एन० आई० डी० में सम्पर्क सुविधा भी स्थापित की जानी चाहिये जो बाहरी पत्र व्यवहार तथा उनका उत्तर देने के लिए प्रभारी होगी ;

18. राजधानी नगरों में राज्य लघ उद्योग संस्था के सहयोग के विस्तार केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये ;

कर्मचारियों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते के भुगतान में कमी करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अधिक कर्मचारियों की भर्ती

2989. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान प्रति वर्ष अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करता है ;

(ख) क्या इस संस्थान की खराब आर्थिक स्थिति का यह भी एक मुख्य कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने समयोपरि भत्ते के लिये आर्थिक आवंटन करने के स्थान पर तथा वर्तमान कर्मचारियों के कार्यभार को कम करने के लिये अधिक कर्मचारियों को भर्ती करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो भर्ती कब की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अपने स्टाफ को 1973–74 के दौरान अदा किए **गए ओवर** टाईम भत्ते की राशि 1 करोड़ रुपये से बढ़ जाने की सूचना मिली है ।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान लागतों में हुई व्यापक वृद्धि जिसमें कोयला, ईधंन, तेल तथा अन्य सामग्रियों और शिब्बंदी लागतों में हुई वृद्धि शामिल हैं, के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस में कथित भ्रष्टाचार

2990. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21, मई 1974 के समाचार-पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव ने सरकार के नोटिस में लिखित रूप से यह बात लाई है कि दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों में बड़े पैमान पर भ्रष्टाचार व्याप्त हैं ;

(ख) क्या शिकायत-पत्र में विशिष्ट पत्र में नामों का भी उल्लख किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितन वरिष्ठ अधिकारी अन्तग्रस्त है, उनक रैंक क्या है और विशष शिकायतें क्या है और क्या इस बारें में कन्द्रीय जांच ब्यूरों को जांच करने का आदेश दिया गया है और यदि नहीं, तो इसकं क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान 21 मई, 1974 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है । यह कहना सही नहीं है कि मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों में भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात सरकार के ध्यान में लाई है । तथापि एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी जिसम दिल्ली पुलिस में पांच पुलिस उप अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर क पद क छह अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे । दिल्ली प्रशासन से एक रिर्पोट मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा है । इस अवस्था में कन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी नदियों से गंगा के जल को बढ़ाने के बारे में अध्ययन

2991. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वी नदियों से गंगा के जल को बढ़ाने के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या फारक्का बांध को तब तक चालू नहीं किया जा सकता जब तक पूर्वी नदियों से गंगा के जल को बढ़ाने संबंधी कार्य पूरा नहीं हो जाता; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बांध को चालू होने से रोकने के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत और बंगला देश के प्रधान मंत्रियों की 16 मई, 1974 की सयुंक्त विज्ञप्ति के अनुसरण में भारत-बंगला देश सयुक्त नदी आयोग ने भारत और बंगला देश को क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम समुपयोजन द्वारा गंगा के खुश्क मौसमी प्रवाह में वृद्धि करने के संबंध में अध्ययन के लिए संबंद्ध आंकड़ों के आदान-प्रदान की शुरूआत कर ली है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) बराज के चालू करने में रूकावट नहीं पड़ी है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में फालतू पुर्जों का संकट

2992. श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान महत्वपूर्ण फालतू पुर्जों के अभाव के कारण संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महत्वपुर्ण पूर्जों को प्राप्त करने में विलम्ब होने के फलस्वरूप बायलरों तथा मिलों दोनों में गम्भीर दोष होते जा रहे हैं ।

(ग) क्या कछ मिलों में देश में निर्मित पुर्जों का उपयोग होता था ; और

(घ) यदि हां, तो इनका उपयोग किये जाने का क्या परिणाम रहा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, वह किसी संकट का सामना नहीं कर रहा यद्यपि कुछ फालतू पर्जे (स्पेअर पार्टस) : जिनका आयात किया जा रहा है, अभी प्राप्त होने है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कछ फालतू पुर्जों का कार्य निष्पादन तथा जीवनकाल आयातित फालतु पुर्जों के बराबर नहीं है ।

पांचवीं योजना में कोयले के मुहानों के पास विद्युत संयंत्रों का स्थापित किया जाना

2993. श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
सिंचाई और विद्युत मंत्री :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले खानों के मुहानों के पास विद्युत संयंत्रों के स्थापित करने का है ;

(ख) क्या इस संबध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पांचवीं योजना में कोयले खानों के मुहानों के पास कितने विद्युत सयंत्रों को स्थापित किया जा रहा है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कई विद्युत केन्द्र कोयला खानों के निकट स्थित है । पांचवीं योजना के दौरान इन विद्युत केन्द्रों में निम्नलिखित वृद्धियां करने का प्रस्ताव है :—

राज्य/परियोजना		अतिरिकत क्षमता (म०वा०)
मध्य प्रदेश	कोरबा	320
	अमरकंटक	240
	सतपुड़ा	200
महाराष्ट्र	कोराड़ी	1,080
आध्रं प्रदेश	कोठागूड़म	220
उड़ीसा	तालचर	220
उत्तर प्रदेश	ओबरा	1,200
ट्रावनकोर घाठी निगम	दुर्गापुर	200
	बोकारो	200
	चन्द्रपुरा	360
पश्चिम बंगाल	संतालडीह	360
बिहार	पतरातु	440

वर्तमान केन्द्रों में उपर्युक्त विस्तार करने के अतिरिकत, पांचवीं योजना के दौरान केवल 200 मै० वा० के लाभों के साथ, बिहार में तेनुघाठ में 600मै०वा० क्षमता का नया ताप-विद्युत केन्द्र भी स्वीकृत किया जा चुका है ।

कोयला खानों के निकट सुपर-ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के भी प्रस्ताव है । विभिन्न क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों के निकट इन ताप-विद्युत केन्द्रों के लिए स्थलों का चयन करने के निमित केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के सदस्य (तापीय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और उसकी रिपोंट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बदरूपुर और भंटिडा में ताप विद्युत संयंत्र

2994. श्री पी० गंगादेव :

श्री डी०डी० देसाई :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बदरपुर तापीय संयंत्र में 100 मगावाट के दूसरे यूनिट तथा पंजाब म भंटिडा तापीय संयंत्र में 100 मगावाट के पहले यूनिट को चालू करने का है :—

(ख) यदि हां, तो कब तक इन यूनिटों को चालू किया जायेगा ; और

(ग) पांचवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में देश में कुल कितनी अतिरिकत विद्युत का उत्पादन किया जायेगा :

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दोनों यनिटों के अगस्त–सितम्बर, 1974 में चालू होने की सम्भावना है ।

(ग) पांचवीं योजना से प्रथम दो वर्षों में लगभग 5 मिलियन किलोवाट की कुल अतिरिकत क्षमता चालू होने की सम्भावना है ।

Activities of C.I.A. in a Jabalpur College

2995. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards a news-item in a Hindi weekly dated the 28th April, 1974 to the effect that Jabalpur Theological College is a den of C.I.A. agents; and

(b) if so, the facts thereof and the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Government have seen the relevant news-item. Facts are being ascertained.

पोस्टल जीवन बीमा पालिसियां

2996. श्री वेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून 1974 तक की अवधि के दौरान पोस्टल जीवन बीमा की पालिसियों से संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और वे कुल कितनी राशि की थीं, और

(ख) इस व्यापार का पढ़ाने के कौन-कौन से प्रयास किए जायेंगे ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जनवरी से जून, 1974 तक प्राप्त सं० 30,865 डाक जीवन बीमा के प्रस्ताव राशि रु० 14.99 करोड़

(ये आंकड़े कुल प्राप्त व्यवसाय को बताते हैं, न कि पहली प्रीमियम की अदायगी के जरीये प्राप्त होने वाले वास्तविक व्यवासय को) ।

(ख) डाक जीवन बीमा व्यवसाय के आंकड़ों को हर वित्तीय वर्ष में समिलित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1973–74 के दौरान प्राप्त किया गया वास्तविक व्यवसाय नीचे लिखे अनुसार था :–

संख्या 32,638

राशि रु० 14.63 करोड़

पिछले वित्तीय वर्ष 1972–73 में प्राप्त व्यवसाय की तुलना में वर्ष 1973–74 के दौरान व्यवास में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

डाक व जीवन बीमा व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किये जा रहे हैं :–

(i) प्रचार सामग्री जसे पेम्फलेट और पोस्टर प्रकाशित किए गए हैं और प्रचार अभियान के समय उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ii) डाक जीवन बीमा का काम करने वाले प्रत्येक डाक-तार सर्किल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे वे चालू वर्ष के दौरान पूरा करेंगे । सर्किल में भी प्रचार अभियान शुरू कर दिया है ।

(iii) पिछले वर्ष 11 अतिरिक्त विकास अधिकारी मंजूर किए गए थे ।

(iv) विकास अधिकारियों और फिल्ड गाइडों के जरिए प्राप्त व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन राशि की अदायगी की एक प्रणाली प्रलन में है और इससे अच्छे परिणाम निकल रहे हैं ।

डाक तथा तार विभाग में सामान की चोरी

2997. श्री अरबिन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 और 1973 के बीच डाक तथा तार विभाग में सामान की चोरी के दस मामलों का पता चला था ।

(ख) यदि हां, तो उनमें चोरी गए सामान के बारे में तथ्य क्या हैं और उनका मूल्य कितना था, और

(ग) स्टोर्स के सुरक्षा उपायों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) डाक-तार विभाग में 1-4-71 से 31-3-73 के दौरान चोरी के कारण तार भंडार के नुकसान की रिपोर्ट कई मामलों में प्राप्त हुई है जो कि दस से कहीं ज्यादा है । इस अवधि में टेलीकाम अलाइनमेंट के ताम्बे के तार की चोरी के मामल 55309 ह । इस अवधि के दौरान तार भंडार डिपो से स्टोर की चोरी के मामलों की संख्या 212 है । इस अवधि में डाक भंडार डिपुओं से 2000 रुपये से अधिक मूल्य की चोरी के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) (i) टेलीकाम अलाइनमेंट से ताम्बे के तार की चोरी :-

वर्ष	मामलों की संख्या	मूल्य रुपयों में
1971-72	31940	2,09,47,426
1972-73	23369	1,42,60,815
(ii) तार भंडार डिपुओं से सामग्रियों की चोरी :		
1971-72	111	2,05,378
1972-73	101	14,97,052

(ग) (i) तार अलाइनमेंट से ताम्बे के तार की चोरी से नुकसान को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : -

(1) ताम्बे के तार को उत्तरोत्तर ए०सी० एस०आर० और ताम्बा झले तार से बदलना, जिसमें चोरी की वारदातों वाले इलाकों को प्राथमिकता दी गई है ।

(2) ऊपरी लाइनों के मांगों को बदलने के लिए कोएक्सियल केबुल और माइक्रोवेव जाल का धीरे-धीरे विस्तार करना ।

(3) टेलीग्राफ तार (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 में संशोधन करना ताकि प्रथम अपराधियों के मामले में भी भारी सजा दी जाए ।

(4) राज्य के पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना ।

(ii) भंडार डिपुओं से चोरी रोकने के लिए सुरक्षा कर्मचारी सक्रिय निगरानी रखते हैं और ज्यादा सतर्क रहते हैं । गोदामों की इमारती सुरक्षा में भी सुधार लाया गया है ।

नेशनल इन्स्ट्रुमेंटस लिमिटेड में उत्पादन

2998. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान नेशनल इन्स्ट्रुमेंटस लिमिटेड का उत्पादन कम हुआ था ।

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी-नहीं, पिछले पांच वर्षों के उत्पादन आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :-

		(रुपये लाख में)
1	1968-69	39.73
2	1969-70	41.41
3	1970-71	65.22
4	1971-72	107.77
5	1972-73	111.55

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उत्पादन बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं । 1973-74 में उत्पादन बढ़कर 302.20 लाख रुपए का हो गया है ।

समाचार पत्रों की आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी तथ्यों का पता लगाने वाली समिति को सौंपे गए कार्य का पूरा होना

2999. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपय करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों की आर्थिग व्यवस्था संबंधी तथ्यों का पता लगाने वाली समिति अपना काम जून, 1975 से पुर्व पूरा कर लेगी ;

(ख) यदि नहीं तो क्या इस समिति के कार्यकाल में और वृद्धि की जायेगी ! और

(ग) क्या सरकार इस समिति के कार्यकाल में वृद्धि करते समय इस समिति पर अपना काम शीघ्र करने की वांछनीयता के लिए जोर डालेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) से (ग) समाचारपत्रों की अर्थ व्यवस्था संबंधी तथ्य अन्वेषण समिति का काम जून, 1974 तक मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि कुछ समाचारपत्रों ने समिति द्वारा अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं किए और उनमें से एक समाचार-पत्र ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पेटिशन भी दायर कर दी जिसमें समिति के गठन और जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों को समिति को प्रदान करने की वैधता को चुनौती दी गई। तथापि, न्यायालय ने 22 अप्रेल, 1974 के अपने निर्णय में प्रार्थियों के मुख्य तर्कों को तो रद्द कर दिया, किन्तु साथ साथ यह विचार व्यक्त किया कि जानकारी मांगने के अधिकार सहित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय अधिकार, वैध रूप से समिति को प्रदत नहीं किये गये। न्यायालय के निर्णय के पश्चात सरकार ने दोषी समाचारपत्रों से जानकारी मांगने के लिए समिति को आवश्यक अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये ह। दोषी समाचारपत्रों से समिति की प्रश्नावली के उत्तर मांगने के लिए नये कानूनी नोटिस जारी करने पड़े।

इन परिस्थितियों में सरकार के लिए समिति के कार्यकाल को 31 दिसम्बर, 1974 तक बढ़ाना आवश्यक हो गया। समिति को उम्मीद है कि वह इस तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

बैंकों द्वारा लघु उद्योगों से ब्याज की अधिक दर लिया जाना

3000. श्री मधु लिमये : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि बैंकों द्वारा ब्याज की अधिक दर लिये जाने के कारण लघु उद्योगों और सहायक कारखानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक तथा कर्मशियल बैंक सहायक उद्योगों को बड़े कारखाने मानते हैं और 15 प्रतिशत ब्याज लेते हैं ; और

(ग) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय ने लघु उद्योगों के लिये ब्याज की दर कम करने सम्बन्धी सामान्य प्रश्न पर और विशेष कर लघु क्षेत्र में सहायक कारखानों से ब्याज की अत्यधिक दर लिय जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के साथ विचारविमर्श किया है या करेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) लघु औद्योगिक एककों को रियायती दर पर ब्याज सुलभ है जो अन्य क्षेत्रों के उद्योगों पर लागू ब्याज दर से 1% कम है। किन्तु लघु उद्योग क्षेत्र के उन सहायक एककों को जिनका पूंजी विनियोजन 7.5 लाख और 10 लाख रुपये के बीच है, इस रियायती दर पर ब्याज नहीं मिलता है।

(ख) प्रत्येक बैंक की ब्याज दर अलग-अलग होती है। 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच पूंजी निवेश वाले सहायक एककों को मझौले और बड़े क्षेत्रों के अन्य उद्योगों की भांति समझ जाते हैं।

(ग) सहायक एककों जिनका पूंजी विनियोजन 7.5 लाख और 10 लाख रुपये के बीच है क अलावा लघु औद्योगिक एककों की ब्याज दर में 1% की रियायत पहले से ही उपलब्ध है। रिजर्व बक आफ इण्डिया ने उन्हें क्रेडिट गारन्टी योजना के अन्तर्गत रखने के प्रश्न को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

लघु औद्योगिक और सहायक एकक के लिये संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की सीमा

3001. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुम औद्योगिक एककों के लिये संयत्र और मशीनरी के मूल्य पर 7.5 लाख रुपये की सीमा लागू की गई थी ;

(ख) क्या लघु सहायक एककों के लए संयत्र और मशीनरी के मूल्य पर 10 लाख रुपये की सीमा लागू की गई थी ;

(ग) क्या उसके बाद पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या सरकार लघु निर्माताओं की कठिनाई को दूर करने हेतु इन अधिकतम सीमाओं में संशोधन करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) और (घ) लघु उद्योगों के लिए मशीनरी के बढ़ते हुए मूल्य के पुनरीक्षण करने क् प्रश्न पर लघु उद्योगों की बोर्ड की पिछली बैठक में 23 जनवरी, 1974 को बढ़े मूल्यों के संदर्भ म विचार विमर्श किया गया था। मत विद्यमान सीमा को बनाये रखने के बारे में था।

गुजरात सरकार द्वारा भावनगर की मैसर्स हय्यात एण्ड कम्पनी को काली सूची में शामिल किया जाना

3002 **श्री मधु लिमये :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भावनगर के मैसर्स हय्यात एण्ड कम्पनी को काली-सूची में शामिल किया है ?

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उनके टेलिविजन सेट बनाने अथवा इलैक्ट्रोनिक्स का सामान बनाने के लिये कोई लाइसेंस न दिया जाये ;

(ग) क्या इस अनुरोध के बाबजूद सरकार (इलैक्ट्रानिक्स विभाग) ने इस फर्म को टेलीविजन सेट बनाने का लाइसेंस दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह निर्णय किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के कारण लिया गया है ;

(ङ) क्या इस निर्णय को बदला जायेगा और काली पूची में दर्ज फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी/बहिष्कार किया जायेगा/आयात तथा अन्य लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे, और

(च) क्या इस प्रकार के अनैतिक निर्णय के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) अप्रैल, 1963 से मार्च, 1965 के बीच दो वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स हयात एण्ड कंपनी गुजरात सरकार ने कोई सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया था।

(ख) एवं (ग) टी० वी० सेटों के निर्माण करने हेतु इस कंपनी के आवेदन की राज्य सरकार ने जोरदार सिफारिश की तथा 1972 में लाइसेंस दे दिया गया।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमूर में कांडु गांव में बन्धक दास प्रथा समाप्त किया जाना

3003. **श्री मधु लिमये :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमूर जिले में कांडू गांव में अभी भी बन्धक दास प्रथा जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस व्यवस्थां को समाप्त करने के लिये कोई कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) जी नहीं , श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये ग्रावास बस्तियां

3004. श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या **संचा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए ग्रावास बस्तियों हेतु वष 1974–1975 में कोई घनराशि नियत की गई है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार ग्रौर र्सकिलवार ग्रौरपंजाब र्सकिल के मामले में कितनी घनराशि नियत की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण पत्र के ग्रनुसार ।

विवरण

स्टाफ क्वार्टरों का र्सकिलवार बंटवारा

1	डाक व तार र्सकिल 2	(भूमि व इमारतें) (ग्रोवरहैड शामिल नहीं है) (रुपये हजारों में) 3
1.	ग्रांध्र	1794
2.	बिहार	160
3.	गुजरात	2345
4.	जम्मू व कश्मीर	526
5.	करनाटक	1108
6.	केरल	1272
7.	मध्य प्रदेश	720
8.	महाराष्ट्र	318
9.	उत्तर-पुर्वी	2055
10.	उड़ीसा	1081
11.	पंजाब	41

1 2	3
12. राजस्थान	492
13. तमिलनाडु	1426
14. उत्तर प्रदेश	2129
15. पश्चिम बंगाल	856
टेली फोन जिले	
16. अहमदाबाद	215
17. बंगलूर	641
18. बम्बई	3779
19. कलकत्ता	215
20. दिल्ली	343
21. हैदराबाद	969
22. कानपुर	71
23. मद्रास	1693
24. नागपुर	2
25. पूना	3
दूसरे यूनिट	
26. तकनीकी व विकास सर्किल जबलपुर	136
27. मुख्य नियंत्रक, तार भंडार कलकत्ता	1
28. महा प्रबंधक, टेलीकाम फैक्टरीज कलकत्ता	11
योग (ओवर हैड शामिल नहीं)	24403
ओवर हैड जमा करें	2297
कुल योग	26700

1	2	3
	पंजाब सर्किल में राज्यवार बंटवारा	
पंजाब		21
हरियाणा		9
हिमाचल प्रदेश		10
चण्डीगढ़ केन्द्र शासित		1
	योग	41

डाक कर्मचारियों के लिये खेल-कूद

3005. श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार कर्मचारियों में खेल कूद के प्रचार के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योज में क्या व्यवस्था की गई है ; और

वर्ष 1974-75 में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में खेल-कूद के लिए कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) साढ़े तीन लाख रुपये ।

केरल में विमान डाक सेवा

3006. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में केरल के प्रमुख और महत्वपूर्ण नगरों के बीच विमान डाक सेवा आरम्भ करने की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शर सिंह) : (क) और (ख) केरल में सिर्फ त्रिवेन्द्रम और कोचीन ही ऐसे स्थान हैं जो हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। इन स्थानों से होकर जाने वाली विमान सेवाओं का इस्तेमाल डाक लाने ले जाने के वास्ते पहले से ही किया जा रहा है। जैसे जैसे दूसरे स्थान हवाई मार्ग से संवद्ध होते जाएंगे वैसे-वैसे डाक लाने ले जाने के लिए उन मार्गों की हवाई सेवा ों का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाए गी।

केरल में टायर व ट्यूब का निर्माण करने वाली परियोजनाओं के लिये प्रार्थना

3007. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में केरल सरकार से अपनी परिवहन पद्धति में सुधार करने हेतु टायर तथा ट्यूब मिर्माण करने वाली एक परियोजना को स्वीकृति देने के लिये प्रार्थना प्राप्त हुई है, ताकि इन दोनों वस्तुओं को बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : केरल सरकार से राज्य में टायर तथा ट्यूब बनाने वाली किसी भी परियोजना के स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया है। हां मैसर्स केरल स्टेट कोआपरेटिव रबर मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने केरल राज्य में गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब बनाने हेतु एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। फेडरेशन को प्रतिवर्ष 3-3 लाख गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब बनाने तथा 2 लाख गाड़ियों के प्लैप्स आच्छादन बनाने हेतु 26 जून, 1974 को एक आशय पत्र दिया गया है।

केरल में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनायें

3008. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सिंचाई तथा विद्यत परियोजनायें कौन कौन सी हैं ;

(ख) इस समय केरल में कितनी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनायें केन्द्रीय सरकार विचाराधीन हैं ;

(ग) गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी धन राशि पर केरल राज्य सरकार को कुल कितनी धन राशि की वित्तीय सहायता दी गई ; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1974–75 में राज्य सरकार को कुल कितनी राशि की सहायता देने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सिंचाई अथवा विद्युत परियोजना नहीं चलाई जा रही है ?

(ख) राज्य क्षेत्र में 10 नई सिंचाई तथा 5 नई विद्युत उत्पादन स्कीमों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सहायता समस्त राज्य योजनाओं में धन लगाने के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा विकास के किसी विशेष क्षेत्र अथवा परियोजना से इसका कोई संबंध नहीं होता । केरल को दी गई सहायता 1972–73 में 36.70 करोड़ रूपये, 1973–74 में 35.72 करोड़ रूपये थी 1974–75 के लिए 35.72 करोड़ रूपये की सहायता देने का प्रस्ताव है ।

केरल में ग्राम्य इन्जीनियरिंग सर्वेक्षण

3009 श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केरल में कोई ग्राम्य इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि स्वीकृत की गयी है और गत तीन वर्षों के दौरान इस ग्राम्य इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) सर्वेक्षण के अन्तर्गत अब तक–जिले वार तथा वर्ष–वार लिये गये गांवों के नाम क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल के लिए ग्राम इंजिनयरी सर्वेक्षण स्कीम अक्तूबर, 1971 में स्वीकृत की गई थी तथा राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य 1972–73 वर्ष में प्रारम्भ किया गया था ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए राज्य सरकार को कुल 5.03 लाख रूपये का सहायता अनुदान दिया गया । कन्नौर जिले में ग्राम वार इंजीनियरी सर्वेक्षण तथा भू-सर्वेक्षण शुरू किये गए है । इस जिले में 9 गांवों में इंजीनियरी सर्वेक्षण तथा 14 गांवों में भू-सर्वेक्षण पूरे कर लिए गये है । राज्य सरकार ने गांव -वार रिर्पोटों को अभी तक तैयार नहीं किया है ।

(ग) वर्ष वार सर्वेक्षण किए गए गांवों के नाम निम्नलिखित है :—

वर्ष	ऐसे गांवों के नाम जहां इंजीनियरी सर्वेक्षण पुरे किए जा चुके हैं।	ऐसे गांवों के नाम जहां भू-सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं।
1971—72	1. कुछ नहीं	कुछ नहीं
1972—73	1. पुझाथी	1. पुझाथी
	2. पप्निसारी	2. पप्पिनेसारी
		3. चीराक्कल
		4. वलपत्तनम
1973—74	3. चिराखल	5. अजबीकोड़
	4. अजबीकोड़	6. एडाक्कड़
	5. एडाक्कड	7. मुझाप्पींलंगड
	6. मुझाप्पीलंगड	8. मकरेरी
	7. मकरेरी	9. कालियास्सरी
	8. कासीजीरोडे	10. कदनाप्पली
		11. मावलियाई
	9. मुंडेरी	12. कदमबुर
		13. चेम्बीलोडे
		14. चेरूथाझानी

हिन्दुस्तान लीवर प्रोडैक्टस के मुल्य

3010 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर प्रोडक्टस के मूल्य भारत के बाजार में अत्याधिक बढ़ गये है और इसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या बाजार में कमी पैदा करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान लीवर्ज ने अपनी निर्मित वस्तुओं की जमाखोरी कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच कराने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिर्जव पुलिस का राज्यों में बार-बार तैनात किया जाना

3011. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिर्जव पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की सेवाओं का उपयोग राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में बार-बार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वे राज्यसंघ शासित क्षेत्र कौन-कौन से है जहां 1 जनवरी, 1973 से 30 जून 1974 की अवधि में केन्द्रीय रिर्जव पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की सेवाओं का उपयोग किया गया ; और

(ग) इनको तैनात करने के क्या कारण है ।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) कानून व व्यवस्था बनाये रखने में राज्य सरकारों प्रशासन की सहायता करने के लिए केन्द्रीय रिजव पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां तैनात की गई थी ।

विवरण

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जिन में 1-1-1974 से 30-6-74 तक की अवधि में आन्तरिक सुरक्षा कार्य के लिए केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल तैनात किये गये थे ।

राज्य
1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. जम्मू और काश्मीर
6. कर्नाटक
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. मध्य प्रदेश
10. मणिपुर

राज्य
11. मेघालय
12. नागालड
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. तमिलनाडु
17. त्रिपुरा
18. उत्तर प्रदेश
19. पश्चिमी बंगाल
संघ शासित क्षेत्र
1. अंडमान और निकोबार
2. अरूणाचल प्रदेश
3. चडीगढ़
4. दिल्ली
5. लक्षद्वीप
6. मिज़ोरम
7. पांडिचेरी
8. गोवा दमन और दीव

सेन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, दुर्गापुर, द्वारा विकसित प्रक्रियाएं

3012. **श्री मुखतियार सिंह मलिक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सैन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट दुर्गापुर ने कितनी प्रक्रियाएं विकसित की हैं ;

(ख) सरकार ने अब तक कितनी प्रक्रियायों का उपयोग किया है ? और

(ग) क्या इन्स्टीच्यूट के कार्यकरण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को एक विस्तृत जांच करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मार्च, 1974 तक संस्थान द्वारा 128 औद्योगिक परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी है।

(ख) सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्रों ने ग्यारह परियोजनाओं का उपयोग किया है।

(ग) जी, नहीं। संस्थान के विभिन्न विभागों के लिये अनुसंधान कार्यक्रमों पर परामर्श देन के लिये संस्थान की कार्यकारी समिति द्वारा पहिले ही विशेषज्ञों के पैनल गठित कर दिये गये हैं। इनमें सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रों/प्रमुख औद्योगिक संगठनों और शिक्षण संस्थाओं को प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व है।

समाचार एजेंसियों को सरकारी निगम में बदलना

3013. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार एजेंसियों को सरकारी निगम में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यरूप दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

पांचवीं योजना में आंध्र प्रदेश के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाएं

3014. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कौन कौन सी ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं को शुरू किया जायेगा; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना का आकार तथा विस्तार अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। बहरहाल, आन्ध्र प्रदेश में योजना के दौरान 5781 ग्रामों में विद्युतीकरण और 97,070 पम्पों के ऊर्जन का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित परिव्यय 56 करोड़ रुपये का है (सामान्य राज्य योजना कार्यक्रम के लिए 51 करोड़ रूपये और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ रुपये)। ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध होगी।

उड़ीसा में चूना उद्योग और हस्तनिर्मित कागज उद्योग के विकास के लिए सहायता

3015. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तनिर्मित कागज उद्योग और चूना उद्योग के विकास के लिए केन्द्रिय सहायता देने हेतु उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है जिसके लिए राज्य पर्याप्त रुप से उपयुक्त है और जिसमें भारी संख्या में अप्रयुक्त जनशक्ति को खपाने की क्षमता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और राज्य को दी जाने वाली प्रस्तावित तकनीकी और आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञापन और औद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र स्थित कारखानों का विस्तार करने के लिए मैसर्स फिलिप्स इण्डिया को अनुमति

3016. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इलैक्ट्रोनिकस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना किसी निर्यात दायित्व के महाराष्ट्र स्थित कारखानों का विस्तार करने की मैसर्स फिलिप्स इंडिया को अनुमति दी गई थी, जबकि उनके कलकत्ता स्थित कारखाने के विस्तार के लिए उन पर निर्यात दायित्व को पाबन्दी लगाई गई थी, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) फिलिप्स (इंडिया) लि० ने महाराष्ट्र स्थित अपने संयंत्र की रेडियो सेट उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र 29 अक्टूबर, 1968 को दिया था, जिसे लाइसैंसिंग समिति ने 31 मार्च, 1969 को स्वीकृति दे दी, उस समय रेडियो उत्पादन पर निर्यात दायित्व की कोई पाबन्दी नहीं लगाई जा रही थी । 14 मई, 1969 को आशय पत्र जारी कर दिया गया ।

इस कंपनी ने अपने कलकत्ता संयंत्र को क्षमता के विस्तार हेतु ऐसा ही एक आवेदन 3 फरवरी 1969 को दिया, जिस पर लाइसेंसिग समिति द्वारा 8 जून, 1969 को विचार किया गया । फरवरी 1970 में जारी औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार, लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित को मद्द तब तक किसी संगधिठत एकक को नहीं दी जा सकती, जब तक उस पर 75 % निर्यात का दायित्व न हो । चूंकि कम कीमत वाले रेडियो की मद्द आरक्षण हेतु विचाराधीन थी, (और तब से इसे अधिसूचित कर दिया गया है) इसलिये कलकत्ता संयंत्र विस्तार से संबद्ध मैं० फिलिप्स (इण्डिया) के आवेदन पर, उक्त माप दण्ड के अनुसार नियत दायित्व की पाबंदी लगा कर, निर्णय ले लिया गया ।

चौथी योजना की बिजली पैदा करने की योजनाओं को पांचवीं योजना में पूरा करना

3017. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के उत्पादन एवं इसकी मांग के आंकड़ों के बीच बहुत बड़े अन्तर का एक कारण यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरी की जाने वाली पन बिजली उत्पादन योजनाओं को पांचवी योजनावधि में ले जाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में पिछड़ने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। परियोजना वार कमी का विवरण संलग्न है (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8244/74)

आकाशवाणी को स्वायत्त निगम में बदलना

3018. **श्री पी० वेन्कटासुब्बैया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर यह मांग की गई है कि आकाशवाणी को स्वायत्त निगम बना दिया जाये ;

(ख) क्या इस मांग पर नये सिरे से विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कुछ क्षेत्रों में समय समय पर इस आशय की मांगें की गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोसी नदी पर बहु प्रयोजनीय बांध का निर्माण

3019. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** बहु-प्रयोजनीय बांधों के निर्माण के बारे में भारत-नपाल वार्ता के संबंध में 5 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी की नहरों में गाद जम जाने की समस्या को सदा के लिये खत्म करने, सिंचाई सुविधाओं को निरंतर सुनिश्चित करने, बाढ़ उन्मूलन तथा पर्याप्त बिजली का उत्पादन करने के लिए बराह क्षेत्र के निकट कोसी नदी पर बहु-प्रयोजनीय बांध का निर्माण करने के लिये नेपाल सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पूर्वी कोसी नहर में गाद भर जाने के प्रश्न की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने दिसम्बर, 1973 में दी गई अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि कोसी नदी की ऊपरी पहुंचों में गाद संचयन के लिए एक ऊंचे बांध हेतु अन्वेषण किया जाए। इस प्रकार के किसी ऊंच बांध के लिए, बांध के जीवनकाल, बांध और कोसी बराज तथा बराज के बाढ़ तटबंध से प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह के मध्य नदी क्षेत्र पर भी ध्यानपूर्वक विचार किया जाना होगा। इस सुझाव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरांत ही नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

रामेश्वर नगर पेपर मिल में उत्पादन

3020. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री रामेश्वर नगर, बिहार के कागज कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता के बारे में 6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2078 के उत्तर के संबंध में यह बतान की कृपा करेंगे कि रामेश्वर नगर में उत्पादन प्रारम्भ करने की समय सूची क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मूल समय सूची के अनुसार, एकक को इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ कर देना चाहिए। हां हाल की बाढ़ों से कारखाने के स्थापना स्थल मिलाने वाली सड़कों और रेलवे मार्ग को हुई हानि के कारण कुछ देर हुई है। हालांकि मात्रा का पता लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस संयंत्र द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की समय सूची का बाढ़ों से हुई हानि की मात्रा का निश्चित रूप से पता लगने के पश्चात् ही अनुमान लगाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में कोयले पर आधारित पेट्रोलियम संयंत्र स्थापित करने सम्बंधी योजना

3021. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कोयले पर आधारित पैट्रोलियम संयंत्र स्थापित करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई योजना मंत्रालय को प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से एक दस्तावेज (पेपर) प्राप्त हुआ है जिसमें रानीगंज कोयला-क्षेत्र में कोयले पर आधारित एक सिंथेटिक पैट्रोलियम संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना का सुझाव दिया गया है।

(ख) कोयले से सिंथेटिक पैट्रोलियम उत्पादन के तकनीकी-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

नार्गार्जुन सागर परियोजना की नहर व्यवस्था

3022. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना की नहर व्यवस्था को पूरा करने के हेतु पांचवी योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1974–75 के दौरान इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ख) इस परियोजना पर कार्यों की प्रगति और कार्यक्रम की जांच करने तथा इस परियोजना की नहर प्रणाली पर कार्यों में तेजी लाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सहायता के निमित्त सिफारिश करने के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा अभी हाल में एक दल का गठन किया गया था जिसमें केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस दल ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

राज्यों में विद्युत निगम स्थापित करने का आल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फैडरेशन द्वारा विरोध

3023. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इन्डिया पावर इंजीनियर्स फैडरेशन ने राज्यों में विद्युत निगम स्थापित करने के सरकारी प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अखिल भारतीय विद्युत इंजीनियरों के महासंघ ने विद्युत प्रदाय उद्योग के राज्य, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय स्तरों पर पुनर्गठन, क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन और केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की व्यवस्था के संबंध में कई सुझाव दिए हैं परन्तु उसने उत्पादन को वितरण से पृथक करने का समर्थन नहीं किया है। पुनर्गठन स्कीम को जिस प्रकार अंतिम रुप दिया गया है उसमें उत्पादन को वितरण से पृथक करने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाना है।

उद्योगों की ईंधन लागत में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय उत्पादित परिषद के सुझाव

3024. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने उद्योगों की ईंधन लागत में कमी लाने के लिये कुछ तकनीकियों के सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ईंधन की कार्यकुशलता सम्बन्धी परामर्शदात्री सेवायें प्रदान करती हैं जिनसे उद्योगों को मान्य तकनोलोजीकल सिद्धान्तों को अपनाने में सहायता मिलती है जिनके परिणाम स्वरूप उद्योगों को ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है। परिषद ने उद्योगों

की ईंधन की लागत को कम करने के वास्ते किसी विशेष प्रकार की ईंधन कौशल प्रविधि का ग्रविष्कार नहीं किया है। फिर भी इसमें देश में 1974 तक सामान्यत: ईंधन की खपत को 5 प्रतिशत कम करने का सुझाव देते हुए एक कार्यविधि पत्रका (वर्किंग पेपर) तैयार किया है। ये सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

बिजली घरों में ईंधन तल का उपयोग

3025. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में स्थापित होने वाले बिजली घर ईंधन तेल का उपयोग नहीं करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को इस तरीके से क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे विद्युत उत्पादन पर प्रभाव न पड़े ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विद्युत संयंत्र कोयले से जलने वाले होंगे तथा उनमें प्राथमिकता ईंधन के रूप में तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन संयंत्रों के लिए प्रर्याप्ति मात्रा में कोयले तथा गौण ईंधन तेल की व्यवस्था की जाएगी ताकि उत्पादन में कोई बाधा न आने पाए।

भू-केन्द्रों से राकेटों का मार्गदर्शन करने तथा उन पर नियंत्रण करने के हेतु उपकरण

3026. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भू-कन्द्रों से उड़ानों के दौरान राकेटों का मार्ग दर्शन करने तथा उन पर नियंत्रण करने के हेतु उपकरण का विकास किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) उड़ान के दौरान राकेट द्वारा स्वयं वहन किए गए उपकरणों के प्रयोग द्वारा, राकेटों का नियंत्रण करने के लिए एक निश्चल मार्गदर्शन-तकनीक का विकास किया जा रहा है। सभी आवश्यक उप-प्रणालियों से संबंधित विकास कार्य में प्रगति हो रही है, और कुछ उपकरणों का उड़ान संबंधी परीक्षण सफलतापूर्वक पहले ही किया जा चुका है।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना से प्रयोग किए गए ईंधन का तारापुर स्थित पावर रिएक्टर फ्यूल रि-प्रोसेसिंग प्लांट को सुरक्षित भेजा जाना

3027. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **ऊर्जा परमाणु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना से प्रयोग किये गये ईंधन को तारापुर स्थित पावर रिएक्टर फ्यूल रि-प्रोसेसिंग प्लांट में सुरक्षित भेजने के सुरक्षात्मक पहलुओं की जांच करने के बारे में अध्ययन शुरु हो गया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) न्यूक्लीय सामग्री के सुरक्षित परिवहन के सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं का अध्ययन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निरन्तर किया जाता है। क्योंकि राजस्थान परमाणु बिजली-घर में काम में आये ईंधन को पुन:संसाधन संयंत्र में 1975 के अन्त अथवा 1976 के प्रारम्भ तक भेजने का कोई विचार नहीं है, इस कारण से उपर्युक्त प्रकार का यथावश्यक विशिष्ट अध्ययन उस समय के आसपास तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

वर्ष 1974-75 के दौरान बिहार में पन-बिजली कारखाना स्थापित करने संबंधी बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

3028. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में वर्ष 1974–75 के दौरान पन-बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) बिहार सरकार ने चतुर्थ योजना के दौरान कार्यान्वियनार्थ 710 मैगावाट की कुल क्षमता की कोयल-कारों जल विद्युत परियोजना चरण–एक की स्कीम रिपोर्ट भेजी है। स्कीम की कुल अनुमानित लागत 138.40 करोड़ रुपये है। स्कीम की जांच की जा चुकी है और इसे तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाया गया है। परियोजना के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

3029. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा योजना आयोग में उड़ीसा की कितनी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ; और

(ख) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नई वृहत् तथा 10 नई मध्यम सिंचाई स्कीमों की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है। कोई भी परियोजना योजना आयोग की स्वीकृति के लिए निलम्बित नहीं पड़ी हैं।

मध्यम परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं (जोरो, बधुआ चरण–दो, हरभंगी, अपर सुकतेल, कौरिया तथा सुनेई) के संबंध में केन्द्रीय सरकार जल और विद्युत आयोग द्वारा भेजी गई

टिप्पणियों के उत्तर अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। बघलाती मध्यम सिंचाई परियोजना में अन्तर्राजीय पहलू शामिल हैं तथा इनके हल होते ही इन पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। शेष 3 परियोजानओं नामशः श्मैला, रामनदी चरण–एक तथा रेमल, के संबंध में तकनीकी सलाहकार समिति के लिए नोट तैयार किए जा रहे हैं।

बृहत् परियोजनाओं के संबंध में, बांध सिंचाई परियोजना पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों के उत्तर जुलाई, 1 74 में प्राप्त हुए हैं। इनकी तथा अन्य दो बृहत् परियोजनाओं नामशः भीम कुण्ड तथा बड़ानालाः की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है।

बड़े शहरों में नकली माल

3030. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश भर के बाजार विशेषतः बड़े शहरों के बाजारों में बैटरी सैलों तथा शेविंग ब्लेड्स के लोकप्रिय ब्रांडों के नकली माल भरे पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बुराई को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) : बाजारों में बैटरी सैलों तथा शेविंग ब्लैडों के अधिक नकली माल के बारे में इस मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता :

पोचमपद, निजाम सागर और नागार्जुन सागर परियोजनाओं का कार्य

3031. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोचमपद, निजाम सागर और नागार्जुन सागर परियोजाएं कार्यक्रम के अनुसार चल रहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक ने क्या प्रगति की है ?

सिचाई और विद्युत त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : पोचमपद परियोजना का चरण–एक, जो कि इस समय निर्माणाधीन है, में आंशिक ऊंचाई तक एक बांध तथा 113 किलोमीटर तक के लम्बाई तक दक्षिण तट नहर का निर्माण परिकल्पित है। बांध पर लगभग 97 प्रतिशत चिनाई कार्य तथा 92 प्रतिशत मिट्टी-कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 68 किलोमीटर तक नहर की खुदाई हो चुकी है। शेष भाग में खुदाई कार्य प्रगति पर है। इस चरण के अन्तर्गत 1.8 लाख हैक्टेयर की कुल शक्यता में से, मार्च 1974 तक 53,000 हैक्टेयर सिंचाई शक्यता के सृजन किये जाने की संभावना है।

नागार्जुन सागर परियोजना पर, बांध पूर्ण हो चुका है। दक्षिण तट नहर पर पहले 91.2 किलोमीटर तक तथा बांया तट नहर पर पहले 115 किलोमीटर तक कार्य पूरा किया जा चुका है तथा सिंचाई के लि इनमें जल छोड़ दिया गया है। अन्य पहुंचों में कार्य प्रगति पर है। 8.32 लाख हैक्टेयर की कुल सिंचाई शक्यता में से अब तक 4.13 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता का निर्माण किया जा चुका है।

वर्त्तमान निजामसागर परियोजना के कार्य में मुख्यतया इसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिये फाटकों का प्रतिष्ठापन सम्मिलित है ताकि जलाशय की खोई हुई संचयन क्षमता को पूरा किया जा सके जिसमें बहुत अधिक गाद जमा हो गई है। फाटकों का कार्य अभी हाल में पूरा हुआ है तथा मुख्य नहर और वितरणियों में सुधार कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार ने सूचना दी है कि नागार्जन सागर परियोजना पर निर्माण कार्य में देरी पर्याप्त धन के अभाव के कारण हुई है। पोचमपद तथा निजामसागर पर निर्माण कार्य की प्रगति अनुसूची के अनुसार हो रही है।

रिजनल मैनेजर मैन्टेनेन्स पूर्वी रेलवे कलकत्ता के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों का वेतन निश्चित करना

3032. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजनल मैनेजर मैन्टेनैन्स पूर्वी रेलवे, कलकत्ता के अधीन नियुक्त उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनका वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार निश्चित कर दिया गया है तथा बकाया वेतन का भुगतान किया जा चुका है और अब तक कितने कर्मचारियों के वेतन निश्चित नहीं किये गये ;

(ख) 1 जून, 1974 को रिजनल मन्टेनन्स मैनेजर कलकत्ता के अधीन लेखा अधिकारी पूर्वी क्षेत्र के कार्यालय में राशि सहित कितने समयोपरि भत्ते के बिल, यात्रा भत्ते के बिल तथा चिकित्सा बिल तथा अन्य दावे भुगतान के लिये विचाराधीन पड़े थ; और

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय में कर्मचारियों के दावों का भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) : जिन कर्मचारियों के वेतन नियत किए गए उनकी संख्या 1,566

बकाया की अदायगी	1,489
जिनका वेतन अभी नियत नहीं दिया गया ..	47

(ख)	बिलों की संख्या	राशि (लगभग) रुपये
समयोपरि भत्ते के बिल	2,128	2,04,264
यात्रा बिल ..	2,042	2,51,105
चकित्सा दावे	497	29,835

(ग) 47 मामलो में वेतन नियत करने में विलम्ब का कारण सेवा पुस्तिका/अभिलेखों का उपलब्ध न होना है। समयोपरि भत्ता, यात्रा भत्ता बिल, आदि से संबंधित दावे व्यक्तिगत दाबे, जिनका ऊपर उल्लेख है, उनके कार्यालय में 2 मास तक की अवधि से लम्बित हैं।

बिहार सर्किल में विभिन्न संवर्गों के पदों की संख्या

3033. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1974 तक बिहार सर्कल तथा पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में पृथक-पृथक विभिन्न संवर्गों (संवर्ग-वार तथा एकक वार) के कितने पद स्थायी किये जाने गए ; और

(ख) 30 जून, 1974 तक विभिन्न संवर्गों (संवर्ग-वार और एकक-वार) कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत-स्थित अमरीकी दूतावास का एक ग़ैर सरकारी जासूसी एजेंसी के साथ समझौता

3034. **श्री ज्योतिर्मयवसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित अमरीकी दूतावास ने सुरक्षा तथा आसूचना कार्य के लिए एक गैर सरकारी जासूसी एजेन्सी से करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या भारत स्थित किसी अन्य दूतावास ने भारत में गैर-सरकारी एजेन्सी से इस प्रकार का समझौता किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) इस प्रकार के समझौतों की ओर सरकार का रवैया क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी है कि अमरीकी दूतावास के प्राधिकारी अमरीकी सूचना सेवा भवन भावलपुर हाउस, उनके वायरहाउस, मथुरा रोड़, नई दिल्ली, अमरीकी कनसलटेंट जनरल बम्बई तथा अमरीकी सूचना सेवा बम्बई को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राइवेट एजेन्सियों के कर्मचारियों की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार को अन्य दूतावासों द्वारा ऐसे ही प्रबन्ध करने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) राजनैयिक मिशनों द्वारा भारत तथा विदेशों में सुरक्षा तथा वाच एण्ड वार्ड ड्यूटी के लिए प्राइवेट एजेन्सियों की सेवायें तथा कर्मचारियों का उपयोग करने की प्रथा प्रचलित है। सरकार जांच कर रही है कि क्या इस प्रथा को किसी प्रकार के विनियमन के अधीन लाने की आवश्यकता है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सैलुलर जेल का जीर्णोद्धार किया जाना

3035. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित सैलुलर जेल का जीर्णोद्धार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या वहां पर उन सभी भारतियों के नाम पत्थरों पर खुदवाये गये हैं जिन्हें स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने वहां बन्दी के रूप में रखा था ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सैलुलर जेल का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है ।

(ख) जीर्णोद्धार पर 4 लाख रुपये की धनराशि खर्च किये जाने की आशा है ।

(ग) सारे स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्हें सैलुलर जेल में बन्दी बनाया गया था एक सूची तैयार की गई है । मुख्य भूमि से संगमरमर की पट्टिकाओं के लाने का कार्य हाथ में ले लिया गया है । अन्तरिम प्रबन्ध के रूप में, लकड़ी की पट्टिकाओं पर नाम पेन्ट किये गये हैं जिन्हें बाद में संगमरमर की पट्टिकाओं द्वारा बदल दिया जायेगा ।

बाढ़ नियंत्रण उपाय सम्बन्धी योजना

3036. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या देश में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या दीर्घकालीन उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जा रही हैं । अधिक बाढ़ प्रवण नदी बेसिनों में इन योजनाओं को तैयार करने के लिए विशेष संगठन गठित किए गए हैं । असम सरकार द्वारा गठित ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग ऐसे संगठन हैं । केन्द्र ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गंगा बेसिन में बनाई गई योजनाओं को समेकित कर इस बेसिन बाढ़ नियंत्रण की विस्तृत योजना तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित किया है । राज्य तथा विशेष संगठनों द्वारा विस्तृत योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही देश में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना उपलब्ध होगी ।

बाढ़ नियंत्रण को दीर्घकालीन उपायों में ये शामिल हैं—बाढ़ों को संयत करने के लिये नदियों की ऊपरी पहुंचों में जल संचय जलाशयों तथा निम्न पहुंचों में तटबंध का निर्माण, नदी नियंत्रण कार्य, तलछट भार को कम करने के लिए नदियों के बाह्यक्षेत्र में भू-संरक्षण उपाय, जलनिकासी में सुधार तथा बाढ़ कम करने की व्यवस्था। किसी बेसिन की विस्तृत योजना में अपनाए जाने वाले उपायों का स्वरूप, या उपायों का संयोजन, बेसिन के लक्षणों, बाढ़ समस्या के विस्तार तथा सुरक्षा कार्यों के आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करेगा।

लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

3037. श्री के० लकप्पा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिसमें लघु उद्योगों के निर्यात को दुर्लभ कच्चे माल की सप्लाई के साथ सम्बद्ध किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कच्चे माल का दुरुपयोग न होने के लिए इसकी सप्लाई को किस प्रकार विनियमित किया जाता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) अन्य उद्योगों की तरह से लघु एकक भी प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के हकदार हैं। किसी विशेष योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) दुर्लभ कच्चे माल का आवंटन करते समय, सम्बद्ध प्राधिकारियों को दुरुपयोग न होने देने का सुनिश्चिय करने के बारे में अनुदेश दिए जाते हैं।

राज्य योजनाओं में केन्द्रीय सहायता का अंश

3038. श्री के० लकप्पा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें केन्द्रीय सहायता का अंश कितना है ; और

(ग) कर्नाटक की वार्षिक योजना में कितना परिव्यय रखा गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जम्मू तथा कशमीर राज्य को छोड़कर, बाकी सभी राज्यों की 1974–75 की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और संबंधित राज्यों को सूचित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 1974-75 के लिए योजना परिव्यय और केन्द्रीय सहायता-राज्य

(करोड़ रुपये)

राज्य	कुल परिव्यय	केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	127.39	48.75
2. असम	53.66	40.04
3. बिहार	168.98	68.68
4. गुजरात	143.32	32.17
5. हरियाणा	81.60	15.99
6. हिमाचल प्रदेश	31.16	22.35
7. जम्मू व कश्मीर	अन्तिम रूप दिया जा रहा है।	
8. कर्नाटक	110.75	35.46
9. केरल	73.79	35.72
10. मध्य प्रदेश	152.25	53.32
11. महाराष्ट्र	275.84	49.98
12. मणिपुर	12.06	7.52
13. मेघालय	13.63	8.85
14. नागालैण्ड	14.00	7.12
15. उड़ीसा	71.24	32.70
16. पंजाब	107.87	20.64
17. राजस्थान	79.80	45.06
18. तमिलनाडु	112.00	41.15
19. त्रिपुरा	11.00	7.61
20. उत्तर प्रदेश	255.19	106.89
21. पं० बंगाल	147.87	44.94
सभी राज्य	2,043.50	724.94
पहाड़ी और आदिम क्षेत्रों जाति के लिए केन्द्रीय सहायता का अभी राज्यवार आबंटन किया जाना है	25.00	25.00
कुल जोड़	2,068.50	749.94

स्वतंत्रता सेनानी पशन

3039. श्री रामावतार शास्त्री }
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनीतिक पीड़ितों की उन विभिन्न श्रेणियों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिये आवेदन पत्र दिये हैं किन्तु उन्हें अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई है ; और

(ख) क्या अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त इसमें ऐसे व्यक्ति भी हैं जो (1) 1946 में केरल में पुन्नाप्रा कमालर स्वतंत्रता अन्दोलन, (2) 1939 म हैदराबाद म आर्य समाज आन्दोलन, (3) केरल में 1921 में मोपला आन्दोलन, (4) गत विश्व युद्ध में मिस्र में 21 कैवेलरी रेजीमेंट में सैनिक विद्रोह, (5) गत विश्व युद्ध में हांगकांग में सैनिक विद्रोह में भाग लेने के आरोप में 6 महीने से अधिक समय के लिये जेलों में रहे थे तथा (6) स्थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के ऐसे सदस्य जिन्होंने गत युद्ध के दौरान और युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में और विदेशों में विद्रोह किया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अधीन प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी के आवेदनपत्र की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है । यदि आवेदन पत्र ठीक होता है और योजना में निर्धारित राजनैतिक यातनाओं के बारे में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पेंशन का अनुमोदन किया जाता है । पात्रता की एक शर्त के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी को, जिसको स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण सिविल अथवा मिलिट्री की नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो, पेंशन का अनुमोदन किया जा सकता है । इसके परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों से अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए जो सशस्त्र सेना के थे । उनके आवेदन पत्रों की जांच की गई और यदि नौकरी छूटने की बात सिद्ध हुई तो उन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है । इसमें गढ़वाल राइफलस के भूतपूर्व कर्मचारी जो "पेशावर काण्ड" की घटना में अन्तर्ग्रस्त थे, भारतीय रायल नेवी के भूतपूर्व कमचारी जिन्होंने 1946 के विद्रोह में भाग लिया तथा सेना के भतपूर्व कर्मचारी जो आजाद हिन्द फौज में चले गये , सम्मिलित ह ।

आर्य समाज आन्दोलन तथा हैदराबाद राज्य के तेलंगाना आन्दोलन, ट्रावनकोर राज्य की पुन्नाप्रा वायालर घटनायें तथा मलाबार की मोपला विद्रोह अभी विचाराधीन है क्योंकि पेंशन स्वीकृत करने के उद्देश्य के लिए अभी इन पर विचार करना है कि क्या ये आन्दोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के एक भाग थे । इसी प्रकार, 1940 की सेन्ट्रल इंडिया हार्स म्यूटिनी, 1940 में मिश्र एम० टी० ड्राइवरों के विद्रोह तथा 1941 में हांगकांग म 20वीं कन्सट्रक्शन बटरी के विद्रोह में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के मामलों पर भी अभी विचार किया जा रहा है ।

पांचवों योजना के सिचांई के लिए प्रावधन

3040. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री पांचवीं योजना में सिंचाई के लिये प्रावधान के बारे में 24 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 348 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच सिंचाई के लिये प्रावधान किया जा चुका है और पांचवीं योजना के दौरान कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों तथा 6.2 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता सृजित करने के लिये 2401 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है ।

तलचर (उड़ीसा) में हैवी वाटर प्लांट

3041 **श्री अर्जुन सेठीः** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी वाटर प्लांट तलचर, (उड़ीसा) की प्रगति क्या है ; और

(ख) अक्तूबर तक इसे लगाने तथा स्थापित करने तथा इस वर्ष क अन्त तक पूरा करने सम्बन्धी कार्यक्रम का पालन किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) तलचर मे भारी पानी संयंत्र लगाने का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

(ख) उपकरणों तथा मुख्य संयंत्र को लगाने के लिये नीवें तैयार करने से सम्बन्धित सिविल निर्माण कार्य सन् 1974 के अन्त तक पुरा हो जायेगा तथा मशीनें लगाने का काम सन् 1975 के प्रारम्भ में शुरू किया जाएगा । आशा है कि संयंत्र सन् 1976 में चालू हो जायगा ।

भागलपुर (बिहार) के एकचारी ग्राम में हरिजन परिवारों पर हमला

3042 **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मार्च, 1974 को बिहार के भागलपुर जिल के एकचारी ग्राम में कुछ सशस्त्र बदमाशों ने हरिजन परिवारों पर हमला किया था और उनके मकानों को लूट लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में आनन्दपुर बांध परियोजना स्थल के प्रश्न पर विवाद

3043. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कयोंझर जिल म प्रस्तावित अनन्दपुर बांध परियोजना स्थल चयन के मामलें में कोई विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो विवाद को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कायवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय म उपमंत्री (श्री **सिद्धेश्वर प्रसाद**) : (क) और (ख) अनन्दपुर बराज परियोजना के लिये दोनों स्थानों के गुण-दोषों की जांच केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा की गई है तथा उनकी राय में बीरगोविन्दपुर स्थल, जोकि प्रस्तावित अनन्दपुर स्थल से 12 किलोमीटर प्रतिप्रवाह पर है, निस्संदेह अधिक अनुकूल है । आयोग ने अपने तकनीकी विचारों से उड़ीसा सरकार को अवगत करा दिया है तथा इस संबंध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है ।

बिहार में नार्थ कोएल सिंचाई परियोजना के संबंध में कार्य

3045. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में नार्थ कोएल सिंचाई परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसके पूरा होने की संभावना है और इस पर कितना व्यय किया जाएगा और इस योजना से किन-किन जिलों को लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पहुंच सड़कों, रिहायशी और ग़ैर-रिहायशी इमारतों के निर्माण जैसे प्रारम्भिक कार्य लगभग पूर्ण होने वाले हैं । अधिकतर निर्माण मशीनरी प्राप्त कर ली गई है । बराज और नहरों का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है ।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उत्तरी कोएल परियोजना का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है और धन के वर्तमान आबंटन के अनुसार, परियोजना के छठी योजना के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है । 1968 में तैयार किये गए वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार, परियोजना की लागत लगभग 31 करोड़ रुपये है । संशोधित लागत के 57 करोड़ हो जाने की सम्भावना है । चौथी योजना के अन्त तक परियोजना पर 6.4 करोड़ रुपये व्यय हुए थे । पूर्ण होने पर इस परियोजना से पालामऊ, औरंगाबाद और गया जिलों के क्षेत्र लाभान्वित होंगे ।

नए सोन बराज नहर

3046. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए सोन बराज से निकलने वाली उच्च स्तर नहर का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस नहर से कितनी भूमि सिंचित की जाएगी और इससे किन-किन जिलों को लाभ होगा ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये विकसित भूमि की सिंचाई करने के लिये कितने लाख एकड़ फीट जल की अवश्यकता होगी ; और

(ग) वानसागर बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिये क्या प्रबन्ध किए गये है ।

सिंचाई औरविद्युत मंत्रालय म उपमंत्री (**श्री सिदघेश्वर प्रसाद**) : (क) और (ख) सोन उच्च स्तरीय नहर के जून 1977 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। पूर्ण होने पर इस नहर से एक लाख एकड़ फुट जल के समुपयोजन द्वारा गया और शाहाबाद (पुराना) जिलों में 1,82,115 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी।

(ग) वाणसागर बांध का निर्माण सोन जल के विभाजन से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कटार के अनुसरण में लिया जाएगा और सभी राज्यों को आबंटित मात्रा में जल की सप्लाई को सुनिश्चित करने की व्यवस्था एक समिति,जो अध्यक्ष केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की अध्यक्षता मे कार्य करेगी, द्वारा निर्धारित की जाएगी।

त्रिपुरा में डुम्बर हाइडल प्राजेक्ट में बांध के कारण प्रभावित आदिवासी परिवार

3047. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में डुम्बर हाईडल प्रोजेक्ट में बाघं का कार्य जारी रहने के कारण कितने आदिवासी परिवार बेदखल हुए हैं; और

(ख) अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रहा है और सभापटल पर रख दा जायेगी।

पम्पिग सैटों को बिजली देना

3048. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई कार्यों के लिये पंम्पिग सैटों को बिजली दिये जाने के लिये कन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंघी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंघ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री **सिदघेश्वर प्रसाद**) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पम्पसेटों का ऊर्जन भी शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और उनके राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बहरहाल, ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ग्राम विद्युतीकर्ण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिये योगात्मक ऋण देता है। निगम ने अब तक मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की 30.27 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 81 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में 3841 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 90051 पम्पसेटों का ऊर्जन परिकल्पित है।

इस समय 9.18 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 15 और स्कीमें निगम के विचाराधीन हैं। यदि ये निलम्बित स्कीमें निगम द्वारा निर्धारित मार्ग-दर्शनों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाई गई तो स्वीकृत कर दी जाएंगी।

बसों और ट्रकों के टायरों का उत्पादन

3049. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत छह महीनों के दौरान ट्रकों और बसों के लिये टायरों का कुल कितना उत्पादन हुआ और प्रत्येक निर्माता कंपनी ने कितना उत्पादन किया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) पिछले छः महीनों (जनवरी, 74 से जून 74) में ट्रकों और बसों के टायरों का कुल उत्पादन तथा प्रत्येक एकक में हुआ उत्पादन नीचे दिया गया है :–

क्रम०सं०	एकक का नाम	उत्पादन संख्या
1	मे० डनलप इण्डिया लि० कलकत्ता	2,26,362
2	फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी	1,66,272
3	सीट टायर्स लिमिटेड	1,44,319
4	गुड इयर इण्डिया लि०	1,26,948
5	प्रीमियर टायर्स लिमिटेड	1,12,204
6	इनचेक टायर्स लिमिटेड	91,605
7	डनलप इण्डिया लि० अम्बातूर	2,41,431
8	मद्रास रबड़ फैक्टरी, मद्रास	1,65,838
9	मद्रास रबड़ फैक्टरी, गोवा	74,378
	योग	13,54,357

मध्य प्रदेश में चमड़े के वस्त्र तैयार करने का कारखाना स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिया जाना

3050 **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में चमड़े के वस्त्रों का उत्पादन करने के कारखाने की स्थापना के लिये हाल ही में एक औद्योगिक लाइसेंस दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) मै० टाटा एक्सपोर्टस लि० को प्रति वर्ष 135.90 लाख वर्ग थी ! तैयार चमड़ा और 1.20 लाख नग चमडे के वस्त्र बनान के लिए मध्य प्रदेश राज्य के देवास नायक स्थान पर एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये 13 फरवरी, 1974 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक लाइसेंस दिया गया है ।

अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक उपक्रम द्वारा तैयार चमड़े के उत्पादन के 60 प्रतिशत और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन के 75 प्रतिशत के निर्यात करने की गारंटी देने के अधीन लाइसेंस दिया गया है ।

Formation of Shivaji Sangh by R.S.S. in West Bengal

3051. Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Rashtriya Swayam Sewak Sangh people have formed "Shivaji Sangh" in various Districts of West Bengal;

(b) if so, the nature of their activities; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin)

(a) to (c) Facts are being ascertained.

Automatic machines in Telephone Exchanges

3052. Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether automatic machines have been provided at the telephon: exchanges ;

(b) whether it is necessary to have a supply of electricity for 10 hours daily for their operation and several machines remain closed for want of electricity ; and

(c) if so, the measures being taken by Government for maintaining their continuous operation?

The Minister of State in the Ministry of Communication (Prof. Sher Singh)

(a) to (c) Electrical power is required for the operation of telephone exchange whether these are manual exchanges or automatic exchanges. The exchanges operate on batteries which are charged from the Electrical power mains. Normally the capacity of the batteries provided in exchanges is adequate for 24 hours working. A discharged battery needs about 10 hours for recharging and hence power supply for about this period is required to keep the exchange in continuous operation. Standby engine alternators have been provided in most of the bigger exchanges. For the small exchanges, standby engine alternators are being provided on a group basis.

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा लाइसेंसिग प्रक्रिया का उल्लंघन

3053. **श्री के० लकप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने लाइसेंसिंग क्रिया का कोई उल्लंघन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उल्लंघन को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उक्त फर्म द्वारा की जा रही भारी मुनाफाखोरी को रोकने के लिए भी क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) और (ख) मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा गत दो वर्षों में औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया के उल्लंघन का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है । फिर भी यह देखा गया है कि 91,000 मी० टिन वार्षिक लाइसेंस क्षमता में से वर्ष 1972 में साबुन का उत्पादन 1,77,308 मी० टन हुआ था । तकनीकी विकास के महा-निदेशालय ने पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय को इस मामले की रिपोर्ट भेज दी है ।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 में यह परिकल्पना की गई है कि 40 प्रतिशत विदेशी पूंजी वाली विदेशी कंपनियों को अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी । इससे सरकार को इन कंपनियों के कार्यों की समीक्षा करने और भविष्य में उनकी गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त शर्तें निर्धारित करने का मौका मिलेगा ।

राज्यों में सिंचाई दरों का पुनरीक्षण

3054. **श्री के० लकप्पा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को उपलब्ध औसत सिंचाई दर में वृद्धि करने के बारे में सिंचाई आयोग (1972) के प्राक्कलन को सरकार ने पूरा किया है; और

(ख) धनी किसानों द्वारा बिजली के अनधिकृत और असीमित उपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई आयोग (1972) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे जल दरों में वृद्धि करें जिससे सिंचाई स्कीमों पर संयुक्त कार्य व्ययों तथा ब्याज प्रभारों की पूर्ति की जा सके । आयोग की सिफारिशों की परिपालना में 'माडल नहर सिंचाई और जल निकाय विधेयक जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जल दर और खुशहाली योगदान के कर संबंधी विधि समाहित करना अपेक्षित है, का प्रारुप भी तैयार किया जा चुका है । इसे अपनाने के लिए राज्य सरकारों को सिफारिश करने से पूर्व, इस माडल विधेयक के प्रारुप के समस्त पहलुओं की जांच करने और समुचित संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है ।

(ख) उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी को रोकने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, विभिन्न राज्य बिजली मंडलों द्वारा किया जा रहा है। जो उपाय किये जा रहे हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सतर्कता दस्तों का गठन, जिनमें चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए पुलिस निरीक्षक तथा अभियंता शामिल होते हैं।
2. चोरी रोधक मीटर बक्सों, तथा मोटरों को सील करने के लिए टेढ़ी-मेढ़ी सीलों तथा मीटरों के बाद कट-आउटों का प्रावधान।
3. पोषकों में मीटर लगाना ; और
4. उसी क्षेत्र के संदेहास्पद उपभोक्ताओं के विद्युत उपभोग की तुलना करना।

Non-Implementation of Irrigation Projects due to Inter-State Dispute

3056. Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of irrigation projects which could not be implemented on account of inter-State disputes indicating the date from which the work on each of them has been held up ; and

(b) the power and irrigation capacity envisage for each project?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) :

(a) & (b) The clearance of a project from the inter-State aspects does not mean that it would be necessarily implemented. Besides establishing its technical and economic viability, it would also be necessary to allocate the full resources required for its execution. In view of the fact that the allocations for the irrigation sector during the Fourth Plan were fully utilised, it is difficult to indicate which, if any, of the projects not sanctioned on account of an inter State dispute would have been taken up and implemented. However, the list of projects in the Godavari, Narmada, Cauvary and a few other basins, which have not been sanctioned, and their capacities, are given in the enclosed statement. (Placed in the Library See. No. L. T.8245/74).

यूरेनियम की तस्करी के सम्बन्ध में बिहार के एक व्यापारी के निवास स्थान पर छापा

3057. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केद्रीय उत्पादन शुल्क के एक दल ने संयुक्त रुप से बिहार के चम्पारन जिले में सीताराम राजघड़िया नाम के एक व्यापारी के मकान पर छापा मारा तथा लगभग 50 किलोग्राम सोना और यूरेनियम की तस्करी से सम्बन्धित दस्तावेज बरामद किये ; और

(ख) यदि हां, तो बरामद किये गये सामान और कागजात के बारे में तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) दिनांक 10 जून, 1974 को सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों के एक संयुक्त दल द्वारा बैटिया स्थित राजघड़िया ब्रादर्स के परिसर की तलासी ली गई थी । इसमें न तो कोई सोना और न ही यूरेनियम की कथित जरुरी तस्करी से सम्बन्धित कोई दस्तावेज बरामद हुए थे । फिर भी, तलाशी के परिणामस्वरुप कुछ अन्य दस्तावेज पकड़े गए थे जिनकी संवीक्षा की जा रही है : इस संवीक्षा के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा संगत कानूनों के अनुसार यथावस्यक आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

सीमेंट निगम के कार्यकरण की जांच

3058. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण की जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्ही अनियमितताओं का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उसके उत्तम कार्यकरण के लिए तथा इसके दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण की जांच करने के बारे में कोई आदेश नहीं दिये हैं परन्तु आडिट बोर्ड कें निगम के कार्यकरण की सीमाक्षा करने का निर्णय लिया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच

3059. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच की है,

(ख) क्या किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है, और

(ग) कमियां दूर करने और उसके बेहतर कार्यकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) दि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की कम्पनी कार्य विभाग द्वार स्वीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा वाणिज्य लेखे परीक्षा और भारत के महा नियन्त्रक और लेखा परीक्षक द्वारा कानूनी लेखा परीक्षा की जाती है । निगम की कार्यान्वियाधीन परियोजनाओं की प्रगति की सरकार द्वारा निरन्तर संवीक्षा की जाती है ।

(ख) सरकार की जानकारी में कोई अनियमितताएं नहीं आई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आगामी 10 वर्षों में तापीय बिजली उत्पादन को प्राथमिकता

3060. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी 10 वर्षों में तापीय बिजली उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा नई पन बिजली योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तापीय बिजली घरों में इंधन तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग करने का प्रस्ताव

3061. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार तापीय बिजली घरों में इंधन तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग किये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां प्राथमिक इंधन के रुप में तेल का उपयोग करने के स्थान पर कोयला उपयोग करने वाले केन्द्रों में परिवर्तन पर समिति द्वारा संस्तावित ताप विद्युत केन्द्रों के परिवर्तन की अनुमानित लागतें इस प्रकार हैं:

ताप विद्युत केन्द्र का नाम	परिवर्तन पर अनुमानित लागत
1. अहमदाबाद	85 लाख रुपये
2. बरौनी	130 लाख रुपये
3. ट्राम्बे	380 लाख रुपये
4. धुवरन	नाम मात्र

अमृतसर से टैलीविजन रूपक फिल्मों के निर्माण का प्रस्ताव

3062. **श्री रघुनन्दन भाटिया : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त तक अमृतसर से टैलीविजन रुपक फिल्में बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा

3063. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने 1973 के दौरान तथा 31 जुलाई 1974 तक प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के कितने दौरे किये ;

(ख) इनमें से प्रत्येक दौरे का प्रयोजन क्या था; और

(ग) इनमें से कितने दौरे सरकारी थे और कितने ग़ैर-सरकारी थे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ग) विवरण संलग्न है ।

(ख) ये सरकारी दौरे, सार्वजनिक सभाओं में भाषण करने, विभिन्न समारोहों में उपस्थित होने, सम्मेलनों का उद्घाटन करने, सूखा, तूफान व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरों और राज्य सरकारों व विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों व लोगों व प्रेस से मिलने क लिए विभिन्न राज्य में प्रधान मंत्री के नियत कालिक दौरों की सामान्य प्रक्रिया का भाग थे ।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	दौरों की कुल संख्या	
	सरकारी	ग़ैर-सरकारी
आन्ध्र प्रदेश	1	–
असम	1	1
पश्चिम बंगाल	5	1
चंडीगढ़	1	–

राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम	दौरों की कुल संख्या	
	सरकारी	गैर-सरकारी
गुजरात	1	—
गोवा, दमन और दीव	1	—
हिमाचल प्रदेश	2	—
जम्मू और काश्मीर	4	—
केरल	3	—
मैसूर	6	—
महाराष्ट्र	5	—
मध्य प्रदेश	3	—
मणिपुर	—	1
नागालैण्ड	1	—
उड़ीसा	5	2
पांडिचेरी	—	1
पंजाब	3	—
तमिलनाडु	3	1
त्रिपुरा	1	—
उत्तर प्रदेश	20	11
योग	67	18

तमिल नाडु में डाकघरों में बचत बैंक सुविधाएं

3064. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल नाडु राज्य में इस समय कुल कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इनमें से कितने डाकघरों में बचत बैंक के खाते खोलने की सुविधाएं हैं,

(ग) इनमें से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों की तुलना में यह आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं तथा इन राज्यों में और राजस्थान में भी कितने क्षेत्र के लिए डाकघर बचत बैंक सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध है, और

(घ) पांचवी योजना अवधि म छोटी बचत से जमा राशि में वृद्धि करने के लिए इन सभी राज्यों में अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अब क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 10,945

(ख) 10,942

(ग)	काम कर रहे कुल डाकघरों की संख्या	उन डाकघरों की कुल सं० जहां बचत बैंक खातों म लेन देन की सुविधाएं हैं ।	उसम आने वाला औसत क्षेत्र
तमिलनाडु	10,945	10,942	11.95 वर्ग कि० मी०
उत्तर प्रदेश	14,482	14,422	20.2 ,, ,,
महाराष्ट्र	9,569	9,477	32.5 ,, ,,
पश्चिम बंगाल	6,499	6,499	16.3 ,,
राजस्थान	7,554	7,554	46.0 ,, ,,

(घ) नए डाकघर खोलने के लिए पांचवी योजना अवधि के दौरान कोई प्रान्तवार लक्ष्य नहीं किया गया है। लेकिन नीति यह है कि शाखा डाकघर खोलते समय ही बचत-बैंक के काम के अधिकार दे दिए जाएं। इस समय भारत में 99 प्रतिशत शाखा डाकघरों में बचत बैंक का कार्य होता है।

रबड़ उद्योगों में कच्चे माल की कमी

3065. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रबड़ उद्योगों में कच्चे माल की कमी की व्यवस्था उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या अन्य उद्योगों की कठिनाईयां दूर करने के लिये उन्होंने अनेक बार सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनके द्वारा अपने ज्ञापनों में क्या मांगें की गई हैं ;

(घ) क्या प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबड़ की सप्लाई में कमी होने के बावजूद प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो 1971–74 में भारत में प्राकृतिक और कृत्रिम रबड़ का कितना उत्पादन हुआ है भारत से कितनी मात्रा में प्राकृतिक और कृत्रिम रबड़ का निर्यात किया गया, बाहर से कितनी मात्रा में प्राकृतिक और कृत्रिम रबड़ का आयात किया गया और रबड़ उद्योगों की प्राकृतिक और कृत्रिम रबड़ की वार्षिक आवश्यकता और खपत कितनी है ; और

(च) भारतीय रबड़ उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) से (ग) कच्ची रबड़ तथा टायर के धागे (रेयन व नायलन) की कमी के सम्बन्ध में भारतीय मीटर गाड़ी टायर उद्योग तथा अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इन्होंने अनुरोध किया है कि वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों तथा प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर इन वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाए।

(घ) चूंकि राज्य व्यापार निगम के पास प्राकृतिक रबड़ का काफी बड़ा भंडार जमा हो गया था और प्राकृतिक रबड़ का देश में उत्पादन बढ़ गया था अतः सरकार ने गत वर्ष निश्चय किया था कि फालतू रबड़ में 5,000 मी० टन रबड़ का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने की अनुमति दे दी जाए जिससे जमा हुए भंडारों को निकाला जा सके और साथ ही बाजार में रबड़ की कीमतों को गिरने से रोका जा सके। वर्ष 1973–74 की अवधि में 2,700 मी० टन प्राकृतिक रबड़ का वास्तिविक निर्यात किया गया था।

(ङ) एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8246/74)

(च) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

राष्ट्रीय आपात स्थिति का जारी रखना

3066. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति को कब तक जारी रखा जायेगा तथा इसे जारी रखने का क्या औचित्य है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन): संबद्ध सुरक्षा के विचारों, पाकिस्तान के साथ संबंधों के सामाजीकरण की प्रक्रिया के प्रगति तथा देश में समस्त आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति के प्रश्न पर लगातार पुनर्विचार किया जाता है।

जैलों सम्बंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

3067. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कार्यकारी दल के प्रतिवेदन से प्रकट हुआ है कि देश में जेल और उनका प्रशासन अस्त-व्यस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : कार्यकारी दल ने जेल में रहने सहने की स्थिति और जेल प्रशासन की विद्यमान कमियों का उल्लेख किया है और उन्हें दूर करने के उपायों की सिफारिश की है ।

(ख) चूंकि 'जेल' राज्य का विषय है, अतः कार्यान्वयन के लिये उन सिफारिशों की जांच करने और उन पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ।

दुर्ग जिले के नगरों और बस्तियों में टेलीफोन की व्यवस्था

3068. श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्ग जिले के उन नगरों और वस्तियों के नाम क्या हैं जिनमें टेलीफोन की व्यवस्था है ;

(ख) क्या सरकार को यह शिकायतें मिली हैं कि अधिकांश स्थानों पर टेलीफोन बिल्कुल काम नहीं करते ; यदि हां, तो दोषों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या पांच मील की दूरी पर स्थित खुरशीपुर में एक पृथक टेलीफोन केन्द्र है तथा उस स्थान के लिये ट्रंक काल बुक करानी पड़ती है तथा उसके लिये दिन भर लाइन नहीं मिलती ;

(घ) क्या कुछ वस्तियों में टेलीफोन देने की मंजूरी मिल गई है किन्तु अभी तक टेलीफोन नहीं मिले ; और

(ङ) इन वस्तियों के नाम क्या हैं और वहां कब तक टेलीफोन लग जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी देना

3069. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वाधीनता सेनानियों की संख्या कितनी है, जिनके आवेदन पत्रों को या तो अस्वीकार कर दिया गया है अथवा इस आधार पर फाइल कर दिया गया है कि उन्होने जेल अधिकारियों या साथ बन्दी रहे संसद् सदस्य, भूतपूर्व संसद् सदस्य, विधायक और भूतपूर्व विधायक से प्राप्त जल प्रमाणपत्र सहित स्वीकृत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ह ;

(ख) क्या लम्बी अवधि गुजर जाने और रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण उनमें से किसी व्यक्ति ने स्वीकृत साक्ष्य प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ग) क्या पेंशन की मंजूरी के लिये स्वाधीनता सेनानियों की अर्हता को निर्धारित करने के बारे में सरकार ने किसी अन्य समचित उपाय पर विचार किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) 3 अगस्त, 1974 तक 37047 आवेदनपत्र अस्वीकृत किये गये हैं क्योंकि आवेदक केन्द्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं थे। कारावास समेत राजनैतिक यातना के बारे में समर्थक सबूत न होने के कारण 21,255 आवेदन पत्र फाइल कर दिये गये हैं।

(ख) तथा (ग) जिन आवेदकों के आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों की गणदोष के आधार पर जांच की जाती है। जहां तक उन आवेदकों का संबंध हैं, जो समर्थक सबत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन आवेदन पत्रों की संवीक्षा करें और राज्य/जिला सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद यदि आवश्यक हो, अपनी सिफारिशें भेजें। ऐसे आवेदन पत्रों पर पुर्नविचार किया जाएगा, जब राज्य सरकारों की रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी अथवा आवेदक अपेक्षित सबूत प्रस्तुत कर सकेगें।

भारत स्थित चर्चों द्वारा विदेशी धन का उपयोग

3070. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित ईसाई चर्चों को वर्ष 1971 से 1973 तक व्यक्तियों या संगठनों से नकद या अन्य रूप में कितनी विदेशी सहायता मिली ;

(ख) क्या इन चर्चों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ऐसी विदेशी राशियों के आय और व्यय के लेखा-परीक्षित लेखे उपयुक्त अधिकारी को प्रस्तत किये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियम से संबंधित कानून की अपेक्षाओं के अतिरिक्त धन के आने पर इस समय कोई प्रतिबंध नहीं हैं। भारत के रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा केवल दस हजार रुपये तथा उससे अधिक की रकम का ब्यौरा रखा जाता है। सामग्री के रूप में भेजी गई विदेशी सहायता का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः तत्संबंधी अवधि के दौरान भारत में ईसाई गिरजाघरों द्वारा प्राप्त नकदी व सामग्री क रूप में विदेशी वित्तीय सहायता की कुल राशि के बारे में निश्चित सूचना देना संभव नहीं होगा।

इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन गिरजाघरों को लेखा रखने तथा उसकी जांच के लिये किसी विशिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की अपेक्षा हो। विदेशी धन इत्यादि को अस्वीकार करने और उसक उपयोग को नियमित करने के लिये दिसम्बर, 1973 में राज्य सभा में विदेशी धन (विनियम) विधेयक, 1973 पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक अब संसद के दोनों सदनों की एक संयक्त समिति के समक्ष है।

अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची तैयार करना

3071. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सूची म अत्यन्त महत्वपूण व्यक्तियों के रूप म दज किय गये व्यक्तियों की श्रेणियों तथा दर्जों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों की इस प्रकार से सूची बनाने की आलोचना हुई है ;

(ग) क्या एक ही देश के नागरिकों के मध्य इस प्रकार के भेदभाव को हटाने के लिये "अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति" नाम बदल दिया जायेगा ; और

(घ) क्या सार्वजनिक आलोचना से बचने के लिये, लोगों को ड्यूटी पर तैनात करने की विशेष आवश्यकताओं के लिये नई श्रेणियों की सूची में शामिल किया जायेगा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ऐसी कोई सूची नहीं है। किन्तु वरीयता की एक सारणी है जो मुख्यतः राज्य के विभिन्न अंगों, जैसे राज्यों के प्रधानों, केन्द्रीय व राज्य के मंत्रियों, संसद तथा विधान मंडलों के अधिष्ठाता अधिकारियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जजों, संसद सदस्यों तथा वरिष्ठ असनिक व सैनिक अधिकारियों, के कार्यों तक सीमित है। सारणी समारोह संबंधी अवसरों के लिए है और इसका सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्य से कोई संबंध नहीं है। देश के नागरिकों के बीच कोई भेद भाव करने का अभिप्राय नहीं है क्योंकि वरीयता की सारणी में शामिल न किये गये व्यक्तियों को भी राज्य समारोहों में आमंत्रित किया जाता है और उन्हें उचित स्थान दिया जाता हैं। बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार वरीयता की सारणी में समय-समय पर संशोधन किया जाता है

आदिवासी असन्तोष

3072. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी असन्तोष बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम (राज्यवार) क्या हैं जहां आदिवासियों ने अब तक आन्दोलन किये हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) बिहार के अतिरिक्त किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार छोटा नागपुर और संथाल परगना में आदिवासियों के बीच असंतोष है, जिसे भूमि हस्तान्तरण, आदिवासी क्षेत्र स्थित उद्योग में रोजगार के कम अवसरों, आदिवासी क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं आदि की ओर कम ध्यान देने की शिकायतों के कारण कहा जा सकता है। बिहार में आदिवासी लोगों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बिहार के गया और भावाड़ा जिलों के लिए ऊपरी सिकरी और मोहाना जलाशय योजनाऐं

3073. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया और भावाडा जिलों के लिये पूर्व स्वीकृत ऊपरी सिकरी और मोहाना जलाशय योजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में आरंभ करने की संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मोहाना जलाशय स्कीम तथा अपर सीकरी जलाशय स्कीम से संबंधित अनुसंधान कार्य प्रगति पर है और उनके क्रमशः नवम्बर, 1974 तथा फरवरी, 1975 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इन परियोजनाओं को कार्यन्वित करने का प्रश्न परियोजना रिपोर्टों के तैयार हो जाने, योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इनकी जांच करके स्वीकृत कर लिये जाने के बाद और धनराशि के उपलब्ध होने पर ही पैदा होगा।

विक्रम साराभाई स्पेस सैंटर एम्पलाईज यूनियन की अनिर्णीत मांगें

3074. श्री वयालार रवि : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विक्रम साराभाई स्पेस सैन्टर एम्पलाईज यूनियन की अब तक अनिर्णीत रही मांगे क्या हैं ;

(ख) इन समस्याओं को हल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केवल एक ही मांग पर निर्णय होना शेष है, जो कि विभागीय पदोन्नतियों की प्रक्रिया के संबंध में है।

(ख) और (ग) एक समिति इस समस्या पर विचार कर रही है, और इसके समाधान की रूपरेखा शीघ्र ही तैयार हो जाने की संभावना है।

चावल मिलों के उप-उत्पादों का उचित उपयोग

3075. श्री राजदेव सिंह : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल मिलों के अधिकांशतः व्यर्थ जाने वाले उप-उत्पादों, यथा भूसी तथा ब्रान के समुचित उपयोग द्वारा 300 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के खाद्य तेल, सोडियम सिलिकेट तथा पोटाश निकाले या प्राप्त किये जा सकते हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस भारी हानि को बचाने तथा इन उप-उत्पादों का उपयोग करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) : प्राथमिक प्रयोगशाला परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि चावल की मिलों के उप-उत्पादों यथा चावल की भूसी तथा ब्रान, का खाद्य तेलों, सोडियम सिलिकेट एवं पोटाश की प्राप्ति के लिये पुनः चक्रण तथा उपयोग करना संभव है। प्रायोगिक प्राक्कलनों के अनुसार चावल की मिलों के उप-उत्पादों से 300 करोड़ रुपये से अधिक मल्य के सोडियम सिलिकेट तथा पोटाश की उपलब्धि हो सकती है।

व्यर्थ जाने वाले पदार्थों को उपयोगी उत्पादों के रूप में परिणत करने के लिय उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, अभिकल्प, विकास तथा इंजीनियरी, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ चावल की मिलों के व्यर्थ जाने वाले पदार्थों यथा चावल के ब्रान तथा उसकी भूसी, उपयोग तथा वर्तमान स्थिति एवं किये जा रहे तथा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा शामिल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना, 1974–79 के प्रारम्भ में दिया गया है, जिसे 28 मार्च, 1974 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था ।

तथापि, उप-उत्पादों यथा, चावल के ब्रान तथा उसकी भूसी के स्तर, परिमाण एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरम्भिक संयंत्र तथा वाणिज्यिक पैमाने पर प्रक्रम इंजीनियरी संबंधी कार्य करने की आवश्यकता है । व्यर्थ जाने वाले पदार्थों का रूप बदलने के लिये संयंत्रों की विकास अवस्था के पश्चात् तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन पूंजी निवेश विषयक निर्णयों के लिये आधार तैयार करते हैं ।

भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम द्वारा विकसित संगणक

3076. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम ने प्रति सैकिंड 4 लाख योग तथा घटाने की क्रियायें करने की क्षमता वाला एक नया संगणक विकसित किया है; और

(ख) क्या उक्त संगणक पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने विकसित तथा तैयार किया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख) जी, हां ।

केन्द्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की द्वारा कच्ची दीवार को जल से निष्प्रभावी बनाने के तरीके की खोज

3077. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की ने कच्ची दीवारों को जल से निष्प्रभावी बनाने का एक प्रभावपूर्ण और सस्ता तरीका ढूंढ निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान कच्चे मकानों को भी पानी से निष्प्रभावी बनाने के लिये यह तरीका काम में लाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन निष्कर्षों को त्रुटिहीन ढंग से प्रचारित करने का है ताकि इससे लाखों कच्चे घरों के निवासियों को लाभ पहुंच सकें ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गांवों में बृहदस्तर पर अपनाने के लिये यह विधि ग्रामीण आवास विभाग उत्तर प्रदेश औ पी० डब्ल्यु० डी० अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को प्रदान की गई । समाचार पत्रों के माध्यम से इस विधि का प्रचार भी किया गया है । विभिन्न राज्यों के ग्रामीण आवास विभागों का अब यह कार्य है कि वे इस तकनीकी जानकारी का उपयोग करें जो केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के पास निशुल्क रूप से उपलब्ध है ।

सीमेंट और टायरों का उत्पादन

3078. **श्री वयालार रवि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1973 मे सीमेंट और टायरों का वास्तविक उत्पादन उनकी उत्पादन क्षमता की तुलना में कितना हुआ ;

(ख) क्या उत्पादक जानबूझकर उत्पादन कम कर रहे हैं ताकी उन्हें अधिक लाभ मिलें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)

(क) सीमट का उत्पादन 1971, 1972 और 1973 में क्रमशः 149.3, 158 और 150.2 लाख मीट्रिक टन था इन तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग की क्षमता का उपयोग क्रमशः 77 प्रतिशत, 81 प्रतिशत और 76 प्रतिशत हुआ ।

1971, 1972 और 1973 में आटोमोवाइल के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन, क्रमशः 46, 59, 127, 49, 78, 218 और 50, 42, 756 था । जबकि इसकी अधिष्ठापित क्षमता 58,80,000 थी ।

(ख) और (ग) सीमेंट उद्योग में उत्पादन की गिरावट वैगनों की कमी, हड़तालें और बिजली की कमी के कारण और आटोमोवाइल के टायर-ट्यूब उद्योग में हड़ताले और तालाबंदी के कारण रही इन 'व्यवधानों' को हटाने के लिये हर कोशिश की जा रही है ।

बम्बई और कलकत्ता के बीच विभिन्न रास्तों को-एक्सियल केबल प्रद्धति

3079. **श्री वसन्त साठे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार विभिन्न रास्तों से बम्बई से कलकत्ता तक अधिक को-एक्सियल केबल बिछाने का है जिससे बम्बई-कलकत्ता टेलीफोन लाइन के असफल होने की घटनाएं शीघ्रता से न हों ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जी हां। बम्बई-कलकत्ता के बीच की डिमांड लाइनें आजकल बम्बई को अहमदाबाद जयपुर, आगरा, इलाहबाद, आसनसोल से जोड़ने वाला को-एक्सियल प्रणाली और आसनसोल कलकत्ता माइक्रोवेव प्रणाली पर हो कर जाती है। बम्बई-नागपुर के मध्य एक सीधी को-एक्सियल प्रणाली काम कर रही है। नागपुर से कलकत्ता के लिए एक माइक्रोवेव लिंक लगाई जा रही है। इन दोनों प्रणालियों से बम्बई-कलकत्ता के बीच एक वैकल्पिक और अपेक्षाकृत छोटे मार्ग की व्यवस्था हो सकेगी।

राजस्थान की सिचाई परियोजना

3080. **श्री विश्व नाथ झुझुनवाला :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा पांचवीं योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये कौन-कौन सी परियोजनाएं भेजी गई हैं जो केन्द्रीय सहायता से पूरी होंगी; और

(ख) किन परियोजनाओं के लिये आवंटित धन दे दिया गया है और प्रत्येक का निर्माण संबंधी कार्यक्रम क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान सरकार न अपनी पांचवीं योजना में शामिल करने के लिये तीन नई वृहत सिचाई स्कीमें प्रस्तावित की हैं। जिनके नाम हैं राजस्थान नहर चरण-दो, चम्बल जलनिस्सार और ओखला बराज। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी स्कीम बिशेष स्कीमों के समूह अथवा विकास शीर्ष से संबंधित नहीं हैं।

(ख) राजस्थान नहर के चरण-दो को राज्य की योजना में शामिल करने के लिये अनुमोदित किया जा चुका है। इसके लिये पांचवीं योजना में 40.30 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की संभावना है। यह स्कीम छठी योजना तक ले जाई जाएगी।

चितरंजन पार्क नई दिल्ली में डाके और लूट की घटनाएं

3081. **श्री विश्वनाथ झुझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में रिहायशी वस्ती में कोई पुलिस चौकी नहीं है और इसी कारण से वहां लूट-खसोट, छीना झपटी और डाके की घटनाएं बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या पिछले चार महीनों में हुई लूट-खसोट की घटनाओं में से किसी एक में भी अपराधी नहीं पकड़े गये हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में पुलिस चौकी कब तक स्थापित की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) चितरंजन पार्क में कोई पुलिस चौकी नहीं है। फिर भी, 1974 वर्ष में (अब तक) इस क्षेत्र से लूट खसोट तथा छीना झपटी की किसी घटना की खबर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस समय यह क्षेत्र थाना कालकाजी के अन्तर्गत आता है और रात की गश्त बढ़ा दी गई है तथा इस क्षेत्र में रात्रि को घुड़सवार पुलिस व पैदल गश्ती दल भेजे जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट की कमी

3082. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्यतः पूर्वी क्षेत्र में और विशेषतः पश्चिम बंगाल में सीमेंट का अभाव है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में सीमेंट के अभाव के कारण कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं या अल्प-रोजगार की समस्या से ग्रस्त हैं ; और

(ग) क्या सीमेंट के अभाव से पश्चिम बंगाल की कुछ महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : देश का पूर्वी अंचल जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम राज्य और सूदूर पूर्व के अन्य क्षेत्र आते हैं सीमेंट के उत्पादन में कमी वाला क्षेत्र है । रेल यातायात में प्रतिबन्धों आदी के कारण इस क्षेत्र में बाहर के अन्य क्षेत्रों से सीमेंट पहुंचाने में बार-बार व्यवधान पैदा हो जाते हैं । पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी, बिजली में हुई कटौती, पर्याप्त माल डिब्बों के न मिलने और कोयले की सप्लाई आदि के कारण सीमेंट उत्पादन में आई गिरावट की देशव्यापी कमी का ही एक भाग है । ऐसी परिस्थितियों में यह असम्भव नहीं है कि निर्माण कार्यों में लगे कुछ व्यक्तियों और विकास परियोजनाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो ।

जून 1974 तक राजस्थान के गावों का विद्युतिकरण

3083. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 1973-74 और 1974-75 के दौरान राजस्थान के गांवों के विद्युतीकरण के बारे में 30 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 तक, जिला-वार, राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ; और

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा के पड़ौसी राज्यों की तुलना में राजस्थान के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान में कुल-32,241 गांवों में से 5,800 गांवों का विद्युतीकरण 30 जून, 1974 तक किया जा चुका है । जिले वार ब्यौरों का विवरण संलग्न है ।

(ख) पंजाब और हरियाणा राज्यों की तुलना में राजस्थान में ग्राम्य विद्युतीकरण के विषय में धीमी प्रगति के मुख्य कारण ये हैं :–

1. राज्य का आकार बहुत बड़ा है ।

2. गांव दूर-दूर क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं ।

3. बहुत लम्बी पारेषण और वितरण प्रणालय के निर्माण संबंधी कठिनाइयां ।

विवरण

30-6-1974 को राजस्थान में विद्युतीकृत गावों का जिलेवार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिले का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अजमेर	194
2	अलवर	441
3	बांसवाड़ा	140
4	बाड़मेर	45
5	भरतपुर	311
6	भीलवाड़ा	341
7	बीकानेर	67
8	बूंदी	83
9	चित्तोड़गढ़	341
10	चुरू	128
11	डूंगरपुर	103
12	जयपुर	782
13	जैसलमेर	1
14	जालौर	107
15	झुंझुनु	244
16	झालावाड़	212

क्रम संख्या	जिले का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
17	जोधपुर	168
18	कोटा	264
19	नागौर	278
20	पाली	198
21	सवाई माधोपुर	211
22	सीकर	173
23	सिरोही	51
24	श्री गंगानगर	320
25	टोंक	147
26	उदयपुर	450
	कुल	5,800

भूकम्प के धक्कों के परिणामस्वरूप हुई क्षति

3085. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में भूकम्प के धक्कों के परिणामस्वरूप कितनी क्षति हुई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन क पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रोजगार की गारन्टी देने संबंधी योजना

3086. **श्री धामनकर :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त निर्धन लोगों को नौकरी दने के लिये राज्य द्वारा आई० डी० एल० 1 के रूप में प्रायोजित रोज़गार गारंटी योजना को शामिल करने हेतु योजना आयोग से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उक्त योजना को अन्य राज्यों में और अधिक व्यापक आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार की 1974-75 की वार्षिक योजना में एक रोजगार गारंटी स्कीम शामिल की गई है महाराष्ट्र राज्य की 1974-75 की वार्षिक योजना में योजना आयोग द्वारा मंजूर किए गए सम्पूर्ण 274.85 करोड़ रुपए की मात्रा में से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 13.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

आकाशवाणी के सुरक्षा स्टाफ में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

3087. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 7 मार्च 1973 के पत्र संख्या 10/8/73-बी (ए) के अनुसार आकाशवाणी के सुरक्षा स्टाफ में नियुक्त किया गया था ; और

(ख) आकाशवाणी में श्रेणी तीन के कितने भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा कर्मचारियों के रूप मे पदोन्नत किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) यह मामला आकाशवाणी के सुरक्षा स्टाफ के ढांचे के पुनरीक्षण से सम्बद्ध है इसको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रशिक्षित टेलीविजन कर्मचारियों का अभाव

3088. **श्री धामनकर :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री वसंत साठे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में देश में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसार के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित लोगों का अभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हेतु लोगों को प्रशिक्षत करने के लिए कोई उचित कदम उठाया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) टेलीविजन के विस्तार के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये फिल्म तथा टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान, पूना में एक टेलीविजन प्रशिक्षण स्कन्ध स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त टेलीविजन से सम्बन्धित व्यक्तियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिये विदेशी संगठनों तथा सरकारों को विभिन्न फैलोशिप योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध की जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं का भी उपयोग किया जाता है। अतएव, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी होने की उम्मीद नहीं है।

विदेशों में रह रहे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति

3089. श्री के० एम० मधुकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को हाल ही म पेंशन देने का निर्णय किया है परन्तु शर्त यह है कि वे पेंशन भारत में लें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) योजना को इस समय विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के वास्ते भी लागू किया गया है बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों और भारत में पेंशन लेने के लिए सहमत हों। प्रत्येक मामले की जांच गुण-दोष के आधार पर की जाती है।

उड़ीसा के सीमेंट उद्योग में कोयले की कमी

3090. श्री अनादिचरण दास : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोयले की कमी के कारण सीमेंट के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बार म सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) कोयले की कमी के कारण उड़ीसा में जनवरी से मई 1974 की अवधि में केवल राजगंगपुर तथा बारगढ़ स्थित दो कारखानों में सीमेंट का उत्पादन कम हुआ था।

(ख) खान विभाग की स्थायी संपर्क समिति द्वारा इस मामले पर विचार किया गया तथा इन कारखानों में और अधिक कोयला पहुंचाने हेतु कदम उठाए गए थे। इसके फलस्वरूप जून तथा जुलाई 1974 के महीनों में वहां सीमेंट की उत्पादन स्थिति में सुधार हुआ व उत्पादन सामान्य स्तर पर आ गया था। इन कारखानों में कोयले के स्टाक की स्थिति भी अब संतोषजनक है।

उड़ीसा से लाइसेंसों के लिये प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्र

3091. श्री अनादिचरण दास : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1974 को ऐसे कितने लाइसेंस आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े थे जिनकी उड़ीसा सरकार द्वारा सिफारिश की गई है ; और

(ख) क्या उनमें से कुछ की 1970-72 की अवधि में सिफारिश की गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) 31 जुलाई, 1974 को उड़ीसा से सम्बन्धित 31 औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्र अनिर्णीत थे। जिसमें से 1971 के 7, 1972 का 1 तथा 1973 के 3 थे शेष 1974 के थे।

बुदाबालंगा नदी के ऊपरी भागों पर कुलियाना जलाशय के बारे में सर्वेक्षण

3092. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुदाबालंगा नदी के उपरी भागों पर कुलियाना जलाशय के बारे मे कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) निचले भागों को भारी बाढ़ से बचाने के लिये कब से बाढ़ संरक्षण उपाय आरम्भ किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि बुदाबालंगा नदी के ऊपर कलियाना बांध के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण प्रारम्भ कर दिए हैं जलाशय क्षेत्र का कन्टूर सर्वेक्षण और बांध स्थल पर अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया गया है। आयाकट सर्वेक्षण का एक भाग भी पूरा हो गया है । अन्वेषणों के पूरा हो जाने के बाद ही परियोजना की व्यवहार्यता निर्धारित की जा सकती है।

परियोजना को राज्य के पांचवीं योजना प्रस्तावों में शामिल नहीं किया गया है।

पांचवीं योजना में शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार सम्बन्धी लक्ष्य

3093 **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना अवधि म रोजगार के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के बीच उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा के लिये क्या योजना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) पांचवीं पचंवर्षीय योजनावधि के लिए रोजगार के लक्ष्य निर्धारित करने के प्रश्न की योजना आयोग ने जांच की और यह अनुभव किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्ट स्थितियों में रोजगार, बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार के संबंध में अनुमान लगाने के तरीके के बारे में विशेषज्ञों की अलग-अलग राय हैं, अत: कुल रोजगार के लक्ष्य निर्धारित करना संभव न होगा। बहरहाल, योजना प्रारूप इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे शिक्षित तथा अशिक्षित, लोगों के मध्य विशेष लक्ष्य आंकड़े अथवा इसका ब्यौरा चाहे योजना प्रारूप में सम्मिलित न भी किया गया हो तो भी शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों,

प्रकार के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर सुलभ किए जा सकें। आशा है कि कृषि भूमि-संरक्षण, बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई, कृषि-सेवा केन्द्र, कमान क्षेत्र विकास, बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योग, बिजली उत्पादन, शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों की कार्यान्विति द्वारा पांचवी योजनावधि के दौरान रोजगार के अधिक अवसर सुलभ किए जाएंगे। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा लघु व सीमांत कृषकों एवं बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 2 करोड़ 60 लाख ग्रामीण परिवारों के सबसे गरीब जन-समुदाय आ जायेंगे। इसके अतिरिक्त हथकर्घा, रेशम उत्पादन, नारियलजटा, खादी तथा ग्रामोद्योग जैसे परम्परागत उद्योगों से सम्बन्धित स्कीमों से जो प्रतिफल प्राप्त होगा उससे लगभग 32.50 लाख से 33.50 लाख तक लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर सुलभ होंगे तथा 33 लाख से 34 लाख तक दूसरे लोगों को भरपूर रोजगार मिलेगा। योजना की कार्यान्विति से भी सार्वजनिक क्षेत्र, विशेषरूप से लघु तथा असंघटित क्षेत्रों, व्यापार सहायक सेवाओं तथा वाणिज्य आदि में रोजगार के अवसरों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

(ग) उड़ीसा के पांचवी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में कई ऐसी स्कीमें शामिल हैं जिनके कार्यान्वयन से शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ होने की आशा है। ये स्कीमें कृषि, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, डेरी उद्योग तथा पशुपालन, वन संवर्धन, मत्स्य पालन, प्रारम्भिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीग बिजलीकरण आदि से सम्बद्ध है। राज्य की योजना में अनुमान लगाया गया है कि इन स्कीमों को कार्यान्वित करने से पांचवीं योजना के दौरान राज्य में लगभग 3.87 लाख अतिरिक्त रोजगार सुलभ किए जाएंगे।

उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अलावा, 1974-75 में योजना आयोग द्वारा एक रोजगार संवर्धन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसमें स्वरोजगार पर अधिक बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को 1974-75 के लिए 1.00 करोड़ की अधिकतम राशि आबंटित की गई है।

निर्यात हेतु टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

3094. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात हेतु टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए देश में कुछ एककों को लाइसेंस जारी किए हैं,

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं, और वे कहां-कहां स्थापित हैं,

(ग) इन टेलीविजन सेटों का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा और उन टेलीविजन सेटों का वार्षिक निर्यात मूल्य क्या होगा, और

(घ) क्या इन एककों द्वारा टेलीविजन सेटों के निर्माण के परिणामस्वरूप देश म टेलीविजन सेटों के मूल्यों में कमी होगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) दो पार्टियों को बंबई के निकट सांताक्रूज में स्थापित किए जा रहे निर्यात संसाधन क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतः निर्यात हेतु टी० वी० रिसीवरों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। ये पार्टियां हैं : मैसर्स बुश इण्डिया प्राइवेट लि०, और मैसर्स त्रिमूर्ति इलैक्ट्रोनिक्स (प्रा०) लि०, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमश : 20,000 एवं 1,11,000 होगी।

(ग) पार्टियों द्वारा दिये गये संकेतों के अनुसार, निर्यात मुख्यतः योरोपीय बाजार को किया जायेगा, इसके अलावा थोड़ी मात्रा मध्यपूर्व देशों और अफ्रीका को भी भेजी जायेगी। आशा है कि वार्षिक निर्यात मूल्य बुश के विषय में 125 लाख और त्रिमूर्ति के संबंध में 1,168 लाख होगी।

(घ) चूंकि सम्पूर्ण उत्पादन निर्यात के लिए है, इसलिये टी० वी० सेटों के स्वदेशी मूल्यों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

उड़ीसा में विद्युत प्रजनन संयंत्र की स्थापना

3095. श्री डी० के० पंडा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास, उड़ीसा में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किये गये अथवा किये जा रहे औद्योगिक संयंत्रों को विद्युत सप्लाई करने के उद्देश्य से पूर्णतः केन्द्रीय सहायता प्राप्त विद्युत प्रजनन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Plastic Factories in Tri Nagar, Delhi

3096. Shri Mukhtiar Singh Malik: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of plastic factories which have been set up in Tri Nagar Delhi;

(b) whether these plastic factories have been running without obtaining any licence from Government; and

(c) whether Government have received any complaint against these plastic factory owners who do not pay any Income tax and Sales Tax to Government and do not show sales and purchase in account books and if so, whether Government propose to refer this matter to C.B.I. for investigation?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin):

(a) According to the survey conducted by the Municipal Corporation of Delhi during the year 1973, the number of units engaged in the manufacturing of plastic goods is 175 (12 licensed and 163 un-licensed).

(b) As Tri Nagar is a non-confirming area no license has been issued by the Director of Industries, Delhi Administration. The Municipal Corporation of Delhi has informed that according to their record 12 units have been granted licences for manufacturing of plastic goods and 163 were detected to be running without licences. Prosecution was launched against them under section 416/417 of the Delhi Municipal Corporation, Act, 1957.

(c)(i) Government have received 3 complaints during the current financial year regarding evasion of Sales Tax against plastic factories in Tri Nagar area. Enquiries conducted revealed that one of them was already registered with the Sales Tax Department. No evidence of evasion of tax was found. Enquiries in the second case indicated that the owner was doing labour work only and was not, *prima facie*, liable to pay Sales Tax. Enquiries in the third case have not yet been completed. If any specific information is received, action is taken according to law, in respect of both registered and unregistered dealers.

(ii) Government have not received any complaint regarding evasion of Income Tax. A survey was conducted by the Commissioner of Income Tax, Delhi in Tri Nagar Area in respect of plastic factories located in that area. According to their records a list of 22 units have been prepared. The enquiries reveal that out of these 22 units 3 have filed their Income-tax returns and 15 are not assessed to tax and regarding the remaining 4 the information is not readily available. The Commissioner of Income Tax, Delhi is, however, taking action to bring on its registers those plastic factories in the Tri Nagar area which are not assessed to tax so far.

त्रिनगर, दिल्ली में प्लास्टिक के कारखाने

3096. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिनगर दिल्ली में प्लास्टिक के कितने कारखाने स्थित हैं ;

(ख) क्या ये प्लास्टिक कारखाने सरकार से किसी प्रकार का लाइसेंस लिये बिना चल रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार को प्लास्टिक कारखाने के ऐसे मालिकों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जो सरकार को कोई आय कर और बिक्री कर अदा नहीं करते और क्रय-विक्रय को लेखा बहियों में दर्ज नहीं करते और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) वर्ष 1973 के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा किये गये सवक्षण के अनुसार 175 कारखाने (12 लाइसेंस वाले तथा 163 बिना लाइसेंस वाले) प्लास्टिक की वस्तुयें बनाते हैं।

(ख) चूंकि त्रिनगर एक अस्थिर क्षेत्र है अतः उद्योग निदेशक, दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार प्लास्टिक की वस्तुयें बनाने की 12 यूनिटों को लाइसेंस दिये गये हैं और पता लगाया गया है कि 163 यनिटें बिना लाइसेंस की चल रही हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 416/417 के अधीन उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था।

(ग) (1) त्रिनगर क्षेत्र के प्लास्टिक कारखानों के विरुद्ध बिक्री कर न देने के संबंध में चालू वर्ष के दौरान सरकार को 3 शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में की गई जांच से मालूम हुआ है कि उनमें से एक पहले ही बिक्री कर विभाग में पंजीकृत था। कर परिहार का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था। दूसरे मामले में की गई जांच से मालूम हुआ है कि मालिक केवल मजदूर का कार्य कर रहा था और प्रत्यक्ष रूप से उसे कोई बिक्री कर नहीं देना था। तीसरे मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। यदि कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है तो पंजीकृत तथा बिना पंजीकृत सभी व्यापारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) सरकार को आयकर परिहार के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली के आय कर आयुक्त ने त्रिनगर क्षेत्र में स्थापित प्लास्टिक कारखानों के संबंध में सर्वेक्षण किया था। उनके रिकार्ड के अनुसार 22 कारखानों की एक सूची बनाई गई है। जांच से पता चला है कि 22 कारखानों में से 3 ने आयकर ब्यौरा प्रस्तुत किया है और 15 का कर के लिये मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा शेष 4 के बारे में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। किन्तु दिल्ली के आय कर आयुक्त त्रिनगर क्षेत्र के उन प्लास्टिक कारखानों को अपने रजिस्टर में दर्ज करने की कार्यवाही कर रहे हैं जिनका अब तक कर के लिये मूल्यांकन नहीं किया गया है।

अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना

3097. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु की तुलना में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास का मूल्यांकन तथा विश्लेषण करने और नए औद्योगिक एककों की स्थापना करने के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का विस्तार धीमी गति से हो रहा है तथा वे कम संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ) हर राज्य के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की अलग अलग संगणना नहीं की जाती अतएव विभिन्न राज्यों की औद्योगिक वृद्धि की दर का आकलन सम्भव नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में जिसमें प० बंगाल भी सम्मिलित है उद्योगों के विकास का पिछला पैटर्न अनेक ऐतिहासिक व अन्य कारणों पर आधारित रहा है तथा इन कारणों के सम्मिलित रूप से प० बंगाल के अन्य राज्यों की अपेक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना धीमी हुई है। अनेक केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा प० बंगाल समेत पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों के ढांचे के संबद्ध अथवा उनके विविधीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं प० बंगाल में औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाने के इच्छुक उद्यमियों को 1971 1972 तथा 1973 के दौरान कुल 167 आशय पत्र जारी किए गए हैं पूंजी निवेश में रुचि जगाने, निवेश के अवसरों को पहचानने में उद्यमियों की सहायता करने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए प० बंगाल सरकार द्वारा आवश्यक संवर्द्धन कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में प० बंगाल राज्य औद्योगिक विकास निगम भी योग दे रहा है। उचित दिशाओं में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु उद्यमियो के आवेदनों पर विचार करने तथा उनपर कार्यवाही करने की दिशा में समय समय पर जारी किए मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रकाश में केन्द्र हर प्रयत्न कर रहा है। वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में इस प्रकार के दो मार्ग दर्शक सिद्धान्त जारी किए जा चुके हैं।

देहरा मुख्य डाकघर

3098. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरा मुख्य डाकघर (हिमाचल प्रदेश) की इमारत बहुत पुरानी है और बारिश के दिनों में रिसती है ;

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व इसका नवीकरण और विस्तार करने के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित नवीकरण और विस्तार करने का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। मरम्मत करने के लिए कार्य-वाई की जा रही है।

(ख) जी नहीं। तथापि, इस इमारत के विस्तार/नवीकरण का मामला विचाराधीन है।

(ग) आर्थिक तंगी के कारण अव्य/वसायिक इमारतों के निर्माण/विस्तार/नवीकरण पर लगे प्रतिबंध के कारण यह मामला रुका हुआ है। प्रतिबंध हटा लिए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिये गृह

3099. श्री **एस० एन० सिंह देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी प्रदेश के वृद्ध एवं रुग्ण स्वतंत्रता सेनानियों के लिये पश्चिम बंगाल में एक गृह की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक होने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान् । तथापि सरकार ने ऐसे दो गृह एक दक्षिण में तथा दूसरा उत्तर में स्थापित करने का निश्चय किया है । स्थाई गृह बनने तक 2 अक्तूबर, 1974 से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में एक अस्थाई गृह आरम्भ करने का सरकार का प्रस्ताव है ।

जबकि पश्चिम बंगाल सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के लिये पहले से ही एक गृह चला रही है । राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, के लिये जिनको आश्रय की आवश्यकता है, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक गृह स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़े पश्चिम बंगाल के टेलीविजन निर्माता एककों के आवेदन पत्र

3100. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के टेलीविजन निर्माता एककों के कितने आवदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) इन आवेदन-पत्रों पर निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) टेलीविजन रिसीवरों के उत्पादन के संबंध में पश्चिम बंगाल का कोई आवेदन पत्र अनिर्णीत नहीं पड़ा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाना

3101. **ए० के० एम० इसहाक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पहाड़ी जिले को अभी तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसक क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर दिया गया है । अतः उद्योगों के विकास हेतु रियायती दर पर वित्त प्राप्त का हकदार है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1974-75 के लिए राज्य की योजनाएँ

3102. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के योजना बोर्डों ने वर्ष 1974-75 के लिए अपनी योजनाएँ प्रस्तत कर दी हैं ;

(ख) क्या मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य की योजनाएँ स्थगित कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इससे कौन कौन गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वार्षिक योजना प्रारुप के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में जो कार्यविधियां प्रचलित हैं, उनके अनुसार योजना आयोग को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक योजनाओं के प्रारूपों पर राज्य योजना बोर्डों द्वारा विचार किया जाता है । परन्तु वार्षिक योजना प्रारूप के प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर सम्बन्धित राज्यों के योजना विभागों द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिए जाते हैं । वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं तथा राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों से परामर्श कर इन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) सम्बन्धित वार्षिक योजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए योजना आवंटनों जिनकी सूचना राज्य सरकारों को पहले ही दी जा चुकी है में कोई कटौती नहीं की गई है ।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन

3103. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वतंत्रता सेनानियों की, राज्यवार, संख्या क्या है जो इस समय 200 रुपये प्रति मास की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) उन ऐसी विधवाओं की संख्या क्या है जो 150 रुपये प्रतिमास से अधिक की पशन पा रही हैं;

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों की उन विधवाओं की राज्यवार, संख्या क्या है जो 100 रुपये प्रतिमास की पेंशन पा रही हैं ; और

(घ) स्वतंत्रता सनानियों के उन अवयस्क बच्चों की संख्या क्या है जो प्रतिमास 50 रुपये की पेंशन ले रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) 85,240 मामलों में पेंशन स्वीकृत कर दी गयी हैं । महालेखाकार गृह मंत्रालय से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर स्वतंत्रता सेनानियों को अदायगी के आदेश जारी करते हैं । यह कहना कठिन है कि कितने स्वतंत्रता सेनानी अथवा उनके आश्रित इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना में दो प्रकार की पेंशन दी जाती है अर्थात् (i) जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और (ii) जो स्वतंत्रता सेनानी अब जीवित नहीं हैं उनके आश्रितों को परिवार पेंशन। परिवार में माता, पिता, विधुर, विधवा यदि उसने अभी तक पुर्नविवाह नहीं किया है, अविवाहित पुत्रियां और कुछ आपवादिक परिस्थितियों में पुत्र शामिल हैं। जीवित स्वतंत्रता सेनानी के लिये न्यूनतम पेंशन 200 रुपये मासिक है, और यदि स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है तो परिवार के एक सदस्य को 100 रुपये मासिक। परिवार पेंशन में प्रत्येक अविवाहित पुत्री को 50 रुपये प्रति माह स्वीकृत किये जाते हैं परन्तु कुल पेंशन 200 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिये।

अब तक बड़ी संख्या में प्राप्त तथा निपटाये गये आवेदनपत्रों को ध्यान में रखते हुय ऐसे स्वतत्रंता सेनानियों और आश्रितों की संख्या देना जिन्हें विभिन्न दरों पर पेंशन स्वीकृत की गई है संम्भव नहीं है।

गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3104. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पिछले दो महीनों से कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति म सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कुछेक छुटपुट घटनाओं को छोड़कर गुजरात राज्य में गत दो महीनों में कानून व व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 'पम्पड स्टोरेज' योजनाओं की स्थापना

3105. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 'पम्पड स्टोरेज' योजनाओं की स्थापना करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में निम्नलिखित पम्प संचयन स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं :—

परियोजना	क्षमता (मेगावाट में)	स्वीकृत अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
कदमपरै (तमिलनाडु)	4×100	35.15
नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश)	2×50	9.39
कडाना (गुजरात)	4×60	24.58

यह पता चला है कि परियोजनाओं की अनुमानित लागत में हाल में हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखकर राज्य सरकारें परियोजनाओं के व्यवहार्यता और तकनीकी पहलुओं का पुनरीक्षण कर रही हैं।

Salaries and Allowances of Central Ministers

3106. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the expenditure incurred on Central Ministers in respect of their salaries, allowances and under other heads, separately, during the ast two years, year-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : A statement is attached.

Statement

The expenditure incurred on salaries, sumptuary allowance and tour expenses of the Ministers during the years 1972-73 and 1973-74 is indicated below:

Year	Salaries	Sumptuary allowance	Tour expenses
	(Rupees in lakhs)		
1972-73	12·38	0·98	28·37
1973-74	14·42	1·17	38·90

(As booked by the Accountant General Central Revenues, upto March, 1974).

2. The perquisites to which a Minister is entitled are free furnished residence and free supply of water and electricity. In respect of the latter, since 1st April, 1963, the Ministers have imposed a voluntary ceiling of Rs.200 per mensem. The details of the total amount of expenditure incurred on maintenance of the residences and furnishings as also supply of water and electricity during the years 1972-73 and 1973-74 are being collected and will be laid on the Table of the House.

वर्ष 1974 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों पर किये गये अत्याचार

3107. **श्री एस० एम० सिदय्या :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में 1 जनवरी, 1974 से 25 जुलाई, 1974 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों पर क्या-क्या अत्याचार किये गये;

(ख) अत्याचारों से कितने लोग घायल हुये और कितने मारे गये तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(ग) प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) ऐसे अत्याचारों को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने क्या ठोस उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Scholarships to S.C. and S.T. Students

3108. Shri S.M. Siddayya: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) what is the total amount of post-matric Scholarships awarded to the students of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the years 1972-73 and 1973-74 in each State and Union Territory; and

(b) of the total amount, how much has been paid towards the tuition fees, examination fees and other fees and how much has been paid to the students for their maintenance?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin):

(a) A statement showing the total amount spent on the award of post-matric scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students during the years 1972-73 and 1973-74 is annexed. [Placed in the Library. See No. LT-8247/74].

(b) The information is being collected from the State Governments.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिए उप-योजना

3109. **श्री एस० एम० सिदय्या :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु वर्ष 1974-79 के लिये प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक उप-योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसके लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या सामान्य विकास योजनाओं में से एक नियत प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये रखी गई है ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उप-योजनाएं केवल उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिये तैयार की जा रही हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है। उप-योजनाऐं क्षेत्र आधारित कार्य क्रम है, अतः अनुसूचित जातियों के लिये उप-योजनायें तैयार करना संभव नहीं है। बहरहाल, उप-योजना क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति के लोग भी इस विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।

(ख) उप-योजना की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :—जनजातिय लोगों के शोषण का अन्त करना, उनके सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति को तेज करना, उनकी आन्तरिक शक्ति को सुदृढ़ करना, तथा उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को विकसित करना। तैयार किये गए कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक आधारभूत बुनियादी आधार की व्यवस्था करना होगा। ये सुविधायें ऋण, विपणन और भंडारण, भूमि अभिकरणों तथा वनों से सम्बन्धित हक के अभिलेखों को पूर्ण करना, ऋण से मुक्ति, मध्यम तथा लघु सिंचाई का विकास, कृषि तथा बागवानी की विकसित प्रक्रिया की व्यवस्था करना, अदल-बदल कर (शिफ्टिंग) खेती करने की समस्या को हल करना, कृषि तथा वन पर आधारित माल तैयार करने वाले उद्योगों की स्थापना करना जनजातिय क्षेत्रों के छोटे-छोटे गांवों तथा वनों को जोड़ने के लिये मुख्य सड़कों तथा परिवहन और संचार की व्यवस्था करना; प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना इत्यादि।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकारों से परामर्श कर वित्तीय आवश्यकताएं तैयार की जा रहीं हैं। राज्य सरकारों को कोई विशेष प्रतिशत नहीं बताया गया है, परन्तु यह आशा की जाती है कि उप-योजना क्षेत्र में राज्य योजनाओं के विभिन्न विकास क्षेत्रों से पर्याप्त संसाधन सुलभ होंगे। केन्द्र जनजातिय क्षेत्रों के विकास के लिये यथासंभव राज्य योजना के लिये संसाधनों के पूरक के रूप में कार्य करेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विद्युत परियोजनाएं

3110. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किन-किन विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन पूरा होने और चालू होने में विलम्ब हुआ है; और

(ख) कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं सम्बद्ध जलाशयों में जल स्तर के गिर जाने के कारण 1973-74 के दौरान लक्ष्यों के अनुरूप विद्युत उत्पादन नहीं कर सकी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सेक्टर में निम्नलिखित परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब हुआ है :

1. बदरपुर ताप विद्युत परियोजना
2. बैरा-सियुल जल विद्युत परियोजना
3. लोकतक जल-विद्युत परियोजना
4. राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (दूसरा यूनिट)
5. कालपक्कम (प्रथम यूनिट)

(ख) निम्नलिखित बृहद जल विद्युत परियोजनाओं में वर्ष 1973-74 क अभिकल्प शक्यता की अपेक्षा कम ऊर्जा उत्पादित हुई है ;

उत्तरी क्षेत्र

उत्तर प्रदेश

रिहंद

दक्षिणी क्षेत्र

आन्ध्र प्रदेश

मचकुंड

केरल

पल्लीवासल
सेंगुलम
पन्नियार

तामिल नाडु

पेरियार
कुंडाह

कर्नाटक

शिवसुन्दरम तथा शिमस
जोग और शरावती

पूर्वी क्षेत्र

उड़ीसा

हीराकुंड

पश्चिमी क्षेत्र

टाटा विद्युत कम्पनी के
भीरा, भिवपुरी और खोपोली

बिजली उत्पादन और पारेषण योजनाओं का पुनर्विलोकन

3111. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली उत्पादन और पारेषण सम्बन्धी वे विशेष योजनाएं क्या हैं जिनकी प्रगति के बारे में योजना आयोग ने 1973—74 में पुनर्विलोकन किया था; और

(ख) उक्त योजनाओं की क्रियान्विति में आई बाधाओं को दूर करने के लिये दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) योजना आयोग प्रत्येक वर्ष योजना में शामिल सभी बिजली उत्पादन स्कीमों बड़ी पारेषण लाइनों की प्रगति की समीक्षा करता है। जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है उनकी भी विस्तृत समीक्षा की जाती है। वर्ष 1973–74 के दौरान, निम्नांकित परियोजनाओं के लिये वार्षिक योजना में जो आवंटन रखा गया है, उसके अलावा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी, ताकि वे जल्दी काम करने लगे :—

(करोड़ रुपये)

1			2
आन्ध्र प्रदेश : लोअर विलैरु हाइड्रो कोथागुडेम चरण 3			5.62
थर्मल			2.45
बिहार : स्वर्णरेखा हाइड्रो			1.4
गुजरात : साबरमती थर्मल			2.8
हरियाणा : फरीदाबाद थर्मल			2.8
केरल : इडुक्की हाइड्रो			2.8
पश्चिम बंगाल : संतलदीह थर्मल			6.3
कर्नाटक : कालिन्दी			14.9
जम्मू तथा काश्मीर : अन्वेषण			0.77
हिमाचल प्रदेश : अन्वेषण			1.09
हिसार बल्लभगढ़ लाइन : पंजाब		0.52	
	हरियाणा	0.35	
	राजस्थान	0.22	1.09
	जोड़	1.09	42.02

बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति पर अन्तर्मंत्रालयीय समिति की सिफारिशें

3112. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेरोज़गारी संबंधी भगवती समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिये स्थापित अन्तर्-मंत्रालयीय कार्यकारी दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : बेरोज़गारी संबंधी समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर अन्तर्मंत्रालय कार्यकारी दल के विचारों/सुझावों का सारांश संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—8248/74)

पंजाब में बिजली का उत्पादन

3113. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में विद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता क्या है;

(ख) पंजाब में इस समय विभिन्न स्रोतों से कितनी बिजली पैदा हो रही है; और

(ग) कमी की पूर्ति किस प्रकार से करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय पंजाब में कुल प्रतिष्ठापित विद्युत क्षमता तथा विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)	जी० डब्ल्यू० एल०/दिन उत्पादन
भाखड़ा में भाग	613	3.69
शानन	48	0.85
अपर बारी दुआब नहर	45	0.65
लघु तापीय और डीजल	57	0.46

(ग) पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बस्सी जल विद्युत परियोजना से 0.55 जी० डब्ल्यू० एल०/दिन तक राहत प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त भटिंडा में गुरुनानक ताप केन्द्र की 110 मैगावाट की प्रथम यूनिट के सितम्बर, 1974 में तथा दूसरी यूनिट के अप्रैल, 1975 तक चालू हो जाने की संभावना है। इन दोनों यूनिटों के चालू होने के उपरान्त विद्युत की स्थिति में काफी सुधार होने की संभावना है।

अवर सचिव व इससे ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के नाम नामांकित करने के लिए मंत्रालयों को निदेश देना

3114. **श्री ए० एस० कस्तूरे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग ने अन्य मंत्रालयों को यह निदेश जारी किया है कि केन्द्र में अवर सचिव तथा इससे ऊंचे संयुक्त सचिव स्तर के पदों तक के पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के प्रथम श्रेणी के पात्र अधिकारियों के नाम नामांकित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि मंत्रालय इस निदेश का पालन करें और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के पात्र अधिकारियों के मामले निश्चित रूप से नामांकित किए जाएं ताकि वे ऐसे अवसर से वंचित न रह सकें ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्र के अधीन सावधिक पदों पर कर्मचारियों को लगाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं से संवर्ग प्राधिकारियों को हर साल यह कहा जाता है कि वे इन पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त अधिकारियों के नामों का नामांकन करें। उन्हे पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे प्रतिनियुक्ति के लिये उपयुक्त अधिकारियों के नामों का सुझाव देते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पात्र अधिकारियों के दावों पर भी विचार करें। यह विचार करना सम्बन्धित संवर्ग प्राधिकारी का कार्य है कि क्या वे अपनी आवश्यकताओं तथा अधिकारियों की रजामन्दी को देखते हुये ऐसे पात्र अधिकारियों को, जो सचिवालय के पदों पर नियुक्तियों के लिये उपयुक्त हैं, छोड़ सकते हैं।

News-item Captioned "Harijans urged to join Islam"

3115. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a news report on the 2nd August, 1974 under the caption "Harijans urged to join Islam"; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):

(a) Government have seen such a news-item published in the "Hindustan Times" dated the 2nd August, 1974.

(b) No such move has come to notice yet.

Government's reaction to the question of social boycott, harassment and repression of Scheduled Castes is well-known. Attention in this connection is invited to the answer given in this House to Starred Question No. 351 on the 14th August, 1974.

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भारत हवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को देय बकाया राशि

3116. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को बहुत अधिक धनराशियां देय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पेशगी धनराशि प्राप्त किये बिना और क्रयादेश स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे पांचवीं योजना के कार्यक्रम न रुके रहें ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) सूचना मिली है कि जुलाई, 1974 के अन्त तक, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० को लगभग 58.20 करोड़ रुपये देने थे। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

बिजली बोर्ड का नाम	बाकी धन (करोड़ रुपय)
1. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	32.00
2. महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	5.30
3. गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	4.70
4. आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	4.20
5. बिहार राज्य बिजली बोर्ड	3.30
6. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	2.60
7. तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	1.90
8. पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	1.20
9. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	0.90
10. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	0.70
11. उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	0.60
12. असम राज्य बिजली बोर्ड	0.20
13. हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	0.20
14. मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	0.20
15. कर्नाटक राज्य बिजली बोड	0.10
16. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	0.10

(ग) सामान्य शर्तों, जिनके अन्तर्गत मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन संयंत्रों की सप्लाई की जाती है, के अनुसार उपस्कर के एफ० ओ० आर० मूल्य का 10 प्रतिशत आदेश देते समय पेशगी देना होता है।

(घ) भारत सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अपना उत्पादन चालू रखने में समर्थ बनाए रखने तथा पांचवीं योजना के कार्यक्रमों के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड का समय पर उपस्करों की प्राप्त कराने के सर्वोत्तम उपायों की जांच कर रही है।

तापीय बिजली घरों में बिजली के उत्पादन के लिए घटिया प्रकार के कोयले का उपयोग

3117. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय बिजली घरों में बिजली के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण सप्लाई किये गए कोयले की किस्म का घटिया होना है;

(ख) कोयले की सप्लाई पर नजर रखने और सभी सम्बद्ध अधिकरणों में समन्वय स्थापित करने के लिये मंत्रालय में क्या व्यवस्था है;

(ग) क्या इस घटिया किस्म के कोयले से उपकरणों को क्षति पहुंचेगी; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ठीक प्रकार से कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) कुछ ताप विद्युत् केन्द्रों में कम उत्पादन होने के मुख्य कारणों में से एक कोयले की घटिया किस्म का होना है। कोयले की घटिया किस्म से उपस्कर, जैसे कोयला मिलों, आई० डी० पंखों, धूली संग्राहकों आदि को क्षति होती है।

विभिन्न विद्युत कन्द्रों को उपयुक्त मात्रा तथा उचित किस्म के कोयले की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं :—

(1) विद्युत केन्द्रों को उचित किस्म के कोयले के मासिक आवंटन तथा संयोजकों क पुर्नवलोकन के लिये खान विभाग म एक स्थायी संयोजन समिति गठित की गई है।

(2) विद्युत केन्द्रों में कोयले की दैनिक सप्लाई और स्टाक का पुनरवलोकन करने के लिये रेल मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिये लोडिंग और वैगनों के आवंटन का पुर्नवलोकन करने के लिये कलकत्ता में एक संयुक्त सेल खोला गया है।

(4) राज्य बिजली बोर्ड को आदेश दिये गए हैं कि वे कोयला भरने और उतारने के स्थानों पर अपने अधिकारी तैनात करें, ताकि वे यह जांच कर सकें कि विद्युत केन्द्रों को उचित किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है।

(5) यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत उत्पादन के लिए केवल 3–स्टेजवाशरीज से मध्य किस्म का कोयला ही प्रयोग में लाया जाना चाहिये। 2–स्टेज वाशरीज को 3–स्टेज वाशरीज में बदलने के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है।

(6) विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की किस्म के नियंत्रण की स्कीम तैयार करने में सहायता देने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान से अनुरोध किया गया है। कोयले की सप्लाई की संविदाओं में उपयुक्त दण्ड/बोनस खण्ड लागू करने का भी प्रस्ताव है।

यमुना नदी पर बांध का निर्माण करने के प्रश्न पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद

3118. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव जिले में कासिया गांव के निकट यमुना नदी पर बांध का निर्माण करने के प्रश्न पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद है;

(ख) क्या दोनों राज्यों की सरकारों ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रश्न को उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार द्वारा छैन्सा ग्राम के सामने यमुना नदी के ऊपर एक बांध के निर्माण का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें यह डर था कि इससे मुख्य धारा उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ सकती है, और उन्होंने सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को लिखा था कि निर्माण कार्य बन्द करने के लिये वे हरियाणा सरकार को सलाह दें। इस मामले पर सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में जनवरी 1974 में हुई बैठक में विचार किया गया था जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के अधिकारी भी शामिल थे। उस समय इस बात पर सहमति हुई थी कि बांध अस्थायी प्रकार का होगा जिससे मुख्यतया बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये सामग्री की ढुलाई के निमित्त हरियाणा के कुछ गांवों को एक्सेस मार्ग की व्यवस्था होगी तथा शीतकालीन प्रवाह निर्गमन के लिये बन्ध में खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा। बांध इस प्रकार का होगा जो कि मानसून के दौरान बह जाए और इस बात पर भी सहमति हुई थी कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो संभव सीमा तक, किसी भी रुकावट को हरियाणा सरकार द्वारा हटा दिया जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाढ़ों से बन्ध में दरार पड़ गई थी जैसा कि गत जनवरी में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था, अगर कोई बाधाए अब भी हों, उन्हें हटाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कार्यालयों का स्थानान्तरण

3119. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री भारत के हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कार्यालय के स्थानान्तरण के बारे मे 6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम के कार्यालय को संभवतः कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

ओद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बर्दवान के भूतपूर्व उप-महानिरीक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3120. **श्री रोबिन सेन** : क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भूतपूर्व उप-महानिरीक्षक बर्दवान और इस समय पश्चिम बंगाल की जेलों के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जैसा कि फरवरी, 1974 को प्रश्न संख्या 1031 के उत्तर में बताया गया था, एक आपराधिक मामले, जिसमें इस अधिकारी के हाथ होने का आरोप है, की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है । अब इस मामले में जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्रत्याशित है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत बर्दवान जिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

3121. **श्री रोबिन सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन बर्दवान जिले के प्रत्येक उप-प्रभाग में अप्रैल, 1974 से जून, 1974 के बीच कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की राजनैतिक सम्बद्धता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गुजरात के रानभालपुरा गांव क सवर्ण हिन्दुओं पर सामूहिक दण्डात्मक जुर्माना किये जाने का प्रस्ताव

3122. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के लिये दण्डात्मक उपाय के रूप में रानभालपुरा गांव के सवर्ण हिन्दुओं पर सामूहिक जुर्माना किये जाने के प्रस्ताव की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को लागू करने की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या हरिजनों पर इसी प्रकार के क्रूर अत्याचार किये जाने पर समस्त भारत में इसी प्रकार के उपाय किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है जिससे हरिजनों में कुछ विश्वास उत्पन्न हो सके : और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् । गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार रानमालपुरा गांव के कन्बी पटेल समुदाय से 11 जुलाई, 1974 से तीन महीने की अवधि के लिये गांव में तैनात की गई विशेष रिज़र्व पुलिस का खर्च वसूल करने का निर्णय किया गया है। विशेष रिज़र्व पुलिस का खर्च जिला मैजिस्ट्रेट सुरेन्द्रनगर द्वारा इसके देनदार लोगों से देय भूराजस्व के बकाया के रूप में कर द्वारा वसूल किया जायगा ।

(ग) तथा (घ) संयुक्त समिति ने जैसा सूचित किया है उस के अनुसार इस संबंध में अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 1974 में एक उपयुक्त उपबन्ध शामिल करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आंन्ध्र प्रदेश में कुड्डापट्टी जिले के रमन्नापल्ली गांव में हरिजनों को पुनर्वास के लिये प्रस्ताव

3123. श्री वाई०ईश्वर रेड्डी : क्या गृह मंत्री जमीदारों द्वारा हरिजनों को परेशान किये जाने के बारे में 31 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश में कुड्डापट्टी जिले के रमन्नापल्ली गांव म 4 जुलाई, 1974 से जबकि जमींदारों ने उनके झोंपड़े जला दिये थे 540 हरिजन जिनमें महिलायें तथा बच्चे भी हैं बिल्कुल बेघर हैं तथा बिल्कुल खुले म बार-बार वर्षा का मुकाबला करने को विवश हैं और वे सब बेकार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उनका पुनर्वास करने के कोई प्रस्ताव हैं और उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 जुलाई, 1974 को गांव रामनापल्ली में आगजनी की घटना में गांव के 98 हरिजन परिवार बेघर हो गये थे । प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक साड़ी और एक धोती के साथ एक सौ रुपये अनुग्रहात राहत दी गई थी । इसके अतिरिक्त उनको 50 बोरी ज्वार, छः बोरी चावल और चालिस टिन तेल वितरित किये गये थे । प्रभावित परिवारों

को अपने मकानों के निर्माण के लिये मुफ्त लकड़ी लेने की अनुमति दी गई है। हरिजनों ने उसी स्थान पर बीस अस्थाई इमारतें खड़ी कर ली हैं और पांच मकानों का भी जो नष्ट नहीं किये गये थे आश्रय के रुप में प्रयोग किया गया है स्थानीय स्कूल हरिजनों को दे दिया गया है, किन्तु उन्होंने इसका उपयोग नही किया । राज्य सरकार के अनुसार बहुत से प्रभावित परिवारों को धान की रोपाई और अन्य कृषि कार्यों में, जो पास के गांव में अभी हाल में शुरू हुए हैं, दैनिक मजदूरी पर श्रमिक का काम दिया गया है। उनमें से कुछ को कुछप्पा शहर भी काम मिल गया है।

प्रभावित परिवारों को आदाहय सामग्री से मकानों के निर्माण दुधारु पशु बैल और बलगाड़ी इत्यादि खरीदने जैसी राहत प्रदान करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

इड्डिकी विद्युत परियोजना के लिए धन देना

3124. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 तक इड्डिकी विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 1974–75 के दौरान 15 करोड़ रुपये और वर्ष 1975–76 के दौरान 4 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भी स्वीकृत की गई पूरी राशि अभी तक नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इड्डिकी परियोजना (3—310 मेगावाट) की संशोधित लागत 97.5 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए पांचवीं योजना में लगभग 20 करोड़ रुपये की आवश्यक्ता होगी । बहरहाल, पहला विद्युत एकक 1975–76 के दौरान चालू होने की संभावना है और सारी परियोजना 1976–77 के दौरान पूरी होगी ।

(ख) इड्डिकी राज्य योजना स्कीम है और इसे राज्य योजना संसाधनों से धन उपलब्ध किया जाना है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कुल 101.5 करोड़ रुपये की कुल योजना में वार्षिक योजना 1974–75 में इड्डिकी परियोजना के लिए 11 करोड़ रुपये रखे गये है । संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने 73.89 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की सिफारिश की है जिसम से 11.25 करोड़ रुपये इस परियोजना के लिए रखे गये हैं । कार्यकारी दल एक ऐसा संगठन है जो स्कीम के लिए वांछित परिव्ययों का विश्लेषण करता है और कार्यकारी दल द्वारा राज्य को परिव्ययों के बारे में आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि अतिरिक्त संसाधन जुटाये तथा अपने राज्य कार्यक्रमों के साथ साथ परिव्ययों को आवंटित करें । इसमें इड्डिकी परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

मध्य प्रदेश में बस्तर में आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण

3125. श्री भागीरथ भंवर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है जिससे बस्तर के आदिवासी क्षेत्र लाभान्वित होगें ;

(ख) इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(ग) कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जायेंगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में 3,240 ग्राम है । इनमें से 149 ग्राम 31–3–1974 तक विद्युतीकृत हो चुके थे । इसके अतिरिक्त 644 नलकूप–पम्पसेट भी उर्जित किए जा चुके थे । ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है और उनके राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित स्कीमों के कार्यन्वयन के लिए योगात्मक ऋण वित्त-व्यवस्था ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा की जाती है ।

बस्तर जिले के लिए निगम ने अब तक दो स्कीमें स्वीकृत की है । स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार है :—

स्कीम का नाम	स्कीम की लागत	ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि	विद्युतीकृत	
			ग्राम	पंपसेट
1. बस्तर जिले में तहामदीगुदा बारबर, बकाबन, अमदलपुर में ग्राम विद्युतीकरण	79.50	51.77	115	750
2. बस्तर जिले में छोटा और दन्तेवाडा तालुके	51.77	26.50	39	450
कुल	131.27	78.27	154	1200

इन स्कीमों को 5 वर्ष में पूरा करने का कार्यक्रम है ।

तिलकनगर, नई दिल्ली के केशोपुर गांव में हरिजनों पर हमले

3126. श्री सरजू पांडे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलकनगर, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशन में हरिजन श्रमिक पर हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के बारे में केशोपुर गांव (तिलकनगर) की एक रिर्पोट (संख्या 55/2) दर्ज की गई थी ;

(ख) क्या इस मामले में अब तक केवल व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया, के अलावा कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) क्या इन हरिजनों को उन लोगों द्वारा धमकियां दी जा रही है जो जमानत पर है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां हरिजन परिवार को संरक्षण प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 जुलाई 1974 को केशोपुर गांव के हरिजनों के दो दलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक भू-खण्ड के ऊपर झगड़ा हो गया था । झगड़े के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। एक श्री जागेराम के बयान पर उसी दिन तिलकनगर थाने में 4 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था। श्री जागेराम जो घायल हो गया था विलिंडन अस्पताल में डाक्टरी जांच के लिये भेजा गया था । सभी चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, परन्तु बाद में न्यायालय ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था । पुलिस को अभियुक्त व्यक्तियों से धमकी देने की कोई शिकायत नहीं मिली है । किन्तु शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये दोनों पक्षों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अधीन रोकथाम की कार्यवाही की गई है ।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत रतलाम में व्यापारियों की गिरफ्तारियां

3127. **श्री झारखण्डे राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रतलाम (मध्य प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को जमाखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिये जायेगें ।

रतलाम (मध्य प्रदश) में जमा किये हुए कागज का पकड़ा जाना

3128. **श्री झारखण्डे राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम (मध्य प्रदेश) में भारत रक्षा नियमों के अर्न्तगत तीन फर्मों से लगभग 3 लाख रुपये का जमा किया हुआ कागज पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन फर्मों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहें है और सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे ।

दिल्ली में विद्युत संयंत्रों को अधिकार में लेना

3129. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का राजधानी के विद्युत संयंत्रों को अपने अधिकार में लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या है ।?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता !

विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege

भार्गव आयोग का प्रतिवेदन सभापटल पर रखने में सरकार की कथित असफलता

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कल मैंने अध्यक्ष महोदय से कृषि मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रतिवेदन के, जो सरकार को 15 मई, 1973 को प्रस्तुत किया गया था, सभा पटल पर न रखे जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी थी ?

16 मई, 1973 को तत्तकालीन कृषि मंत्री श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने प्रतिवेदन को सत्र के पहले दिन प्रस्तुत किये जाने की बात स्वीकार की थी और कहा था कि उस पर गौर किया जा रहा है ।

16 मई को श्री मधु लिमले ने यह मामला सदन में उठाने की अनुमति मांगी थी उन्होंने तीन मंत्रियों के विरुद्ध विशेषाधीकार का मामला भी उठाया था । उस समय वाणिज्य मंत्री प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने सभा से क्षमा मांगते हुए कहा था कि विलम्ब के कारण जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसे ठीक कर दिया जायेगा । उस समय भी श्री मधु लिमये ने आग्रह किया था कि विषशाधिकार के मामले को लिया जाये ।

मंत्री महोदय की क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए आपने कहा था कि भविष्य में आप ऐसी बात सहन नहीं करेंगे । श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने स्पष्टीकरण किया था कि रिर्पोट पेश की गई थी तथा वह स्वीकार हो गई. . .

अध्यक्ष महोदय : इस ओर भी ऐसी बातें होती है । तब मैं कहता हूं कि मैं इन्हें सहन नहीं करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : कल श्री मौर्य ने कहा था कि यह केवल अन्तरिम रिपोंट है । इस पर भी आप चाहतें थे कि इसे सभा पटल पर रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अन्तरिम रिपोंट के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : कल श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ठीक कहा था कि जहां तक तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन का प्रश्न था उसे सरकार द्वारा विचार किये जाने से पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया था ।

पिछली बार जब प्रो० शेरसिंह ने विचार करने के लिये कुछ समय मांगा था तब आपने कहा था कि हमें उसके लिये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात उस पर पहले ही विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि उससे पहले उस पर चर्चा कर ली जाये ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने श्री मौर्य द्वारा उठायी गई सभी बातों को लेने की चेष्टा की है । पिछले वाद विवादों में अध्यक्षपीठ द्वारा दिये गये रूलिंग भी लिखित रूप से प्रस्तुत किये है । इस प्रकार इस मामलें में विशेषाधिकार का मामला स्पष्ट है, जिसके लिये मुझे अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय रिपोंट के प्रस्तुत किये जाने की तिथि के बारे में जानकारी दें ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : ऐसा लगता है कि वर्ष के बारे में कुछ भ्रम है । माननीय सदस्य के नोटिस में रिपोंट के प्रस्तुत करने की तिथि 15 मई, 1974 बताई गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह आपके टाईपिस्ट की भूल है । मेरी प्रति में यह 1973 है । मल प्रति में कोई भूल नही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से तिथियों के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत मैंने किसी विशेषाधिकार का उल्लघंन नहीं किया, क्योंकि अन्तिम प्रतिवेदन फरवरी, 1974 में हमें प्रस्तुत किया गया था ।

हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद सरकार उस पर विचार कर रही है । अन्तरिम रिपोंट मिलने पर विचार करना समय से पहले प्रतिवेदन पर चर्चा करना होगा । जहां तक अन्तिम प्रतिवेदन का प्रश्न है, हम उस पर विचार कर रहें है और 27 अगस्त से पहलें उसे सभा पटल पर रखने का यत्न करेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है। उन्होंने अंतरिम प्रतिवेदन तथा अंतिम प्रतिवेदन की चर्चा की है। तथाकथित अंतरिम प्रतिवेदन नहीं है। भार्गव आयोग की नियुक्ति की गई थी और उनका विशेष निदेश पद यह था कि राष्ट्रीय करण किया जाये अथवा नहीं। चीनी मिलों के संबंध में यही एक प्रतिवेदन था।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur):

This is a matter of impropriety and not of privilege. Shri Sher Singh has asked the Commission to submit the report at-once. Bhargava Commission submitted its report. Shri F.A. Ahmed accepted it on 15th May. To say now that it was an interim report is not correct. They should lay the report on the Table of the House.

Shri Madhu Limaye (Banka): Generally the Tariff Commission or the Commission under the Commissioner of Enquiry Act is entrusted with two or three subjects and it submits separate reports in regard to them. It does not mean that these reports are interim. Before giving your ruling, please go through the report and satisfy regarding its nature.

Shri Genda Singh (Padrauna): The report is of great significance as it is to affect a large part of our country. Let us not create a division in the House by making it a privilege issue. Prof. Madhu Dandavate and all other members should endeavour that sugar industry is nationalized. We had decided this matter in party session at Bombay in 1969 with a overwhelming majority. Let us forget about delay and implement the nationalization need.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न में उलझाया नहीं जाना चाहिए। सभा में निरन्तर यह पूछा जाता है कि क्या चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो क्या उस पर चर्चा की जा सकेगी। कृषि मंत्री ने यह बताया था कि प्रतिवेदन 15 मई, 1973 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

चीनी उद्योग पर प्रतिवेदन तथा चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण अलग अलग प्रश्न हैं। एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्या चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है और उत्तर यह दिया गया है कि यह 15 मई, 1973 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा गया था। यदि वही एक मात्र प्रतिवेदन था तो विशेषाधिकार के उल्लंघन के गलतबयानी आदि के कई मामले बनते हैं। अब सरकार के सामने केवल एक ही बात रह जाती है कि वह विशेषाधिकार का उल्लंघन किए जाने के अपराध को स्वीकार करे तथा इस बारे में खेद प्रकट करें।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सारा विवाद इसी बात पर है कि क्या 15 मई, 1973 को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यदि निदेश पदों को ध्यान से देखा जाये तो उन्होंने राष्ट्रीयकरण पर पूर्ण तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन में अंतिम निर्णय लिया गया है अतएव उसके अंतिम रिपोर्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रतिवेदन मिल गया है। परन्तु सदस्यों को हर बात को विवाद का मामला नहीं बना लेना चाहिए।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी)) : पूरा विवाद इस बात पर है कि क्या कथित प्रतिवेदन अंतरिम था। मंत्री महोदय इसी बात को मानते हुए कि प्रतिवेदन अंतरिम था, यह कहते हैं कि उनके लिए इसे प्रेषित करना अनिवार्य नहीं था। इस मामले पर विशेषाधिकार समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

Shri Jagannathrao Joshi (Sheja pur) : Repeatedly it has been demanded that whatever reports have been received on sugar nationalization, it should be liad on the Table. But the same has not been done. This m atter may be examined by the Privileges committee.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आयोग ने अपने प्रतिवेदन प्रेषित करते समय उन्हें अंतरिम प्रतिवेदन संख्या 1 और 2 कहा है। अंतिम रिपोर्ट 27 फरवरी, 1974 को पेश की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रो० दंडवते को बताना चाहता हूं कि आयोग का प्रतिवेदन 3 भागों में था। जब प्रो० शेर सिंह ने कहा था कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तब मैंने कहा था कि उससे पूव भी उस पर विचार किया जा सकता है। मैंने अंतरिम रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया था।

जहां अंतरिम रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट का भाग होती है, वहां अंतिम रिपोर्ट की तिथि को ही प्रस्तुतीकरण तिथि माना जाता है। अतएव मुझे प्रस्तुतीकरण की अंतिम रिपोर्ट को ही लेना है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके निर्णय लेने से पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि दोनों अंतरिम प्रति वेदनस्वतः पूर्ण हैं। वह अगली रिपोर्ट में राष्ट्रीयकरण के मामले पर विचार नहीं करगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्तुतीकरण क्रिया को तीन भागों में नहीं बांट सकता अतएव मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह मामला अंतिम रिपोर्ट में नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन वही है जो अंतिम रुप में प्रस्तुत किया जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या आप तत्कालीन कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद पर विश्वास नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी पार्टी अथवा व्यक्ति, पर अविश्वास नहीं रखता। अंतरिम रिपोर्टों को मैं अंतिम नहीं मान सकता।

प्रो० मधुदण्डवते : कृपया रिपोर्ट को देखें कि क्या यह स्वतः पूर्ण है ?

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट तीन भागों में आयी है। मैं यह कैसे मान सकता हूं कि यह विशेषाधिकार का मामला है।

Shri Madhu Limay : What happened to the question of privilege raised by me in this respect?

अध्यक्ष महोदय : मुझे समय नहीं मिल सका। पता लगाने के लिये कुछ और समय लगेगा।

Shri Madhu Limaye: You advise Shri Gokhle that the House cannot tolerate the Ministers misguiding the House.

Mr. Speaker: I shall tell you after looking into the matter.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Paper laid on the Table

प्रारुप

विज्ञान तथा औधोगिकी योजना 1974-79, खण्ड-1

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना 1974–79, खंड 1- के प्रारुप (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8235/74)

अखिल भारतीय सवा म अधिनियम 1951 तथा आयध (संशोधन) नियम, 1974 के अन्तर्गत अधिसूचनाए

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 812 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें भारत के राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1974 प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 300 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8236/74]

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) संशोधन नियम, 1984, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त, 1974 में अधिसूचना सं० सा० सां० नि० 834 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8237/74]

(2) आयुद्ध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतगत आयुद्ध (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 733 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8238/74]

स्थायी सिन्धु आयोग के 31 मार्च 1974 को समापत हुए वर्ष सम्बंधी वार्षिक प्रतिबेदन

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : स्थायी सिन्धु आयोग के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8239/74]

इंडियन टेलिफोन इंन्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर तथा हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टंज लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उप धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखि प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इंडियन टेलीफोन इन्ड्रस्टीज लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1972—73 का वर्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षीत लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालखापरिक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8240/74]

(2) हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1972—73 का वार्षिक प्रतिवेदन लखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8241/74]

विद्युत संदान अधिनियम 1948 के अर्न्तगत गुजरात विद्युत बोर्ड के वर्ष 1974-75 के वार्षिक वितीय विवरण तथा एक विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें गये :—

(1) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी 1974 की उदघोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित विद्युत (संदाय) (अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात विद्युत बोर्ड के वर्ष 1974—75 के वार्षिक वित्तीय विवरण की एक प्रति।

(2) (एक) उर्पयुक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के कारण ; तथा (दो) उसके हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8242/74]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओ की कथित विफलता

Shri R.S. Pandey (Rajnand goan) : Sir, I call the attenion of the Minister of Planning to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon—

"Reported failure of schemes under crash programme for employment resulting in the Wastage of Rs. One Hundred and Seventy Crores"

(Shri Vasant Sathe in the Chair)

श्री वसन्त साठ पीठासीन हुये

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अध्यक्ष महोदय, चौथी योजना में पर्याप्त रोजगार अवसरों को सुलभ करने के महत्व को स्वीकार किया गया था। परन्तु योजना अवधि के दौरान यह देखा गया कि रोजगार के अवसरों में सम्भावित स्तर तक वृद्धि नहीं हुई है। अतः चार विशेष कार्यक्रम को कार्यान्वियन के लिये अपनाया गया ; ये कार्यक्रम थे :—

(1) ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित स्कीम ;

(2) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए कार्यक्रम ;

(3) विशेष रोजगार कार्यक्रम ; और

(4) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम ।

पहला कार्यक्रम यानि ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित स्कीम वर्ष 1971–72 में आरम्भ की गई थी और 1972–73 तथा 1973–74 के वर्षों के दौरान भी जारी रखी गई थी। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार देना था और प्रत्येक जिल के लिये औसत वार्षिक आवंटन 12.5 लाख रुपये का किया गया था। यह स्कीम पिछले तीन सालों से कार्यन्वित की जा रही है और इस दौरान इस पर 124.8 करोड़ रुपये खर्च हो चुके है। इसके परिणामस्वरूप 3,000 लाख श्रम दिवसों से अधिक रोजगार का सर्जन हुआ जो कि वार्षिक लगभग चार लाख लोगों को लगभग प्रति वर्ष लगभग 250 कार्य दिवसों का रोजगार देने के बराबर है ।

दूसरा विशेष कार्यक्रम, यानि इंजीनियरों और वज्ञानिकों समेत शिक्षित बेरोजगारी संबंधी कार्यक्रम है 1971–72, 1972–73 और 1973–74 क वर्षों के दौरान भी चालू था ।

इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ लघु उद्योगों को सहायता, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण तथा अनुसंधान करने की व्यवस्था की गई है । इन तीन वर्षों में कुल व्यय 93.09 करोड़ रुपये हुआ और 1971–72 में 40,000 शिक्षित

व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया तथा 1972–73 में 71,000 शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। 1973–74 में भी रोज़गार प्रदान करने की संख्या लगभग वही रही जो गत वर्ष थी।

तीसरा कार्यक्रम, अर्थात विशेष रोजगार कार्यक्रम वर्ष 1972–73 में प्रारम्भ किया गया था और अगले वर्ष भी जारी रखा गया था। इस कार्यक्रम पर इन दो वर्षों में कुल 48.62 करोड़ रुपया खर्च आया। इस स्कीम के अन्तर्गत लगभग 3.8 लाख लोगों को पूर्णकालिक रोजगार मुहैया हुआ। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम द्वारा 380 लाख श्रम दिवसों से भी अधिक का रोजगार सर्जित किया गया।

चौथा विशेष कार्यक्रम, अर्थात 5 लाख रोजगार कार्यक्रम, 1973–74 में प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 100 करोड़ रुपये के परिव्यय से 5 लाख शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना था। इस कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय 54 करोड़ रुपये ही हुआ और 3.34 लाख रोजगार के और अवसर उपलब्ध किए गए। इस स्कीम के अन्तर्गत स्वयं रोजगार उत्पन्न करने पर अधिक जोर दिया गया।

ध्यानाकर्षण सूचना में 170 करोड़ रुपये के खर्च का उल्लेख आया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 1973–74 के दौरान सरकार द्वारा उपयुक्त चारों कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय वस्तुत: 157.38 करोड़ रुपये किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

		करोड़ रुपये
ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित त्वरित स्कीम		41.78
शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित कार्यक्रम		39.17
विशेष रोजगार कार्यक्रम		22.44
पांच लाख रोजगार कार्यक्रम		53.99
	जोड़	157.38

इन कार्यक्रमों से 1973–74 के दौरान अनुमानत: निम्न प्रकार से रोज़गार का सर्जन हुआ :—

(1) ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित स्कीम	924 लाख श्रम दिवस।
(2) शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम	71,000 व्यक्ति (लगभग)।
(3) विशेष रोजगार कार्यक्रम	98,807 व्यक्ति और 14 लाख श्रमदिवस।
(4) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम	3,34,184 व्यक्ति।

काफी मात्रा में रोजगार, सर्जित करने के अलावा, इन कार्यक्रमों ने छोटी सिंचाई, भूमि उद्धार वन संवर्धन, ग्रामीण सड़कें, और औद्योगिक बुनियादी आधार आदि क्षेत्रों में उत्पादक परिसम्पत्तियों का भी निर्माण किया ।

अन्त में, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि ये चारों कार्यक्रम नये तैयार किए गए थे और इनका कार्यान्वियन देश भर में किया गया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इन कार्यक्रमों के लिए व्यापक संगठनात्मक प्रयत्न करने की आवश्यकता की और जैसे हुआ, विभिन्न स्तरों पर अनेक अभिकरणों ने इसमें काम किया । इस संदर्भ में कार्यन्वयन में कमी रहना स्वाभाविक था । फिर भी, जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं उनको ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रतिफल अधिकांशत: इस पर हुए खर्च के अनुरूप ही रहें । इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पांचवीं योजना में चालू वर्ष से विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों को युक्ति संगत बनाया गया है और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ समुचित रूप से एकीकृत कर दिया गया है । अब इस समय केवल एक विशेष रोजगार स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसे शिक्षित लोगों के लिये रोजगार-संवर्धन कार्यक्रम का नाम दिया गया है और इसमें स्व-रोजगार पर विशेष बल दिया गया है ।

Shri R.S. Pandey: Sir it was decided that five lakh people will be given employment in the Fourth Plan under adequate employment opportunities programmes. But our Plans are confined to the premises of Yojna Bhawan. Plans are formulated there as well as completed there. There is no implementation, but why? the Government should give a serious thought towards implementation of the Plans.

With the investment of Rs. 170 Crores in employment programmes there have not been created productive assets. Roads have been made only on papers. Minor irrigation schemes has not been completed so far. Thus we see that the entire plan of Rs. 170 Crores has been a flop.

May I know the details of the expenditure from the allocations made in this regard to U.P. Bihar, Kerala, Maharashtra, Rajasthan, Orissa, Madhya Pradesh, Karnataka and Himachal Pradesh? What happended to those amounts? Is there any machinery to watch the implementation of employment programme?

The number of educated unemployed is increasing. May I know the measures the Government intend to adopt in order to satisfy these unemployed people.

Mr. Speaker in the Chair:

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुय

The Government of Maharashtra guaranteed employment to the unemployed people of the State. But the measures they adopted in this regard have not been approved by the Planning Commission.

May I know the arrangements the Government is going to make to bring co-ordination between various agencies, they have created. Will the Hon, Minister be kind enough to give specific replies to my questions?

श्री मोहन धारिया : भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक की अनुपूरक रिपोट मे कुछ त्रुटियों का उल्लेख है । हम इन बातों पर गम्भीर रूप से ध्यान देते है । ये योजनाय विशेष परिस्थितियों में बनायी गयीं और ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना आवश्यक था। केन्द्रीय सरकार ने मार्गदर्शन सिद्धांत राज्य को भेजे है । राज्य सरकारों से कहा गया है कि इन योजनाओं को कार्यक्रम देते समय उत्पादक तथा स्थायी परिसम्पतियां पैदा की जायें। परन्तु कुछ राज्यों में इन योजनाओं का क्रियन्वयन नहीं हो पाया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि देश में आर्थिक विकास के हित में इन ग्रामीण कार्यक्रमों में तालमेल लाने के बारे में सरकार पहले ही निर्णय कर चुकी है । कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर योजना तंत्र बनाने तथा जिला योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । अतः क्रियान्वयन के संबंध में हमने सभी संभव कदम उठाये है । पांचवीं योजना में हमने इस पर विशेष बल दिया है ताकि ये कार्यक्रम देश में क्षेत्रीय विकास का अंग बन जायें ।

इन कार्यक्रमों से वर्ष 1971–72 में तथा 1972–73 में जो स्थायी परिसम्पतियां बनायीं गई वे इस प्रकार है । छोठी सिंचाई योजनाओं से 1,31,000 हैक्टेयर भूमि म सिंचाई हो सकेगी । देश पर्यन्त स्थायी विकास कार्य किये गये है । 15,600 हैक्टेयर भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया है । 24,350 हैक्टेयर भूमि का परिक्षण किया गया, 27,756 हैक्टेयर भूमि में बन लगाय गये । ऐसे ही अन्य बहुत से कार्य किये गये है । यदि राज्य सरकारें सहयोग करें, तभी इन कार्यक्रमों को चलाना संभव है ।

जब उचित आर्थिक विकास नहीं उपलब्ध होता तब शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं को हल करना संभव नहीं है । 31 दिसम्बर 1972, को 22,000 इजीनियर बेरोजगार थे अब उनको संख्या कम होकर 2,000 से 2,500 के बीच रह गई है ।

श्री ज्योर्तिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने मंत्री महोदय की बात बड़े ध्यान से सुनी है । मार्च 1972 की विवरण के अनुसार वर्ष 1971–72 में 107.69 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पदा किये गये । मार्च, 1973 की विवरणी के अनुसार 1972–73 में 62.58 लाख व्यक्तियों के लिये जगार के अवसर पदा किये गये। लेखा परीक्षा से एकत्र किये गये स्थानीय आंकड़ों के अनुसार 1971–72 में 28.10 लाख तथा 1972–73 में 26.71 लाख लोगों के लिये रोजगार के अवसर दिये गये । राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को जो आंकड़े दिये है वे कुछ और ही है । अतः मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है ।

श्री जगनाथराव जोशी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि उन्होंने वर्ष 1973–74 में 5 लाख लोगों के लिये रोजगार कार्यक्रम बनाया है । परन्तु देखने से पता लगता है कि इस कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गयी राज्यों को दी गई धनराशियां अधिकांशतः सड़कों के निर्माण

पर खर्च की गयी । सड़कें बनी या न बनी धन राशि व्यय कर दी गई बिहार में रोजगार कार्यक्रम के लिये निर्धारित धन राशि का 99.9 प्रतिशत सड़कें बनाने पर व्यय किया गया । महाराष्ट्र में 85 से 88 प्रतिशत सड़क निर्माण पर व्यय हुआ । पश्चिम बंगाल में छोटी सिंचाई परियोजना पर केवल 6 प्रतिशत धन राशि व्यय की गई। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते थे।

बहुत बड़ी धन राशि का गोलमाल किया जा रहा है। सड़कों का निर्माण कार्य में बहुत बड़ी संख्या में कदाचार के उदाहरण उपलब्ध हो सकते हैं। अब केन्द्रीय सरकार ने विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिये अपनी सहायता बन्द कर दी है। सरकार जनता के पैसे का किस प्रकार उपयोग कर रही है इसकी जांच करने के लिये क्या कोई संसदीय समिति बनाई जायेगी ? सरकार युवकों के जीवन को नष्ट कर रही है। बहुत से युवक आत्महत्या कर रह हैं। समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है ।

श्री मोहनधारिया : मैंने कहा था कि हमनें प्रतिवेदन को गम्भीर रूप में लिया है। फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि यह स्थिति का एक पहलू है । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तालमेल करने के लिये एक प्रभावी तंत्र बनायें ।

5 लाख लोगों को रोजगार देने हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया। इस योजना का कार्यभार मुझ पर ही था। मैंने अधिकारियों के साथ पूरे देश का दौरा किया और राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये। 54 करोड़ रुपये की राशि व्यय करके हम 3.40 लाख लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा कर पाये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा किये गये निर्देशों के अनुसार ग़ैर सरकारी ठेकेदारों द्वारा कार्य नहीं कराये जाने थे परन्तु बहुत से राज्य में यह देखा गया है कि कार्य ठेकेदारों के द्वारा कराये जा रहे हैं। मजदूरों को बहुत कम दर से दैनिक मजजूरी दी जा रही है ।

श्री मोहन धारिया : युवकों को रोजगार देने, उन्हें निराश न होने देने के लिये ही यह योजना बनायी गई ।

श्री पी०के० देव (कालाहाँडी) : त्वरित कार्यक्रम के संबंध में सरकार की विफलता को प्रकाश में लाने के लिये मैं महालेखाकार परीक्षक तथा "हिन्दुस्तान टाइम्स" को बधाई देता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत स्पष्ट था परन्तु मंत्री महोदय ने मूल विषय को छोड़कर इधर उधर की बातें बतायीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। वर्ष 1973–74 के लिये निर्धारित 157.78 करोड़ की राशि बर्बाद कर दी गयी है ।

थोड़ा बहुत मिट्टी का कार्य किया गया है जैसे सड़कें बनाना, लघु सिंचाई तटबंध आदि। यह सारा कार्य पहली वर्षा में ही नष्ट हो गया। सड़कें आदि के लिये जो मिट्टी डाली गई वह पहली वर्षा में ही बह गई।

गत वर्ष मेरे निर्वाचन में जितनी भी धन राशि व्यय की गई वह बेकार ढंग से व्यय की गई। महालेखा परीक्षक ने भी अपने प्रतिवेदन में ऐसा ही लिखा है। उन तीन राज्यों में उड़ीसा भी एक ऐसा ही राज्य है जहां धन राशि गलत ढंग से खर्च की गई है। उड़ीसा में कार्य का कोई अधीक्षण नहीं था। कोई तालमल नहीं था, कोई वैशिष्ट्य नहीं था। रोजगार कार्यों के ठेके कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को दिये गये। मजदूरों के जाली नामों से धनराशि ली गई। अत: इस कार्यक्रम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाया गया।

इस व्यय का क्या प्रभाव पड़ा है? मुद्रास्फिति बढ़ी है। रुपये की क्रय शक्ति कम हो गई है। अत: अब इस प्रकार के कार्यक्रम का अन्त किया जाना चाहिये।

रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गये? वास्तव में कितने लोगों को रोज़गार दिया गया? भारतीय कर दाता इस नाटक को कब तक चुपचाप देखता रहेगा जो देश को आर्थिक विनाश की ओर ले जा रहा है।

सभी दलों के सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा इस मामले की जांच कराई जानी चाहिये।

श्री मोहन धारिया : महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 के बारे में है जबकि वहां श्रीमती नन्दिनी सत्पथी मुख्यमंत्री नहीं थीं और माननीय सदस्य का दल ही वहा सत्तारूढ़ था **(व्यवधान)**

कार्यक्रम में जो कमियां हैं हम उन पर गम्भीर रूप से विचार कर रहे हैं। जो गलत है हम उसे सुधारने के प्रयत्न करेंगे। संसदीय समिति की मांग मुझे स्वीकार नहीं है।

याचिका समिति

Committee on Petitions

19वां प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं याचिका समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

बिहार में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में दिनांक 14 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to SCS No. 332 dated 14th March, 1973 re-setting up of Industries in Bihar in Public Sector

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : तारांकित प्रश्न संख्या 332 में, जिसका उत्तर 14 मार्च, 1973 को लोक सभा में दिया जाना था यह सूचना मांगी गई थी, कि क्या सरकार का विचार बिहार में 1973–74 में सरकारी क्षेत्र में नये कारखानों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं।

प्रश्न सरकारी क्षेत्र में सभी नए कारखानों के बारे में था और केवल औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन स्थापित किए जाने वाले कारखानों तक ही सीमित नहीं था। अतः यह सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभगों से इस प्रश्न के बारे में जानकारी एकत्र करना आवश्यक था। अपेक्षित सूचना सभी मंत्रालयों, अथवा विभागों से समय पर प्राप्त नहीं हुई। तथापि, योजना आयोग से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि बिहार में 1973–74 में सरकारी क्षेत्र में नए कारखानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी एवं योजना आयोग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का 14 मार्च, 1973 को यह उत्तर दिया गया है कि बिहार में वर्ष 1973–74 में सरकारी क्षेत्र में नए कारखानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तत्पश्चात्, अगस्त 1973 में खाद्य विभाग से यह जानकारी प्राप्त हुई कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिहार में चनपतियां और पूर्णिया स्थानों पर दो चावल मिलों की स्थापना करने का विचार है। विभाग को यह स्पष्ट करने को कहा गया कि क्या दोनो चावल मिलों की स्थापना 1973–74 में होने की संभावना है? खाद्य विभाग ने नवम्बर 1973 में यह स्पष्ट किया कि चनपतिया की मिल अगस्त 1973 में चालू हो चुकी है और पूर्णिया स्थित मिल के भी 1973–74 में स्थापित होने की संभावना है। इस जानकारी के प्राप्त होने पर लोक सभा प्रश्न के पहले दिये गये उत्तर को शुद्ध करना आवश्यक समझा गया। तथापि क्योंकि उस समय तक भी प्रश्न से संबंधित जानकारी सभी मंत्रालयों से प्राप्त नहीं हुई थी अतः यह सोचा गया कि सभी मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षित शुद्धि की जाये जिससे कि और आगे शुद्धि करने की अपेक्षा न रहे। इस बारे में अन्य मंत्रालयों से पत्र व्यवहार किया गया और भारी उद्योग मंत्रालय से अन्तिम उत्तर 29 मार्च, 1974 को प्राप्त हुआ।

लोक सभा प्रश्न के पहले दिये गये उत्तर को शुद्ध करने की कार्यवाही प्रारंम्भ करने से पूर्व खाद्य विभाग से चनपतिया और पूर्णिया में दोनों चावल मिलों की स्थापना की नवीनतम स्थिति के बारे में फिर से पूछताछ की गई। उस विभाग द्वारा 22 मार्च, 1974 को यह बताया गया कि पूर्णिया की मिल को जिस की पहले 1973–74 में स्थापना होने की संभावना थी, अब जुलाई 1974 तक पूरी होने की संभावना है।

प्रश्न के पहले दिये गये उत्तर के संशोधनों को तब अंतिम रूप दिया गया और 9 जून 1974 को उसे लोक सभा सचिवालय को भेजा गया। लोक सभा सचिवालय ने 16 जुलाई 1974 को यह परामर्श दिया कि क्योंकि पहले दिये गये उत्तर में की जा रही शुद्धि काफी बड़े पैमाने की है अतः सदन में एक वक्तव्य दिया जाये। तदनुसार तारांकित प्रश्न संख्या 332 के 14 मार्च 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य 1 अगस्त, 1974 को सभा पटल पर रखा गया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) 1974-75

Supplementary Demand for Grands (Railways) 1974-75

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : श्रीमन् मैं.................... ....(**व्यवधान**)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमन् कल आपने कहा था कि वे फिर से विचार करक वक्तव्य देगें (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई समय निर्धारित नहीं किया था ।

श्री पी० के० देव : आपके विचार स्पष्ट थे । हम उन्हें बजट नहीं पेश करने देगें जब तक वह आज वक्तव्या नहीं देते ....(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें कुछ व्यवस्था के प्रश्न उठाने है ।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कार्यसूची पर । कल आपके द्वारा कही गयी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आशा कर रहें थे कि आज की कार्यसूची में एक मद रेल कर्मचारियों के मामलों पर पुन विचार करने के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य होगा । पिछले दो दिन से सभा इस प्रश्न पर चिंतित है । हमें आश्चर्य है कि आज की कार्यसूची में ऐसे वक्तव्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।

. आपको कल के कागजातों के बारे स्मरण होगा । आपने उन्हें स्वयं ही पढ़ा था । रेल मंत्री के वक्तव्य के अन्तिम भाग में यह बताया गया कि उन्होंने राष्ट्रपति जी को आश्वासन दिया है कि व्यक्तिगत मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा । परन्तु दूसरे सदन में उपमंत्री श्री कुरेशी ने कहा है कि राष्ट्रपति के परामर्श का सम्मान किया जायेगा और उसे यथा शीघ्र कार्यन्वित किया जायेगा । इस प्रकार सरकार को दो सभाओं में दो प्रकार की बातें करके देश ो गुमराह कर रही है ।

हमें प्रतिदिन तार प्राप्त हो रहें है । एक भी कर्मचारी वापस नहीं लिया गया है । आज प्रातः ही एक तार मिला है । यह तार नार्थ-इस्टन रेलवे मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव श्री एम० परवेश ने दिया है । तार में लिखा गया है कि सेवा से निकाले गये तेरह कर्मचारियों की याचिकायें रद्द कर दी गई । समस्तीपुर में किसी भी कमचारी को कार्य पर नहीं आने दिया गया । इस प्रकार की स्थिति चल रही है । रेल मंत्री ने राष्ट्रपति जी को आश्वासन दिया है कि व्यक्तिगत मामलों पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा ।

राष्ट्रपति महोदय ने परामर्श दिया है कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध तोड़फोड़ अथवा हिंसा का कोई मामला नहीं है उन्हें नौकरी पर वापस लिया जाये और उनकी सेवा में अवरोध नहीं होना चाहिये मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार के परामर्श को संवैधानिक बाध्यता के रूप में माना जाना चाहिये ।

(अन्तर्बाधाएं) इसी कारण से आप ने अपने मंत्री महोदय को मामले पर फिर से विचार करके वक्तव्य देने को कहा। इस मामले को कार्यन्वित करने का उत्तरदायित्व प्रधान मंत्री पर है। सरकार को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिये। **(अन्तर्बाधाएं)**।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार को राष्ट्रपति महोदय के परामर्श को मान लेना चाहिये और इस बारे में सदन में वक्तव्य देना चाहिये। राष्ट्रपति महोदय ने जो विचार व्यक्त किये उनसे यह स्पष्ट था कि उन्हें इस बात का विश्वास था कि सरकार तत्काल न्याय करने में विलम्ब नहीं करेगी। राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि ऐसे सभी अधिकारियों को जिनका तोड़फोड़ अथवा हिंसा मे कोई हाथ नहीं था उन्हें सेवा में तिरोध के बिना सेवा में वापस लिया जाये। परन्तु माननीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। दोनों बातों में काफी अन्तर है। इस प्रकार सदन के सन्मुख यह गंम्भीर समस्या है।

प्रश्न यह है कि जब राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रपति होने के नाते सरकार को कोई परामश दिया जाये तो क्या सरकार को अधीकार प्राप्त है कि उस परामंश को वह न माने ? सदन में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय रेल मंत्री को इस बारे में वक्तव्य दना चाहिये। जिससे कि सारी स्थिति सदन के सक्षम स्पष्ट हो सके।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): My point of order is under Rules 352(6). It is not proper to drag the President's name in any controversy. **(Interruptions)**. I want to draw your attention toward Rule 356 also. It says that no member would induldge in irrelevant talk. But it is happening since yesterday. I request you to give your ruling under Rules 352 (6) and 356. **(Interruptions)**.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस बारे मतभेद नियम 352 के अन्तर्गत समाप्त किया जा सकता है कि कोई भी सदस्य राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख नहीं करेगा। अत: आप को मंत्री महोदय का उल्लेख करना चाहिये न कि राष्ट्रपति महोदय का।

Shri Madhu Limaye (Banke): My point of order is that yesterday you had directed the Minister......

Mr. Speaker: No direction was given.

Shri Madhu Limaye: You said that keeping in view the anxiety of the opposition 'they should come out with some facts.'

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिये। आप की प्रतिक्रिया को देखते हुए मैंने कहा था कि इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है। मैंने यह भी कहा था कि मुझ आशय है कि वह माननीय सदस्यों की प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे। आप वक्तव्य की मांग कर सकते है और मुझे उनके वक्तव्य पर कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु यदि उनकी कोई प्रति क्रिया न हो तो इस बारे मे कुछ नहीं कहा जा सकता।

Shri Madhu Limaye: You have correctly quoted. But the Deputy Railway Minister had categorically stated in the Rajya Sabha that Government would accept the advice of the President and implement that immediately....(**Interruption**). Why he is not prepared to say the same thing in this House? (**Interruption**).

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज की कार्यसूची पढ़ने के पश्चात मैंने आप को पत्र लिखा है । मुझे यह संख्या 10–11 के बारे में कुछ कहना है । माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया उसके बारे में सदन की प्रतिक्रिया देखते हुए आपने वह वक्तव्य पढ़ा जिसमें श्री गिरी का नाम था । कार्यवाही वृतान्त से यह स्पष्ट था कि आपने विचार व्यक्त किया था कि मंत्री महोदय विपक्ष को सन्तुष्ट करने के लिए वक्तव्य दें अथवा इसी प्रकार की कोई बात कहें मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि रेलवे की अनुदानों की पूरक मांगों के विवरण से पूर्व यह वक्तव्य आना चाहिये । हम जानना चाहते है कि 25,000–26,000 कर्मचारियों के साथ क्या बर्ताव होगा ? ऐसे कर्मचारियों का क्या होगा जिनके विरूद्ध न्यायालयों में मामले चल रहें है, में जिनके विरूद्ध झूटे मुकद्दमें दायर है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि बजट में अथवा अनुदानों की वरक मांगों में उन कर्मचारियों पर व्यय सम्मिलित नहीं होना चाहिये जो भुखमरी का सामना कर पूहे हैं और क्या उन्हें बहाली के बाद पूरी तनख्वाह दी जायेगी ?

दूसरे श्री मिश्र द्वारा रेलवे की वित्तीय व्यवस्था के बारे में वक्तव्य दिया जाना है । जिसके अनुपूरक अनुदानों की मांगों का औचित्य होगा । परन्तु कार्य सूची में 'रेलवे की वित्तीय अवस्था के बारे में वक्तव्य' ही उल्लिखित है । अतः उन्हें अनुपूरक मांग प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि हड़ताल में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के मामले पर विचार किया जाये ।

श्री दिन श चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : विपक्ष द्वारा अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । संविधान अथवा प्रक्रिया नियमों में एसी कुछ नहीं जिससे कि रेल मंत्री को इससे रोका जा सके । यदि आपने कोई स्पष्ट निर्देश दिया होगा कि पूरक मांगे प्रस्तुत करने से पूर्व रेल मंत्री वक्तव्य दें तो भी विपक्ष उन्हें रोक सकता था । परन्तु आपने एसा कोई निर्देश नहीं दिया था । अतः विपक्ष की आपत्ति का काई औचित्य नहीं है ।

नियम 354 के अनुसार परिषद में दिये गये भाषण का उल्लेख सदन में नहीं किया जा सकता जब तक िक वह सरकारी नीति के बारे में निश्चित वक्तव्य न हो । माननीय मंत्री वहां पर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे ।

यह आपत्ति संवैधानिक अथवा प्रक्रिया के आधार पर नहीं की जा रही अपितु केवल राजनैतिक आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। अतः आपको रेल मंत्री को अनुदानों की पूरक मांगें प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैंने एक रेल कर्मचारी को सेवा से हटाये जाने के मामले के बारे में मंत्री महोदय को लिखा है। उस कर्मचारी को रेलवे हड़ताल में सम्मिलित होने के आधार पर नौकरी से निकाला गया है। वास्तविकता यह है कि वह कर्मचारी आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम के अंतर्गत सन् 1972 से लगातार जेल में है और उसे निलम्बन भत्ता मिल रहा था। इस गैर-कानूनी आदेश के आधार पर उसका यह भत्ता रोक दिया गया है। क्या यह सभ्य सरकार है? राष्ट्रपति जी के परामर्श की कोई परवाह नहीं की जा रही। क्या इस प्रकार सेवा से निकाले गये कर्मचारियों के लिये बजट में कोई व्यवस्था की जायेगी **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री ए० के० एम० इसहाक (वासिरहाट) : इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

अध्यक्ष महोदय : अधिकतर इन बातों में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इस बारे म पहले कुछ नहीं कहा जा सकता कि सदस्य की बात में व्यवस्था का कोई प्रश्न होगा अथवा नहीं। कल भी इसी प्रकार हुआ था और आज भी यही हो रहा है।

श्री समर गुह : हम मंत्री महोदय को बजट प्रस्तुत करने का अवसर नही देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह समझते हैं कि संसद केवल शोर मचाने के लिए है और इसी प्रकार निर्णय किये जाने हैं तो आप विभ्रम में है।

कल मैंने आपके लिये रास्ता निकालना चाहा। यदि आप वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं अथवा वक्तव्य नहीं दिया जा रहा तो मैं चर्चा के लिए समय दे सकता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह प्रश्न किया गया है कि पिछले दिन राज्य सभा में रेल उप-मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति की इच्छा का पूर्णतः पालन किया जायेगा। किन्तु कल वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति की इच्छा की पूर्ति करने की बजाये केवल वैयक्तिक मामलों की ही सहानुभूतिपूर्ण जांच करेंगे। राष्ट्रपति ने स्वयं एक मंत्री के साथ हुई बातचीत को प्रेस में प्रकाशित करने की अनुमति दी थी। हमें राष्ट्रपति को वाद विवाद में नहीं खींचना चाहिए। हमें सरकार से यह पूछने का अधिकार है कि राष्ट्रपति के परामर्श की इस प्रकार अवहेलना क्यों की गई थी।

हजारों रेलवे कर्मचारी आज बुरी तरह पिस रहे हैं तथा समग्र विरोधी पक्ष उनके साथ हैं।

रेल मंत्री को अपने तथा अपने कनिष्ठ मंत्री के वक्तव्य में असमानता को भी स्पष्ट करना चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हमारी शिकायत बहुत सीधी है। प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि हम श्रमिकों के विरुद्ध नहीं है। सरकार की नीति यह रही है कि हिंसा तथा तोड़-फोड़ की घटनाओं में संलग्न व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सब पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जायेगा मंत्रियों द्वारा भी कई बार यही बात कही गई है। सैकड़ों रेल कर्मचारी सरकार की घोषित निति के विरुद्ध हैं जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया है तथा नौकरी से निकाल दिया गया है। जबकि वे न तो तोड़-फोड़ में शामिल थे और न ही उन्होंने हिंसा की कार्यवाही की है। किन्तु सरकार फिर भी अपनी ही घोषित नीति के विरुद्ध जा रही है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुबत्तपुजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्यसूची में अगली मदि मंत्री महोदय का वक्तव्य है। जहां उन मदों पर चर्चा की जा रही है जो कार्यसूची में नहीं हैं। यद आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसकी घोषणा करदें। ताकि हम भी इसमें भाग ले सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक ही मंत्रालय के दो मंत्रियों ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये ह। क्या श्री स्टीफन के अनुसार यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आज आपने उप मंत्री महोदय को भी इसमें शामिल कर लिया है।

Shri H.C. Kachwai (Morene) : I have a permit of order. You know that we and all the railway employees respect our President from the core of our heart. There is a controversy over the advice given by the President. One accepts it but the other does not. I wish that the hon. Minister may confirm the statement given by Shri Qureshi.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उठाये गये मामलों को लिया जाये अथवा नहीं ? अर्थात् इस विषय पर अनुपूरक मांगों के प्रस्तुतीकरण के पूर्व वक्तव्य दिया जाये अथवा नहीं। कल आपने इस मामले में सभा की राय जाननी चाही थी ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने मुझे कुछ नहीं बताया।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सभा अब अवसर को उपयोग में लाना चाहती है।

Mr. Speaker : If your dispute is regarding wards it is an other matter. I have said that this is a major issue and cannot be decided on the spot.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : समस्या यह है कि एक मंत्री एक सदन में कुछ वक्तव्य देता है तथा दूसरा मंत्री दूसरे सदन में अन्य प्रकार का वक्तव्य देता है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कल कुछ नहीं कहा गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका कथन है कि मामला कल उठाया जाना चाहिये था आज नहीं। इस बारे में मैं भूल स्वीकार करता हूं। अब जबकि दोनों मंत्री तथा प्रधान मंत्री भी उपस्थित है आपका यह कहना उचित नहीं है कि आप इसे मंत्री के पास भेज देगें।

श्री समर गुह : उन्हें केवल इतना कहना चाहिये कि वे मंत्री महोदय के परामर्श को स्वीकार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आम तौर पर राष्ट्रपति का परामर्श सरकार को दिया जाता है और इसे स्वीकार करना सरकार का कार्य है । दोनों मंत्री एक साथ नहीं बैठते । राष्ट्रपति भी स्वतंत्र है, मंत्री भी स्वतंत्र हैं ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह खेद का विषय है कि विरोधी सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम को विवाद में घसीटा है। सरकार सदा ही राष्ट्रपति के परामर्शो को उचित सम्मान देती है । परन्तु सरकार चलाने का उत्तर-दायित्व मंत्री-मण्डल पर है ।

माननीय सदस्य को इस बारे में संविधान को देखना चाहिए तथा विधि विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए । महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय मंत्री मण्डल द्वारा लिये जाते है । मंत्रियों द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं लिये जाते । हमने सभा में अपना दृष्टिकोण बता दिया है कि हम लोग कमचारिय को दंड दिये जाने के विरूद्ध है ।

रेलवे ही नहीं अन्य मामलों म भी निम्नस्तरों पर इस प्रकार का अन्याय होता है लेकिन यदि हमारा ध्यान इन मामलों की ओर दिलाया जाये तो हम अवश्य इसकी जांच करेंगे । एक यह मामला हुआ है । इस ओर रेल मंत्री को अवश्य ध्यान देना चाहिये । इसके सम्बन्ध में मने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की नीति पर प्रकाश डाल दिया था । हम निर्दोष व्यक्तियों को तंग नहीं करना चाहते । मंत्री महोदय बता चुके हैं कि बहुत लोगों को रिहा कर दिया गया है ।

श्री समरगुह (कंटाई) : नहीं ।

श्रीमती इंदिरागांधी : आपके पास कुछ और आंकड़े हो सकते हैं लेकिन हमारी रिपोर्ट के अनुसार संख्या इतनी ही है ।

(व्यवधान)

रेल हड़ताल में बहुत कम लोगों ने भाग लिया ।

श्री ज्योतिमर्य बसु : यह बात गलत है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी) : तो यह हड़ताल विफल कैसे हुई ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मानवीय समस्याओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती । सरकार के अपने विचार हैं और माननीय सदस्यों के भी अपने विचार हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विरोधी दलों के सदस्यों ने रेल हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया है और आज ये जोर जोर से बोल रहे हैं।

Mr. Speaker : Your shouting will yeild no fruits. She will say, whatever she want to say.

श्रीमती इंन्दिरागांधी : हमारी नीति इस बारे में स्पष्ट है जिसकी घोषणा रेल मंत्री तथा उनके सहयोगी दोनों सदनो में कर चुके हैं...। परेशान किये जाने के मामलों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा... **(व्यवधान)**

हम स्थिति को सामान्य बनाना चाहते हैं। मैं मानवीय समस्या को हल करने में स्वयं रुचि रखती हूं। मुझे खेद है कि विरोधी दल के सदस्य इससे राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं... **(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं कहना चाहूंगा...

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को प्रश्न करने की अनुमति नहीं दूंगा।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) 1974-75

Supplementary Demands for Grants (Railways) 1974-75

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं वर्ष 1974–75 के बहुत (रेल) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मागों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में वक्तव्य

Statement Rl. the Financial position of the Railways

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) :

महोदय...........

तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

At this stage some hon. Members left the House

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) का भाषण : अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय समीक्षा

सदन को याद होगा कि इस वर्ष फरवरी में 1974–75 के बजट अनुमान पेश करते समय मैंने यह अनुमान लगाया था कि रेलें 250 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त प्रारम्भिक यातायात ढोयगी और यात्री यातायात, जो 1973–74 में घट गया था, फिर से बढ़ेगा और कोचिंग आमदनी से हमें लगभग 10 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। ये अनुमान इस आशा पर टिके थे कि वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित हो जाने पर औद्योगिक संबंध सुधर जायेंगे और जो रेल कर्मचारी बार-बार काम रोक देते थे, धीरे काम करने की नीति अपनाते थे और कोटिवार आन्दोलन चला रहे थे, वे सुस्थिर और सामान्य रूप से अपना काम करने लगेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

मैं कई अवसरों पर उस घटना-चक्र का उल्लेख कर चुका हूं, जिसकी परिणति दर्भाग्य से मई, 1974 में रेलवे की देश-व्यापी हड़ताल के रूप म हुई हालांकि मैंने उसे टालने का भरसक प्रयास किया। सरकार बात-चीत द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने के लिये कितनी आतुर थी, इस ओर सदन का ध्यान कई बार दिलाया जा चुका है। यद्यपि हड़ताल से पहले के विचार-विमर्श में पूरे वर्ष में 80 करोड़ रुपये की रियायत देना स्वीकार कर लिया गया था, तथापि ट्रेड यूनियन के कुछ गुमराह नेताओं की राजनीतिक साहसिकता इससे सन्तुष्ट न हो सकी।

हड़ताल का जो रूप रहा और अनिवार्य वस्तुओं का यातायात बनाये रखने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से रेल प्रशासन ने जो भागीरथ प्रयास किये, उसे सब जानते ही हैं। इसके बार में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं समझता हूं कि अब इस बिषय में मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं आज सदन म माननीय सदस्यों को यह बताने के लिये उपस्थित हुआ हूं कि पिछले कुछ महीनों की घटनाओं की पृष्ठभूमि में रेलवे की वित्तीय स्थिति कैसी रही।

आमदनी में कमी

आशा यह थी कि पिछले वर्ष के अन्त तक रेल 1920 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक माल यातायात ढोयेंगी और यह अनुमान लगाया गया था कि चालू वर्ष में यह यातायात 2170 लाख मीटरिक टन तक पहुंच जायगा। लेकिन अपने बजट भाषण में मैंने जिन अवरोधी कारकों का उल्लेख किया था, वे दुर्भाग्य से चालू कैलेंडर वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में बराबर क्रियाशील बने रहे। मार्च, 1974 के अन्त तक हम अपने वार्षिक अनुमान से लगभग 70 लाख मीटरिक टन पीछे रहे।

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि रेलों को चालू वित्तीय वर्ष में अपने पूर्वानुमान तक पहुंचना है तो उन्हें लगभग 320 लाख मीटरिक टन यातायात और ढोना होगा। काम की परिस्थितियां, पहले से ही कोई खास अनुकूल नहीं थीं; हड़ताल से वे और भी बिगड़ गयीं और हमारी परिवहन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा।

मुझे खेदपूर्वक सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि जून, 1974 को समाप्त होने वाली तिमाही में रलों की आमदनी समानुपाती पूर्वानुमान से 92.45 करोड़ रुपये कम रही है। दूसरे शब्दों में, प्रारम्भिक भाड़ा यातायात 117.90 लाख मीटरिक टन कम हुआ है।

यात्री यातायात भी, बढ़ने की बजाय, और घटा है। पहले तीन महीनों में, 1973–74 की इसी अवधि की तुलना में, रेलों ने लगभग 1500 लाख यात्री कम ढोय, जिसमें से अकले मई में अर्थात् हड़ताल के महीने मे, यात्रियों की संख्या 1100 लाख कम रही। अन्य कोचिंग आमदनी में भी, कुछ ह्रास हुआ है। मैं विश्वास-पूर्वक नहीं कह सकता कि इस अवधि में यातायात में जो कमी हुई है, वह पूरी हो पायगी।

हमने अपनी संभाव्य आमदनी का एक आलोचनात्मक पनर्मूल्यांकन किया है। ऐसा लगता है कि कमी को पूरा करने और यातायात को प्रत्याशित स्तर पर पहुंचाने म रेलों को अभी कुछ महीने और लगेंगे।

इस समय, वर्तमान हिसाब से, इस वर्ष के लिये बजट में रखे गये रेलवे राजस्व में लगभग 140 करोड़ रुपये की कमी होने की संभावना है।

खर्च में वद्धि

इसके साथ ही साथ, संचालन व्यय पर दबाव अभी भी बराबर बना हुआ है। रेलवे जैसे श्रम-प्रधान उपक्रम में लागत का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वेतन बिल, जो कि पहले ही हमार कुल खर्च के 60 प्रतिशत से भी अधिक बठता है। 1974–75 में कर्मचारियों पर होने वाला खर्च बेतहाशा बढ़ा है। इस वर्ष क बजट अनुमान में वेतन आयोग के वेतन-मानों और इस लखे म पिछले वर्ष की अग्रानीत दायिता को ध्यान म रखा गया था। तब से, बजट के बाद की परिस्थितियों क परिणामस्वरूप, हमारे संचालन व्यय पर एक बहुत बड़ा अतिरिक्त बोझ आ पड़ा है। सरकार द्वारा इस वर्ष 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 अप्रैल से स्वीकृत महंगाई भत्ते की वृद्धि का अर्थ है—इस लेख म 56.44 करोड़ रुपये की अतिरिक्त दायिता। चूंकि औसत निर्वाह व्यय बढ़ता ही जा रहा है इसलिये स्पष्ट है कि महंगाई भत्ते में और वृद्धि करनी होगी।

हम मियांभाय पंचाट को लागू करन और श्रम संगठनों से हुई बात-चीत के परिणामस्वरूप कुछ अन्य रियायतें देने के लिये भी वचनबद्ध हैं और इन पर इस वर्ष लगभग 28.50 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। रेलों को हड़ताल की अवधि में किये गये उपायों पर जैसे कि प्रादेशिक सेना, आनुषंगिक व्यय आदि के संबंध में लगभग 4 करोड़ रुपये का बजट-बाह्य खर्च भी बहन करना पड़ा है। ो पश ोय कर्मचारी 1-1-1973 से पहले सेवा-निवृत्त हो गये और साथ ही जो अनुग्रह पशन पात ह, उनक लिए चालू वर्ष में कुछ राहत की व्यवस्था की गयी है जिस पर 5·56 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्षा, बाढ़ और हड़ताल के दिनों म क्षतिग्रस्त होने वाले चल-स्टाक की मरम्मत पर लगभग 2·61 करोड़ रुपये लगेंगे।

इसके अलावा, 1 अप्रल से कोयले की कीमतों में और वद्धि हो जाने से हमारा ईंधन का बिल भी लगभग 9·70 करोड़ रुपये बढ़ जायगा।

इस तरह, महंगाई भत्ते में जो और वृद्धि स्वीकार किये जाने की संभावना है, उसको हिसाब में न भी लिया जाये तो भी ज्ञात कारणों से ही, जिनका कि मैंने संक्षेप में उल्लेख किया है, रेलों का संचालन व्यय लगभग 106.81 करोड़ रुपये बढ़ जायगा।

संचालन व्यय में 106.81 रुपये की भारी वृद्धि और प्रत्याशित राजस्व आय में 140 करोड़ रुपये की भारी कमी को एक साथ रखने पर, रेलों की वित्तीय स्थिति सचमुच बड़ी भयंकर और घोर चिन्ताजनक हो गयी है।

इस स्थिति का सामना करने के लिए अपने प्रस्तावों की रूपरेखा बताने से पहले मैं कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जो मूल रूप से रेलों की कार्यकुशलता पर और परिणामस्वरूप रेलवे के वित्त पर अपना प्रभाव डालती हैं।

राष्ट्र के सभी जिम्मेदार और प्रबुद्ध वर्गों की शुरू से ही यह मान्यता थी कि रेलवे हड़ताल राजनीति से प्रेरित कुछ व्यक्तियों द्वारा चलायी जा रही थी और इसका लक्ष्य रेल कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने और उनकी शिकायतों को दूर करने की बजाय राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करना था।

अपनी प्रधान मंत्री के प्रेरणादायक नेतृत्व से मार्गदर्शन, राष्ट्र-व्यापी जनमत से प्रोत्साहन और राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों से सहायता प्राप्त कर, दृढ़ निश्चय वाले तथा निष्ठावान रेल कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में मई की हड़ताल द्वारा दी गयी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। घनघोर प्रयास और अटूट निष्ठा के बल पर वे न केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने में ही सफल हुए बल्कि उन्होंने राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को भी बर्बाद होने से बचा लिया। इस अग्नि-परीक्षा में रेल कर्मचारी अडिग रहे और उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में अपना रूप और अपनी भूमिका उजागर कर दी।

इस कष्टपूर्ण अनुभव का जायजा लेने पर और सार्थक भावना से इसका विश्लेषण करने पर, हम ने कई कीमती सबक सीखे हैं। सब से पहला तो यह कि रेलों के संचालन में और ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में राजनीतिक साहसिकता के लिये कोई स्थान नहीं है। साथ ही मेरा यह दृढ़ विचार है कि रेलों के कुशल कार्य-संचालन के लिये मजबूत ट्रेड यूनियन आन्दोलन की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि सुप्रशिक्षित प्रबंधकीय संवर्गों की। इस प्रयोजन के लिये, यह आवश्यक है कि हमारे यहां केवल एक ही संगठन हो जो मजदूरों के हितों का सच्चा प्रतिनिधि हो, जो प्रबंधकों के साथ सार्थक ढंग से बात-चीत कर सके और बात-चीत द्वारा समझौता हो जाने के बाद काम करके दिखा सके। इस संदर्भ में, कोटिवार एसोसिएशनों और छोटी-छोटी यूनियनों के उठ खड़े होने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करना होगा। यूनियनों की बहुलता से मजदूर आन्दोलन की शक्ति बिखर जाती है। इससे अलग-अलग वर्गों की आपसी समानता बिगड़ती है और उस संगठन का तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का, दोनों का ही, अखिल भारतीय स्वरूप क्षीण हो जाता है।

हड़ताल के बाद के सबक : (i) ट्रेड यूनियन एक ही होनी चाहिए

दूसरा सबक यह है कि यदि हम चाहते हैं कि रेल कर्मचारियों को राजनीतिक साहसिकता के खेल का मोहरा न बनाया जाये तो यह अनिवार्य है कि रेल प्रशासन प्रबुद्ध प्रबंधक की भूमिका अदा करे। तदनुसार, प्रबंधकों के लिये यह लाज़िमी है कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का ध्यान रखें और उनकी शिकायतों पर गौर करके उन्हें बराबर दूर करने की कोशिश करते रहें ताकि आन्दोलन की नौबत न आने पाये।

(ii) **प्रबन्ध व्यवस्था—नया ढंग**

प्रत्येक पर्यवेक्षक और प्रत्येक अधिकारी को अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का स्वाभाविक नेता होना चाहिये। इस धारणा को वास्तविक रूप देने के लिये, कल्याण पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ा दी गयी है और एक विशिष्ट कार्मिक सेवा स्थापित करने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गयी है जिसमें औद्योगिक संबंधों पर विशेष बल दिया जायेगा।

रलों के महाप्रबंधकों और मण्डल अधीक्षकों को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियां दे दी गयी हैं ताकि वे प्रारम्भिक स्तर पर ही कर्मचारी एवं प्रशासी मामलों म कारगर ढंग से कार्रवाई कर सकें।

तीसरी बात यह है कि अराजपत्रित कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा शरू कर दी गयी है। यह समीक्षा भी श्रेणी I के अधिकारियों की तरह ही की जायगी। इसका अभिप्राय यह है कि उनकी पदोन्नति के अवसरों में से अवरोध दूर किये जायें और एक ही पद पर रुके रहने से जो निराशा और असंतोष होता है, उससे उन्हें छुटकारा दिलाया जाये। जहां-कहीं आवश्यक होगा, पदों का पुनर्वर्गीकरण किया जायेगा अथवा उनके फिर से ग्रेड बनाये जायेंगे।

(iii) **संवर्ग समीक्षा और उचित दर की दुकानें**

जिन रेलवे बस्तियों में 300 स अधिक कमचारी रहते ह, उनमें उचित दर की दुकाने खोलने की शुरूआत भी कर दी गयी है। ये दुकानें या तो राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा या रेल कर्मचारियों की अपनी सहकारी संस्थाओं द्वारा चलायी जायेगी।

(iv) **मरम्मत का जोरदार कार्यक्रम**

चौथी बात यह है कि हड़ताल के बाद की अवधि में जब परिचालन कार्य को तेज करने और माल तथा यात्री यातायात को अधिक ढुलाई करने की कोशिश की गयी, तो कुछ कमियां स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयी। मालूम हुआ कि डीज़ल और बिजली रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की अनुरक्षण संबंधी मरम्मत मज़दूर असंतोष के पिछले दो वर्षों में, उचित रूप से नहीं हुई और कुछ हद तक इस का दुष्प्रभाव माल यातायात की ढुलाई और सवारी गाड़ियों के समय-पालन पर पड़ा है। लकिन यह रोग अधिक नहीं फल पाया और केवल तीन रेलों पर ही परिलक्षित हुआ है। मरम्मत के बकाया काम को दो चरणों में पूरा करके चल-स्टाक को फिर से चालू हालत में लाने के लिय एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया गया है। आशा है कि कुछ ही महीनों में संतोषजनक परिणाम निकल आयेंगे और स्थिति सुधर जायेगी।

पांचवीं बात यह है कि हड़ताल के दौरान हुए इस अनुभव से हम कुछ सीख सकते हैं जब कि उस अवधि में, सरकारी क्षेत्र के अपने प्रमुख ग्राहकों के साथ ताल-मेल बैठा कर रेलें कोयला, इस्पातों, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न आदि आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा म गंतव्य स्टेशनों तक पहुंचाने में और माल डिब्बों को शीघ्र ही खालो कराने में सफल रहीं। हम चाहते हैं कि इस ताल-मेल को बनाये रखा जाये और ब्लाक रेकों में प्रमुख वस्तुओं के थोक परिवहन की गति बढ़ा दी जाये। स्टाक यार्डों से, डिपुओं से या जहां माल जमा हो वहां से, उपभोक्ता केन्द्रों को माल का वितरण सड़क द्वारा किया जा सकता है।

(v) ब्लाक रेक संचलन

अन्त में, उत्पादकता को जो इतने दिनों तक, ह्रासोन्मुख रही है, सभी कार्य-स्थलों तथा सभी स्तरों पर बढ़ाना होगा। हड़ताल के बाद इसमें नवजीवन आया है और यह निरन्तर रूप से सुधर रही है। रेलों की भौतिक कार्य-कुशलता तथा वित्तीय स्थिति तभी उन्नत हो सकेगी, जब हम इस अवसर को हाथ से न जाने दें जो हमें न केवल उत्पादकता को पुन: व्यवस्थित करने बल्कि उसके मानदंड को बढ़ाने के लिये प्राप्त हुआ है। सभी रेल मार्गों पर यातायात तेजी से बढ़ाना चाहिए।

(vi) उत्पादकता

यार्डों में माल डिब्बों की मार्शलिंग तेजी से होनी चाहिए और क्षतिग्रस्त चल-स्टाक की मरम्मत शीघ्रता से की जानी चाहिए। कारखाने अपने उत्पादन की मात्रा और किस्म में सुधार करें। बिना टिकट यात्रा तथा चोरी और उठाईगीरी के साथ भी कड़ाई से निपटना होगा। रेलें जिस संकट से गुजर रही हैं, उसका तुरन्त अहसास होना चाहिए। मझे आशा है कि सभी रेल कर्मचारी अपनी पूरी शक्ति से काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि वे इस चुनौती का उसी प्रकार सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे जैसा कि वे पहले भी हर संकट के समय करते आये हैं।

आशा की झलक

मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि इधर-उधर से जो सूचनाएं मिल रहीं हैं, उनसे पता चलता है कि रेल परिचालन में आशातीत सुधार प्रारम्भ हो गया है।

उदाहरण के लिये, सभी कोयला खदानों में अगस्त के प्रथम 10 दिनों में कोयले का लदान बढ़ कर 8,400 माल डिब्बा प्रतिदिन हो गया है जबकि दिसम्बर, 1973 से मई, 1974 तक के छ: महीनों में इसका औसत 7,300 माल डिब्बा प्रतिदिन तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6,800 माल डिब्बा प्रतिदिन था।

इस संबध में, मध्य भारत कोयला क्षेत्र ने कोयले के लदान में जो बढ़िया काम किया है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वहां जुलाई महीने में प्रतिदिन 1,130 माल डिब्बों का लदान हुआ जो एक रिकार्ड है। इस वर्ष, जून के अन्त तक भारी दबाव के बावजूद, रेलों ने 26.2 लाख मीटरिक टन पेट्रोल, तेल और स्नेहक उत्पादों की रेल द्वारा ढुलाई के लिये अपने सभी उपलब्ध माल डिब्बों का लदान किया और वे इस स्थिति में हैं कि आवश्यकता पड़े तो इससे भी अधिक मात्रा मे ढुलाई कर सकें।

इस्पात और देशी लोहे के लिये भी रलों क परिवहन प्रयास समान रूप से सराहनीय रहे । जून और जुलाई के महीनों में, हमन, मुख्यतः इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग स चलाये गये अभियान के द्वारा 11 लाख मीटरिक टन तैयार इस्पात और देशी लोहा देश के विभिन्न भागों को भेजन में सफलता प्राप्त की है । हम आशा है कि आगे इससे भी अधिक सफलता मिलेगी ।

खाद्यान्न तथा उर्वरकों की ढुलाई में भी रेलों ने सभी आशाओं को पूरा किया है । अन्य सामान्य माल के लदान तथा ढुलाई के संबंध में भी उत्साहवर्धक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है । सवारी गाड़ियां, जो पहले भाप कोयले की कमी के कारण तथा बाद में रेलों की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण, रद्द कर देनी पड़ी थीं, अब उत्तरोत्तर फिर से चलायी जा रही हैं ।

सदन के समक्ष अपनी इस भावना को व्यक्त करने म मुझे प्रसन्नता हो रही है कि रेलें एक तूफान से निकल कर अब धीरे-धीरे खुल आकाश में आ रही हैं ।

मुझ विश्वास है, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि रलें कितने कठिन समय से गुजर रही हैं । रेलें केवल बहुमुखी समाधानों की प्राप्ति के लिये घनघोर प्रयास करके ही अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं । हम अपने ठोस काम को बढ़ाना होगा । पिछले कुछ वर्षों में प्रारम्भिक मीटरिक टन लदान की मात्रा 2000 लाख मीटरिक टन के आस-पास रही है । इसे बढ़ाना है । इस बीच यह बात अपरिहार्य मालूम पड़ती है कि हम संचालन व्यय में कटौती करने के लिये कुछ कड़े उपाय करें और अपनी आमदनी बढ़ायें ।

योजनागत तथा योजनाइतर खर्च में किफायत

चालू वर्ष के दौरान राजस्व खर्च में 50.37 करोड़ रुपये की कटौती करने क लिये एक बचत अभियान मने पहल ही शुरू कर दिया है । कहां कटौती करनी है, इस सम्बन्ध म विस्तृत अनुदश जारी कर दिये गये हैं । महाप्रबन्धकों को अपने विवक से अतिरिक्त प्रयास करने के भी निदेश दिये गये हैं । रेलवे बोर्ड इस पर कड़ी निगाह रखगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस पर वास्तविक रूप से अमल हो ।

इसके साथ-साथ योजनागत खर्च में भी कमी की जा रही है जिसके फलस्वरूप चालू वर्ष में हमें 25 करोड़ रुपये की बचत होगी ।

ऐसी किसी परियोजना अथवा योजना को काटा या छोड़ा नहीं जायेगा जो संसद् द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना में शामिल है, लेकिन रेलों से यह कहा जायेगा कि वे अनुमोदित योजना की सीमा में रहत हुए अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिकता वाले कार्यों पर होने वाले खर्च पर नियंत्रण रखें ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि फरवरी, 1973 में और फिर फरवरी, 1974 म अपने बजट भाषण में मैंने पिछड़े हुए क्षत्रों में नयी लाइनों क निर्माण के लिये मुख्य मंत्रियों, संसद् सदस्यों और सार्वजनिक संस्थाओं आदि से प्राप्त अनेक अनुरोधों पर ध्यान दिलाया था । इन

मांगों की वैधता स्वीकार करते हुए, मैंने उखाड़ी गयी लाइनों को फिर से बिछाने और पिछड़े हुए क्षेत्रों मे नयी लाइनों के निर्माण के संबंध में लागू की जाने वाली परम्परागत वित्तीय कसौटी में सैद्धान्तिक परिवर्तन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया था । इस विचार को क्रियान्वित करते हुए, इस तरह क बहुत से निर्माण-काय वार्षिक योजना कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं । मेरा अभिप्राय यह है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास में इन निर्माण-कार्यों के महत्व को देखते हुए इन पर कुठाराघात न हो और इनके लिये निर्धारित किये गये परिव्यय में कोई कटौती न की जाये ।

राजस्व खर्च पर बचत उपायों क प्रभाव को ध्यान में रखकर, पूरक मांगों की कुल राशि 56.44 करोड़ रुपये तक सीमित रखी गयी है जो केवल इतनी है कि उससे बजट के बाद अब तक सरकार ने मंहगाई भत्ते की दरों में जो वृद्धियां स्वीकार की हैं, उनका भुगतान ही हो पायगा ।

संशोधित अनुमानों के आधार पर दिसम्बर में वित्तीय स्थिति का फिर मूल्यांकन किया जायगा और इसके पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो मैं और मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।

समस्या की विकटता ने मुझे एक कठोर निणय लने क लिये बाध्य कर दिया है । यह बात बिल्कुल साफ है कि रेल परिसम्पत्तियों का और अधिक गहन और लाभदायक उपयोग किया जाना चाहिये । रेल कर्मचारियों की उत्पादनशीलता में उल्लखनीय वृद्धि होनी चाहिये । सभी निरर्थक कार्यों को त्याग देना चाहिये । किफ़ायत के प्रस्तावित उपायों का भी पूरा लाभ मिलना चाहिये । फिर भी, यदि रलों को इस वर्ष क अन्त में भारी घाटा नहीं उठाना है तो, किराये और भाड़े की दरों में समायोजन किये बिना काम नहीं चलेगा ।

सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर यह विनिश्चय पहले ही कर लिया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में और वृद्धि न होने दी जाये । अतः यह अनिवार्य है कि रेल संचालन के घाटे को यथासंभव न्यूनतम रखा जाये ।

प्रस्तावों का मूलाधार

अपने प्रस्तावों को तयार करन में, जो मैं अब प्रस्तुत करूंगा और जो 9 सितम्बर, 1974 से लागू होंगे, निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया है । प्रथमतः यह कि इसका प्रभाव आम आदमी के पारिवारिक बजट पर कम से कम पड़े । अतः यह विनिश्चय किया गया है कि अनाज, दाल और खाद्य तेल, दूध और सब्जी, थोड़ी दूरी वाले यात्रियों और दूसरे दर्जे के आवधिक टिकट-धारियों को न छुआ जाये । तदनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

दूसरी बात यह कि 500 किलोमीटर से ऊपर, माल भाड़े की दरों को बढ़ाकर लाइन-ढुलाई लागत के निकट लाने का यत्न किया गया है । इस दूरी से ऊपर, माल भाड़ा-दरों की दूरह्रीयमान संरचना से रेलों को हानि होने लगती है क्योंकि उससे केवल ढुलाई लागत की भी हमेशा पूर्ति नहीं हो पाती । ज्यों-ज्यों यातायात की औसत वहन-दूरी बढ़ती जाती है, हानि की मात्रा भी बढ़ती जाती है ।

तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के समग्र हित में यह आवश्यक है कि उपलब्ध परिसम्पत्तियों का अधिकतम उपयोग करने में रेलें यात्री यातायात की अपेक्षा माल यातायात पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। माननीय सदस्यों को यह बात मालूम है कि सभी विकासशील देशों में, सभी अव-संरचना सुविधाओं पर, खासकर रेल परिवहन पर दबाव रहता है, जिस पर योजना बद्ध विनियमन द्वारा काबू पाना होता है। विकासशील समाजवादी देशों में भी, यात्री यातायात पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है और इस प्रकार माल यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। हम समाजवादी देशों जितना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें यात्री यातायात को निरुत्साहित करने, या उसे नियंत्रित करने के भी कदम उठाने होंगे ताकि हम औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिय अपनी परिवहन क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सक।

चौथी बात यह है कि किराये-भाड़ में वृद्धि यातायात की सहन-शक्ति को ध्यान में रख कर की गयी है, यदि मुझे यह प्रतीत हुआ कि वास्तविक कार्यान्वियन होने पर, वृद्धि यातायात के किसी वर्ग विशेष या प्रवाह-विशेष की सहन-शक्ति से अधिक है और वह उत्पादन-विरोधी हो रही है तो मैं इन प्रस्तावों की सीमा के अन्तर्गत आवश्यक संशोधन कर दूंगा।

प्रस्ताव

क. माल

खाद्यान्न, दालों और खाद्य तेलों को छोड़कर, 500 किलोमीटर तक ढोये जाने वाले सभी माल यातायात पर, मेरा प्रस्ताव 160 प्रतिशत पूरक प्रभाव लगाने का है। इससे अधिक दूरी तक ढोये जाने वाल माल पर 22 प्रतिशत पूरक प्रभार लगेगा। इससे चालू वर्ष में 94.92 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

ख. सामान और पार्सल

दूध और सब्जी को छोड़कर, शेष यातायात पर 15 प्रतिशत पूरक प्रभार लगेगा जिससे रेलवे राजस्व म 3.6 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

ग. यात्री

(1) **ऊंचा दर्जा :** वातानुकूल पहल दर्जे के किराये को पिछली बार बढ़ा कर लगभग वायुयान के किराये के बराबर किया गया था। अब उस पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त पूरक प्रभार लगेगा जिससे राजस्व में 0.74 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। मेरा प्रस्ताव है कि पहले दर्जे और वातानुकूल कुर्सी यान के किराये 33-1/3 प्रतिशत बढ़ा दिया जाये। इन दोनों को मिला कर रेलवे राजस्व में 4.88 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

(2) **दूसरा दर्जा :** मुझे खेद है कि रेलों की अत्यन्त कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए मैं दूसरे दर्जे के यात्रियों के साथ विभिन्न व्यवहार नहीं कर पाऊंगा।

परन्तु, सिद्धान्तों के अनुसार, जिनका उल्लख मैंने कुछ पहले किया है, दूसरे दर्जे के यात्रियों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों में मैंने लगभग सभी प्रकार के दैनिक यात्रियों को——जो रेल द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का 50 प्रतिशत होते हैं——और साधारण गाड़ियों द्वारा 25 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले थोड़ी दूरी के यात्रियों को भी, अछूता छोड़ दिया है। बाद वाला यात्री-वर्ग अनुपनगरीय क्षेत्रों में होने वाले इसी तरह के यातायात का लगभग 49.3 प्रतिशत है जिसमें अधिकतर छात्र, मज़दूरी कमाने वाले, कार्यालयों के कर्मचारी और अपना छोटा-मोटा धन्धा करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें प्रतिदिन आस-पास के कस्बों से समीपवर्ती नगरों तक यात्रा करनी होती है। उनके लिये, रेल की यात्रा अपरिहार्य है क्योंकि वह उनके दैनिक काम-काज का एक अनिवार्य अंग है।

(i) **साधारण** : तदनुसार, दूसरे दर्जे के सीज़न टिकट वाले दैनिक यात्रियों के किराये वही रहेंगे जो इस समय हैं। 25 किलोमीटर तक दूसरे दर्जे (साधारण) के किराये में भी कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। बीच की दूरियों के लिये, अर्थात 26 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक, किरायों को बस के किराये के और निकट लाने का विचार है। ये दूरियां सड़क परिवहन द्वारा सुविधापूर्वक तय की जा सकती हैं, जिससे लम्बी दूरी के यातायात और माल यातायात के लिये रेल क्षमता उपलब्ध हो सकती है। इससे उक्त दूरी की परिधि में सड़क से रेल, की ओर यातायात का झुकाव कम हो जायेगा। इसलिये 26 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की यात्राओं के लिये किराये पर 25 प्रतिशत पूरक प्रभार और लगाने का प्रस्ताव है। 251 किलोमीटर से ऊपर, पूरक प्रभार की र कम होकर 20 प्रतिशत रह जायेगी। किराये में इन संशोधनों से 17.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

(ii) **डाक और एक्सप्रैस गाड़ियां** : डाक और एक्सप्रेस गाड़ियां मुख्यत: लम्बी दूरी के यात्रियों के लिये होती हैं जिनके हित की दृष्टि से थोड़ी दूरी के यात्रियों को निरुत्साहित करना पड़ता है। इसलिये उन गाड़ियों को साधारण गाड़ियों से कुछ भिन्न माना जाना चाहिए। अतः उनके सम्बन्ध में 250 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 25 प्रतिशत का पूरक प्रभार लगाने का विचार है। इस दूरी से ऊपर पूरक प्रभार की दर साधारण गाड़ियों के पूरक प्रभार के समान, 20 प्रतिशत रहेगी। इस समायोजन से राजस्व में लगभग 17.97 करोड़ रुपये की आमदनी की आशा है।

विविध

आरक्षण प्रभार, दूसरे दर्जे के शयन-यान प्रभार और प्लेटफार्म टिकटों की दर में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है।

माननीय सदस्यों को एक ज्ञापन बांटा जा रहा है जिसमें भाड़ा दरों और यात्री किराये दोनों के सम्बन्ध में प्रस्तावों के ब्यौरे दिये गये हैं।

9 सितम्बर, 1974 से लागू होने वाली इन सब वृद्धियों का वित्तीय लाभ चालू वर्ष के शेष भाग में कुल मिलाकर 140.07 करोड़ रुपये होगा। इससे माननीय सदस्यों को पता चल गया होगा कि मैंने केवल उतने ही अतिरिक्त साधन जुटाने का यत्न किया है जिनसे आमदनी और खर्च के बीच की खाई को पाटा जा सके।

प्रस्तावों का वित्तीय लाभ

भारतीय रेलों ने देश के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह नितान्त आवश्यक है कि वे कुशलतापूर्वक और सहज रूप से चलती रहें ताकि जनता के उपभोग के लिए और उद्योगों के लिए माल की ढुलाई अबाध गति से होती रहे। साथ ही, रेलें देश की और बाहर की सामान्य आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं रह सकती।

निष्कर्ष

मैंने अपने प्रस्ताव में कुछ उपायों की घोषणा की है ताकि रेलों की वित्तीय व्यवस्था को एक वास्तविक रूप से स्वस्थ स्थिति में वापस लाया जा सके। यह काम चाहे कितना ही अरुचिकर लगे, वर्तमान आर्थिक स्थिति की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए इनमें से कुछ उपाय करने ही पड़ेंगे।

हम सबको त्याग करना होगा, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि त्याग में सबका न्यायोचित भाग हो और सभी लोग मिल कर इस काम में हाथ बटायें। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें मुझे एक मात्र आधुनिक प्रगतिशील समाजवाद के सिद्धान्तों से प्रेरणा प्राप्त हुई है जो हमारे देश की प्रतिभा राष्ट्रीय हित, औद्योगिक विकास और सर्वसाधारण के उपयुक्त है। मुझे विश्वास है कि सदन इन प्रस्ताव से सहमत होगा और इनका समर्थन करेगा ताकि आज का त्याग भविष्य में अधिक खुशहाली ला सके।

नियम 377 के अधीन मामला

Matter Under Rule 377

नागपुर मैंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों का रकार को प्रस्तावित हस्तान्तरण

श्री वसंत साठे (अकोला) : अमृत बाजार पत्रिका के 19 अगस्त 1974 के अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक व्यक्ति श्री आर० एन० कपूर ने जो उस समय लंदन में नियुक्त है, लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य के मैंगनीज के शेयर खरीदे और अब वह इन शेयरों को सरकार को अन्तरित कर रहे हैं, वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। किन्तु जब सरकार को पता चला कि शेयरों का मूल्य आज 10 करोड़ भी नहीं है और जो 80 लाख रुपये में खरीदने का विचार था उनसे बाजार में 10 लाख रुपये भी नहीं मिलेंगे तो मंत्रालय इस सौदे से पीछे हट गया। मैं चाहता हूं कि इस मामले की पूरी पूरी जांच की जाए। मैं इस्पात और खान मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वह समूचे मामले के बारे में वक्तव्य दें।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सरकार को इस मामले की जानकारी है। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं इस सम्बन्ध में वक्तव्य दूंगा।

1974 के अध्यादेश संख्या 7 और 9 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक

Statutory Resolutions Re. Disapproved ordinances Nos. 7 and 9 of 1974 and companies (Temporary Restrictions on Dividends) Bill

श्री वी० बी० नायक (कनारा) : मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है, कम्पनियों पर इस कानून को लागू करने के फलस्वरूप 60 करोड़ के संसाधनों की बचत होगी। मेरा सुझाव है कि स्वयं कम्पनियों को यह धन राशि वापस दे देने के बजाय वे एक कोष में जमा की जाये जो परिचालित हो सके और जिस पर राज्य अथवा वित्त मंत्रालय या कम्पनी कानून विभाग का कुछ नियंत्रण हो इस प्रकार इस धन का बेहतर उपयोग हो सकता है।

क्या मैं जान सकता हूं कि दो वर्षों के समाप्त होने पर क्या होगा ? क्या यह धनराशि शेयर-धारियों को वापस दी जायेगी जिसे संचित धनराशि के रुप में वितरित किया जायेगा अथवा इसे स्थायी रुप से वापस किया जायेगा। मंत्री महोदय को इस बात को स्पष्ट करना चाहिये।

कुछ लोग, जो आज शेरों को हथियाने की स्थिति में हैं स्टाक में हेरा-फेरी कर रहे हैं। स्टाक सुरक्षा जीवन निर्वाह या पेंशनभोगियों के निवेश का साधन नहीं रह गया है। इन परिस्थितियों में लाभांश आय अथवा जीवन निर्वाह का साधन नहीं रह गया है। इन गैर सरकारी फर्मों के आय के स्रोत क्रय सम्बन्धी निर्णय अथवा छिपे भंडारों अथवा अत्यधिक मूल्य ह्रास में विहित है। इन्हीं स्रोतों में गैर-सरकारी क्षेत्र का धन इकट्ठा हो रहा है : जब तक हम ग़ैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में लागत प्रणाली और लागत लेखा पद्धति को बेहतर नहीं बनाते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब तक क्रय सम्बन्धी निर्णय और विक्रय सम्बन्धी निर्णय लेने की शक्ति प्रबन्ध निदेशकों अथवा प्रबन्ध एजेन्टों में निहित रहेगी तब तक इन छोटे मोटे उपचारों से कुछ बनने वाला नहीं है।

यह पहला प्रगतिशील विधान है जिसमें पूंजी से होने वाले लाभ, विशेषकर अनर्जित पूंजी अथवा अनर्जित आमदनी के सम्बन्ध में होने वाले लाभ पर कतिपय पाबन्दियां लगायी जा रही हैं। अत : मैं इसका समर्थन करता हूं।

जब तक सरकारी क्षेत्र निगमित कम्पनियों की पूंजी पर अपना नियंत्रण नहीं कर लेता और जब तक इस क्षेत्र में उत्पादन नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक हम इच्छित परिवर्तन नहीं ला सकेंगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम चाहे वे नियंत्रित हों या नहीं इस सभा के प्रति उत्तरदायी होने चाहियें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, It appears that dividend money amounteing to Rs. 75 crores, which it meant for distribution will be retained by the Companies in one year since they are not going to distribute the dividends as a result of this measure. In two years, for which period this legislation will be in force, the net amount available with the Companies will be Rs. 150 crores. But how is this measure going to affect the common man. Most of the middle class people, which include retired employees, widows and other self employed persons, have invested their hard earned money in shares and stocks. The only income is dividend income. By putting curbs on dividends, Government have deprived those persons from their only source of livelihood.

It is not correct to say that this measure will check inflation or arrest the galloping prices. Even after the promulgation of the ordinance, the prices have shot up. According to a newspaper's report, the prices have shot up upto 20 percent in Bombay within a week. Most of the essential commodities are either in short supply or are available at very high prices.

This measure will considerably reduce the yield from income tax also and thereby affect the total revenue earnings. This is a cruel measure and should immediately be withdrawn.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : इस व्यवस्था के फलस्वरूप किसी विशिष्ट कम्पनी के पास जो धनराशि जमा होगी वह लगभग 75 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष होगी । दो वर्षों में यह राशि 150 करोड़ हो जायेगी । 293 कम्पनियां लाभांश वितरित करती है । इन 293 कम्पनियों में से 200 कम्पनयिां 12 प्रतिशत से बहुत अधिक लाभांश का भुगतान करती हैं । उक्त 75 करोड़ रुपये की राशि में से 60 करोड़ रुपये की राशि इन 200 बड़ी कम्पनियों के पास रहेगी । अध्यादेश या विधेयक में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि इस रकम का क्या किया जायेगा ।

(श्री बसंत साठे पीठासीन हुए)

(Shri Vasant Sathe in the Chair)

किस उद्देश्य के लिये इस रकम का उपयोग किया जायेगा, इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है ।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अधिकांशत: ये कम्पनियां जिनके पास अतिरिक्त राशि रहेगी इस महत्वपूर्ण तथा गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है । अत: इन बड़ी कम्पनियों के पास 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम रहेगी जिसकी उनको अपने सामान्य काम-काज के लिये आवश्यकता नहीं है ।

दूसरी ओर सीमेंट, उर्वरक और कागज बनाने वाली कम्पनियां उस पर से अधिक पर लाभांश नहीं देती जो कि अब निश्चित की गई है । इस प्रकार जिन कम्पनियों को धन की आवश्यकता है उन्हें इससे धन नहीं मिलेगा बल्कि मध्य दर्जे की कम्पनियों को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा ।

यह आशा भी नहीं है कि इन दो वर्षों में इन बड़ी बड़ी कम्पनिनों के पास जो रुपया जमा होगा वे उस का उद्योगों के विस्तार के लिये उपयोग करेंगी ।

एक सिद्धान्त के अनुसार यदि कम्पनियों के हाथ में बड़ी रकमें हैं तो वे बैंकों के पास ऋण लेने नहीं जायेंगी । यह स्पष्ट है कि बैंक दीर्घकालीन ऋण सुविधायें नहीं देते हैं । अत: ऐसी कम्पनियों जिनके पास ये निधि है, उन्हें बैंकों से ऋण लेने से रोका नहीं जायेगा और इस धनराशि का वे अपनी कार्य संचालन पूंजी तथा नकद रकम को बढ़ाने के लिये उपयोग करेंगी ।

जब कम्पनियों के पास नकद पूंजी के रुप में बड़े साधन होंगे तो उन्हें इस विधेयक में अभिप्रेत किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है । इस विधान का वास्तविक अभिप्राय देश के लोगों को यह बताना है कि सरकार ने जनसाधारण और वेतन भोगियों से प्रत्येक वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये तथा लोगों को 75 करोड़ रुपये की राशि चलने से रोके रखी है ।

जहां तक लाभांश आय का सम्बन्ध है, 85 प्रतिशत से भी अधिक लाभांश आय उन व्यक्तियों को जाती है जिनकी कमाने की क्षमता 25,000 रुपये प्रतिवर्ष से भी अधिक है। ये लोग इस धन राशि को खर्च नहीं करते किन्तु शेष 15 से 20 प्रतिशत लोग जो अपनी जीविका के लिये इस लाभांश आय पर निर्भर करते हैं इससे वंचित रहेंगे। इस विधेयक का अभिप्राय: जनता के लाभ अथवा मुद्रास्फीति को रोकने का नहीं है। इसका अभिप्राय केवल साधारण लोगों को यह धोखा देना है कि सरकार धनी लोगों की विरोधी भी है।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : इस विधेयक के बारे में यह घोषणा की गई है कि यह मुद्रा-स्फीति विरोधी एक उपाय है और कहा गया है कि इससे कीमतें गिरेंगी। परन्तु इस विधेयक से हमें इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी :

जैसा कि देश के महान अर्थशास्त्रियों ने बताया है, इस देश के लोगों के साथ बड़ा मजाक किया गया है। श्री के० जनार्धनराव ने ठीक ही कहा है कि महंगाई भत्ते तथा बोनस में 6 जुलाई के पश्चात आधी कटौती करने को न्यायोजित ठहराने के लिये यह एक उपाय निकाला गया है। यह विधेयक अंशधारियों की आय को बिल्कुल भी कम नहीं करता है। ना हीं इस विधेयक से एकाधिकार वादी गृहों के लाभों अथवा अतिरिक्त लाभों में कोई कमी आती है। यह विधेयक कालाधन उपयोग करने वालों को भी उनके लाभों से वंचित नहीं करता है।

एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा है कि अध्यादेश छोटे पूंजीपतियों की अपेक्षा उन एकाधिकारी वादियों के पक्ष में हैं जिनके एक या अनेक कम्पनियों में अधिक शेयर हैं। लाभांश आय की कोई सीमा नहीं है। टाटा और बिड़ला तथा उनके सहयोगी उनकी जितनी भी कम्पनियां हैं उन सभी से 12 प्रतिशत लाभांश ले सकते ह। जबकि छोटे पूंजीपतियों को अकेला एक कम्पनी से ही जिसमें उनका शेयर है 12 प्रतिशत से ही संतुष्ट होना पड़ता है।

सरकार किसी भी सीमा तक मूद्रास्फीति को नहीं रोक सकती है। इस विधेयक के उपबन्धों का फिर पूंजीपतियों द्वारा उल्लंघन किया जायेगा और सरकार उन्हें नहीं रोक सकती है। बड़े एकाधिकारीगृह अपने लाभ में काल्पनिक कमी करेंगे।

इस अध्यादेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिये ताकि सरकार को जनता का सहयोग मिल सके जिसे मुद्रास्फीति से हानि पहुंची है। तत्काल विमुद्रीकरण किया जाना चाहिये तथा चीनी, वनस्पति, तेल, सूती कपड़ा आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुयें बनाने वाले उद्योगों का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिये ताकि मुनाफाखोर धन कमाने के उद्देश्य से अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में खिलवाड़ न करें और गरीबों को मुसीबत में न डालें। खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये तभी सभी औद्योगिक एककों में दुकानों तथा गांवों में लोकप्रि। समितियों के अधीन डिपुओं से वितरण किया जाना चाहिए। उत्पादन करने वाले किसान को लाभप्रद मूल्य देने की गारन्टी नहीं दी जानी चाहिए। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों पर सट्टेबाजी के लिये ऋण देने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। राज्यों को दिये जाने वाले सभी विकास कार्यों से भिन्न कार्यों के लिये ऋण बन्द किये जाने चाहिए। राज्यों को धनी भूमिपतियों से ऋण तथा सिंचाई शुल्क की बकाया राशि तुरन्त वसूल करनी चाहिये। शहरों में धनिक वर्ग के हित में निर्माण योजनाओं के नाम पर धोखे से राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ओवर ड्राफ्ट वापस लिये जाने चाहियें।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : The Government intends to retain 60 or 70 crores of rupees in a year by imposing curbs on distribution of dividends by the companies. But no details about the utilization of this sum have been given.

The Government has taken this view that this measure would check inflation and would arrest the price rise. But the fact is that the Government, through this measure wants their employees to be deprived of their 50 percent DA and other increases in salaries etc. May I know whether this measure would prove helpfull in arresting prices ?

On the one hand, they are taking such measures to check the price rise and on the other, they are imposing more and more taxes. Will this recent increase in Railway fares and freights arrest the rising prices ?

The provision in connection with permitting a company to distribute its dividents will help sparead corruption because it is mentioned in the provision: 'Subject to the approval of the Central Government'.

The bills being brought forward by the Government in the name of wage-freeze etc. are meant to hit hard the common man. On the other hand such measures favour the big companies. Why does the Government take over these companies ? I think it is impossible to streamline the economy by freezing a little dividend. Will the economy be streamlined merely by freezing the wages of the employees. Such measures will give a fillip to price rise instead of checking them. If the Government is serious to check price rise, they should impose restrictions on the profits of the Companies rather than putting restrictions on the dividends.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सरकार के एक-मुश्त प्रस्तावों से मध्यम आय वाले व्यक्तियों को अपने खर्च और रहन-सहन पर अवांछनीय प्रतिबन्धों तक सीमित रहना पड़ेगा। वित्त मंत्री के उद्देश्य उपभोक्ता व्यय को कम करने और बचत को बढ़ावा देने के लिये हैं। क्या जो कम्पनियां जिस राशि की बचत करेंगी उसे वे कम्पनियां अपने विस्तार में लगा सकेंगी ? क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि छोटे अंशधारियों के साथ जो इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, वह उचित है ? यद्यपि लाभांश-आय अर्नजित आय होती है तथापि समाजवादी और समतावादी समाज के सिद्धांतों के अनुसार यह गलत है जैसा कि आज की परिस्थितियां हैं तो क्या वह यह करेंगे कि सारी लाभांश आय गलत या ग़ैर-कानूनी है ? वह ऐसा नहीं करेंगे। वह इस बात पर सहमत होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लाभांश पर निर्भर करते हैं। यद्यपि बहुत बड़ी संख्या में सामान्य व्यक्ति अपनी पूंजी शेयरों के रूप में लगाते हैं तो उनको लाभांश न देने से आर्थिक संकट कैसे दूर होगा ? मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह छोटे अंशधारियों के प्रति किये जा रहे अन्याय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। इसके साथ ही उन्हें देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई को कम करने के लिये भी विचार करना चाहिए। यदि इन बातों पर विचार किया गया तो मंत्री महोदय यह कहेंगे कि इसमें कुछ संशोधन आवश्यक है। मंत्री महोदय का कहना है कि जनसाधारण को उपभोग में कमी करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु हाल ही में जारी किये गए इन

सभी अध्यादेशों पर एक साथ विचार करके क्या मंत्री महोदय कहेंगे कि इन उपायों से देश में उपभोग में कमी होगी। दूसरी ओर सरकार ने समाज के उस वर्ग को छोड़ दिया है जिसके पास काला धन है और जो सभी प्रकार का प्रदर्शन उपभोग करता है। यदि सरकार देश को आर्थिक संकट से उबारना चाहती है तो उसे उन लोगों का योगदान लेना चाहिए जो योगदान करना चाहते हैं परन्तु उन लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए जो त्याग नहीं कर सकते हैं। इस एक-मुश्त प्रस्ताव पर मेरी यही मूल आपत्ति है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय समूची स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे और इन अध्यादेशों द्वारा उत्पन्न विभिन्न त्रुटियों और असंतुलनों को ठीक करेंगे।.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morina): Let theae be quorum.

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है। वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : या तो इस विधेयक को ठीक ढंग से समझा नहीं गया है या जान-बूझ कर गलत समझा गया है। इस विधेयक का उद्देश्य लाभांशों द्वारा वितरित की जाने वाली राशि को बचाया जाये और खपत पर थोड़ी रोक लगायी जाए। इसका यह उद्देश्य नहीं है कि शेयरों को पुन: वितरित किया जाय, एकाधिकार गृहों पर नियंत्रण किया जाये या मुनाफे को कम किया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या इससे मुद्रा-स्फिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में कोई दावा तो नहीं कर रहा परन्तु हम ऐसे कदमों पर विचार कर रहे ह जिनका समय बितने पर प्रभाव पड़ेगा।

हमारे अनुमान के अनुसार इससे एक वर्ष में 60 से 70 करोड़ रुपये तक की बचत होगी खपत पर एक वर्ष में 70 करोड़ रुपये की कमी कोई कम राशि नहीं है।

इस बारे में उन्होंने दुहरी आलोचना की है कि इससे केवल अमीरों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि गरीबों को क्षति पहुंचेगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधवाओं या ऐसे कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, जो केवल शेयरों स प्राप्त होने वाली आमदनी पर ही आश्रित हैं। मुझे उनसे सहानुभूति है, परन्तु कानून बनाते समय इस प्रकार के अपवाद नहीं किये जा सकते।

एक प्रश्न यह पूछा गया कि इस प्रकार प्राप्त धन सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं रखा गया इसके पीछे मुख्य तर्क यह था कि बचाये गये धन का उपयोग नहीं किया जायेगा, बल्कि इससे उत्पादन में वृद्धि की जायगी। अगर विशेष निधि बनाई जाती, तो उस पर अतिरिक्त व्याज देना पड़ता। सरकार एसा करना नहीं चाहती, इसीलिए यह धन कम्पनियों के पास रखा जा रहा है।

श्री मावलंकर ने यह कहा है कि 80 करोड़ रुपये या 70 करोड़ रुपये से उद्योगों में कोई आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता या मशीनों को नहीं बदला जा सकता। अगर वे इस धन का उपयोग नहीं करते, तो हम यह रुख अपना सकते हैं कि वे बैंकों से ऋण के रूप में धन प्राप्त नहीं करेंगे और इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली पर कम दबाव होगा।

श्री एस० एम बनर्जी (कानपुर) : वित्तीय संस्थानों से कपड़ा मिलें या जूट मिलें आदि जो धन प्राप्त करती है, उसका उपयोग कारखानों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए करने के बजाय वे नये कारखाने चालू कर देती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अगर ऐसा होना है, तो वित्तीय संस्थायें गलती कर रहीं हैं। इस मामले में धन कम्पनियों के अधीन रहेगा और वे इसके लिए उत्तदायी होंगी। कम्पनी कम्पनी अधिनियम से नियंत्रित होंगी।

श्री मावलंकर ने प्रबंधकों की आमदनी के बारे में प्रश्न उठाया था। अगर किसी प्रबन्धक के किसी कम्पनी में शेयर हैं और वह व्यक्ति सम्पदा-कर दाता है, तो सम्पदा कर की प्राप्ति में सीमान्त कमी होगी।

श्री जनेश्वर मिश्र ने यह कहा कि खण्ड 7 में अपवाद रखा गया है और सरकार इस अपवाद का मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर सकती है। भेदभाव करने का कोई प्रश्न हीं नहीं है। कुछ वास्तविक रूप में ऐसे सही मामले हो सकत हैं, जिनमें छूट देनी पड़ सकती है, जैसे कम्पनी के कर्मचारियों के पास शेयर हो सकते हैं, जिन्हें ऋण देना पड़ता है या कोई कम्पनी अपना काम बन्द करना चाहती अथवा अपने काम को घटाना चाहती है। ऐसे मामलों के लिये अपवाद रखना ही पड़ेगा। कुछ है माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह विधेयक सहकारी समितियों पर लागू नहीं होना चाहिये । यह विधयक केवल कम्पनियों पर लागू होता है, सहकारी समितियों पर नहीं।

श्री नायक ने यह कहा कि कुछ कम्पनियों को विधेयक के अधीन रखा गया है और कुछ को छोड़ दिया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 104 के अधीन आने वाली कम्पनियों को इस विधेयक से छूट दे दी गई है, क्योंकि उन्हें अपनी वितरण योग्य आय में से कुछ निश्चित प्रतिशत आय को वितरित करना होता है, अन्यथा उन्हें अतिरिक्त आयकर देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

श्री राम रतन शर्मा ने कहा कि ब्याज की दर 11 प्रतिशत हो जाने के कारण धनी लोगों को ुछ छूट दी जानी चाहिये। नई कम्पनियों को कोई घाटा होने का सवाल हीं नहीं है। क्योंकि नई म्पनी पहले दो साल तो किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा करेंगी ही नहीं। इसलिय नये पूंजी नवेश के लिये यह विधेयक बाधक सिद्ध नहीं होगा।

Shri R.R. Sharma (Banda) : I have listened to the speeches of the Honourable finance Minister and the Honourable Members very attentively.

(श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए)

Shri D.C. Goswami, in the Chair

The Honourable Minister has said that guide lines would be formed about the saving clause. Generally, undue advantage is taken by the Administration of the saving clause. I, therefore, request that the saving clause be deleted. Large amount of arrears of income tax should be realised.

Black money is one of the main reasons for inflation and only traders cannot be blamed for checking the growth of black money. I had urged that all the Ministers, Prime Minister and all M.P.s should furnish the details of their property. All these persons should close their property before contesting the elections and this should start first with the Ministers in the Cabinet.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री चव्हाण का भाषण आज बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। यह सच है कि अगर यह धन सरकार के खजाने में जमा किया जाता, तो उसकी कहीं अधिक उपयोगिता होगी। पूंजीपति सरकारी धन की ही अदायगी नहीं कर रहे हैं। प्रोविडेन्ट फन्ड का 32 करोड़ रुपये पूंजीपतियों द्वारा जमा नहीं किया गया है। आयकर की 500-600 करोड़ रुपये की धनराशि अभी तक बकाया है। मुझे इस बात में सन्देह है कि इस धन का उपयोग उद्योगों के आधुनिकीकरण अथवा उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों के विस्तार हेतु किया जायेगा। अन्त में यह विधेयक वापिस लेना पड़ेगा।

मन्त्री महोदय ने यह कहा कि गरीब आदमी शेयर नहीं खरीद सकता। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिनके अनुसार सामान्य कर्मचारियों ने एक-एक या दो-दो शेयर खरीद रखे हैं। मैं पूंजीपतियों के उन रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, जिनके पास सैकड़ों की संख्या में शेयर हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वह इस बारे में पुनर्विचार करें कि क्या इस विधेयक को लाना जरूरी ही है। हमें अधिक मात्रा में संसाधन जुटाने चाहिए और विदेशों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। श्रमिकों और व्यापारियों-दोनों का ही सहयोग लेना चाहिए। देश में अधिक उत्पादन होगा तो उत्पादन लागत भी कम होगी और मुद्रा-स्फिति भी कम होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि इसकी कम उपयोगिता है।

सभापति महोदय द्वारा सांविधिक संकल्प संख्या 12 और 13 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The Statutory Resolution No. 12 and 13 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में, कतिपय कम्पनियों के लाभों में से लाभांश घोषित करने की शक्ति पर अस्थायी निबन्धों के लिये और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

श्री राम रतन शर्मा : मैं अपने संशोधन सं० 1,2,3 प्रस्तुत करता हूं।

It is a conspiracy to loot poor and common people on the name of inflation. Common man who has invested his whole money in shares after his retirement would be much affected by it. I therefore request that my amendments may please be accepted and the clause amended accordingly.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा। एक ओर तो ये लोग गरीबों की बातें कर रहे हैं और दूसरी ओर लाभांश की दर को 12% से 20% तक बढ़ाना चाहते हैं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3 से 16, खंड 1, विनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 3 to 16, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

Statutory Resolution Re. Disapproval of the essential commodities (Amendment) Ordinance, 1974 and Essential Commodities (Amendment) Bill

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : I beg to move :

"This House disapproves of the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 2 of 1974) promulgated by the President on the 22nd June, 1974."

The tendency to take recourse to ordinances is on the increase. There may be certain matters in which it is absolutely necessary to issue ordinances but this particular ordinance was not at all necessary.

The Ministers statement in the Rajya Sabha does not show its desirability It has not been stated why it was not possible to wait for the Parliament to meet. This aspect should be clarified.

The laws are enacted by the Parliament but these are not implemented by the Government. The original Essential Commodities Act was passed in 1955. with the aim of providing essential commodities at fair prices. But has this object been achieved ? In the circumstances it can not be said that the new powers would help achieving the objects. A Floor Mill was saided in Delhi in February 1973 but the case has not been decided so far.

Delhi Administration conducted a deboarding drive. But this drive has proved a force. Because the Administration has ordered the withdrawal of cases in spite of the police objections. This attitude is not understandable. In these circumstances these ordinances are not going to be of any use.

There is a list of Essential commodities in the Bill. This list does not include items which are used by farmers. Items such as Fertilizers, Diesel 5 Horse Power Pumping Sets etc. should be included in this list. Similarly items necessary for the setting up of small Industries should also be included in the list.

So far as prices of Essential Commodities are concerned before blaming traders and black-marketeers we have to see how far the Government is responsible for this. Setting up of Food Corporation and Super Bazar has not helped in bringing down the prices. Private traders used to charge Rs. 3·75 per quintal as handling charges for food-grains but Food Corporation started charging Rs. 25 then private traders raised their charges to Rs. 30 per quintal. 'Varalakshmi' cotton seed in great demand in Karnataka. Its price is Rs. 450 per Kg. but Government itself is selling it at Rs. 600 per kg. So in a way the Government itself is responsible for this price rise.

The Government allowed Vanaspati manufacturers to raise their prices a number of times. Similarly prices of Sugar and Cloth have also been allowed to be raised. Wrong policies of the Government are responsible for price rise.

I am not against the objections of this Bill. But my objection is that Laws are not effectively implemented. People have to face difficulties due to wrong policies of the Government.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप म, विचार किया जाये।"

यह विधेयक 1974 के अध्यादेश संख्या 2 का प्रतिस्थापन करने के लिए है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

गलत सूचना देने वाले स्वतंत्रता सेनानी*

Freedom Fighters who supplied False Information**

Shri Ramautar Shastri (Patna) : The Government announced a scheme to give pension to freedom fighters. A number of Freedom Fighters have been sanctioned pension. May I know the total number of freedom fighters who applied for the pension, how many were granted pension and in how many cases the applications have been rejected ? It has come to known that this pension has been sanctioned in such persons who never went to jail during the freedom struggle. Such persons have obtained pensions on the basis of certificates obtained from M.P.'s legislators etc. thousands of such cases from Bihar are known to me. A number of such persons were even born after the freedom struggle.

I had given a list of 40 persons and out of these there are 8 persons who are getting pension on fake certificates. I had sent this letter in March but in spite of this they have been sanctioned pensions in May and July. Even one approver named Hazari Lal is getting this pension. And now it is said that enquiry is being held. Freedom fighters committee at Patna has been recommended names for grant of pension and their recommendations is being accepted without any enquiry. This should not be so, specially when an objection has been raised. There should be proper enquiry before the grant of pension. The decision on the application which are still under consideration should be expedited. Assistance should also be taken of old freedom fighters in this regard.

*आधे घण्टे की चर्चा

** Half an hour discussion

In reply to my querry about treating categories of movement as equal to participation in freedom struggle it was stated that the matter is being looked into. May I know by what time decision can be expected in this regard ? May I also know what method of enquiry is being adopted by the Government to enquire into such cases which are brought to its notice ? How much time would be taken up in disposing of applications received in 1973 ? What action Government propose to take against those who are found guilty of issuing wrong certificates ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम*) : सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि 175 ऐसे व्यक्तियों को पेंशन दी गई है जो कि वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी नहीं। यह बहुत दु:ख की बात है। एक ओर तो नकली लोगों को पेंशन मिल रही है और दूसरी ओर ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने आई० एन० ए० में युद्ध किया, जो भोपला विद्रोह में सम्मिलित हुए वे जिन्होंने रायल इण्डियन नेवी विद्रोह में भाग लिया परन्तु उन्हें पेंशन नहीं मिल रही।

देश के बंटवारे के समय हजारों लोग हजारों व्यक्ति अपने घर-बार छोड़ कर पश्चिमी पाकिस्तान में रहने के लिए आए। उस समय वे अपना सामान व कागजात आदि साथ नहीं ला सके उनमें सैंकड़ों स्वतंत्रता सेनानी हैं परन्तु कागजात न होने के कारण वे पेंशन का लाभ उठाने के सक्षम नहीं। सरकार को ऐसे लोगों के साथ नरमी बरतनी चाहिए। इसके लिये नियमों में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिये कि वास्तविक स्वतंत्रता सनानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित न रहें।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन नकली 175 नकली स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है उनमें से कितनों के नामों की सिफारिश कांग्रेसी मंत्रियों, संसद सदस्यों एवं विधायकों ने की थी। इन में से कितने व्यक्तियों ने पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि वापस कर दी है? जिन वर्गों के व्यक्तियों को पेंशन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है उनके मामले में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा

श्री निबालकर (कोल्हापुर) : स्वतंत्रता सेनानियों को यह सिद्ध करने में कि वे वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी हैं बहुत कठिनाई हो रही है। वास्तव मामलों में भी पेंशन स्वीकृत में सरकार बहुत विलम्ब कर रही है। मामलों की जांच पड़ताल के दौरान ही अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई है। मैं ऐसे मामले जानता हूं जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अन्याय किया गया है। इनके साथ न्याय किया जाना चाहिये और उन्हें पशन देने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालय में विचाराधीन थे उनके लिये यह सिद्ध करना कठिन हो रहा है कि उनके मामले विचाराधीन थे क्योंकि सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। क्या सरकार एसे मामलों में संसद सदस्यों अथवा विधायकों द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्रों को स्वीकार करेगी ?

---

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

भूमिगत रहकर काम करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी न्याय किया जाना चाहिए। वे लोग अपने मामले सिद्ध नहीं कर सकते। इस बारे में मैं पूना के सर्वश्री लालजी कुलकर्णी और साल्वे के उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं ऐसे मामलों की जांच पड़ताल के लिये सरकार ऐसे संसद सदस्यों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, एक समिति नियुक्त करे।

यह मामला उठाने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि जो लोग पेंशन पाने के हकदार हैं उनको अविलम्ब पेंशन दी जानी चाहिए।

मेरा अनुरोध यह भी है कि यदि कोई संसद सदस्य किसी व्यक्ति गत मामले के बारे में आप को लिखे तो आप उसका तुरन्त उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : हमें पता लगा है कि अनेक वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों पर या तो विचार ही नहीं किया गया है और यदि विचार किया भी गया है तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। परन्तु दूसरी ओर ऐसे अनेक लोगों को पेंशन दे दी गई है जिन्होंने कभी जेल देखी भी न थी। जिन लोगों को आजीवन कारावास हुआ था उनके मामलों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मैंने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे में अनेक पत्र लिखे हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं परन्तु जिन्हें पेंशन मिली है। मुझे इन पत्रों का मंत्रालय अथवा मंत्री द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों पर सरकार अथवा सम्बन्धित मंत्री को ध्यान देना चाहिए।

सरकार ने यहां पर घोषणा की थी कि अगस्त 1973 से पूर्व सभी मामलों की जांच-पड़ताल पूरी कर ली जायेगी और वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जायेगी। अभी एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया था कि अगस्त 1974 से पूर्व सभी मामलों को निपटा दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामले अभी विचाराधीन हैं और उनको निपटाने में कितना समय लगेगा ?

एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 175 मामले रद्द किये गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है।

सदस्य द्वारा इस्तीफा

Registration by Member

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने जो असाम के बारपरे चुनाव क्षेत्र से चुने गये थे, लोक सभा में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है मैंने आज अर्थात् 21 अगस्त 1974 से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है।

सदस्य से धन्यवाद पत्र

Letter of thanks from Members

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने अपने पत्र में सभा का धन्यवाद किया है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों के अनुसार इस्तीफे में केवल इतना ही लिखा जाना चाहिए कि सम्बन्धित सदस्य अपना इस्तीफा दे रहा है। इससे अधिक कुछ नहीं लिखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

गलत सूचना देने वाले स्वतंत्रता सेनानी*

Freedom Fighter Who Supplied False Informations**

Smt. Sahadrabai Rai : (Sagar) : Shri Shastri ji has raised discussion in regard to grant of pension to freedom fighters.

Mr. Speaker : You cannot speak on the subject as your name has not come in the ballot

श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए

Shri Dinesh Chander Goswami in the Chair

Shri K.M. Madhukar (Keshwa) : I thank Shri Shastriji for reviving this discussion here. I also appreciate the scheme formulated by the Government. May I know whether discrimination has been made on political grounds in granting pension to freedom fighters ? May I know whether Pension has not been granted even in many genuine cases? May I also know whether Government is thinking of depriving the MPs and MLs of this right of persuing and issuing certificates ? May I further know whether Government is going to change the definition of Freedom Fighter so that cases mentioned by shri Shastriji may be included in that. I may also like to know the number of persons who have received 'Tamar Patra'. May I know whether Government have in some cases paid three hundred Rupees as pension ? I want to know this reason therefor.

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्पय) : मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं।

---

*आधे घंण्टे की चर्चा

**Half an hour Discussion.

सभापति महोदय : नियमों के अन्तर्गत केवल चार सदस्य ही प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं किसी का नाम शामिल नहीं कर सकता।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैंने श्री शास्त्री जी के 7 अगस्त के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 175 मामलों में पेंशन रोक दी गई है। श्री शास्त्री जी ने उन संसद सदस्यों, विधायकों आदि के नाम पत्ते भी पूछे थे जिनके प्रमाणपत्रों के आधार पर ऐसे लोग पेंशन पान में सफल हुये और उन्होंने सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में भी पूछा था। मैंने उत्तर में कहा था कि सभी मामलों में नाम अथवा पते बताना सम्भव नहीं है। मैंने यह भी कहा था कि यदि किसी मामले में यह पाया गया कि पेंशन गलती से दी गई है तो पेंशन बन्द कर दी जायेगी दी गई पेंशन की वसूली मामले विशेष के गुणांदोष पर निर्भर करेगी। यह आधे घण्टे की चर्चा उसी को लेकर उठाई गई है।

14 अगस्त 1974 को स्थिति यह थी कि 195104 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे और आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 31–3–74 थी। इस तारीख के पश्चात् 9243 आवेदनपत्र प्राप्त हुये। इनमें से 86162 मामलों में पेंशन मंजूर की जा चुकी है। 38629 आवेदन-पत्र रद्द किये गए हैं। कुल 149523 आवेदन-पत्रों को निपटाया जा चुका है। 54824 आवेदन पत्रों पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है। इनमें से या अधिकांश मामलों की जांच-पड़ताल कई बार की जा चुकी है। अनेक मामले साक्ष्य न होने अथवा उन पर राज्य सरकार की सिफारिश न होने के कारण लम्बित हैं। यदि प्रमाण पूरे होते तो यह मामले भी अब तक निपटाये जा चुके होते। जो आवेदन-पत्र 31–3–74 के पश्चात् प्राप्त हुये थे उनकी जांच पड़ताल अभी की जानी है। उन पर तभी विचार किया जायेगा यदि उनमें देर से आवेदन-पत्र देने के ठोस कारण दिये गए होंगे।

श्री शास्त्री जी ने लगभग 30 मामलों की शिकायत की है। समूचे देश में 426 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1974 तक लगभग 156 मामलों में पेंशन स्थगित की गई है। 24 मामले निपटाये गए हैं। इन में से 21 मामलों में प्राप्त शिकायतों को निराधार पाया गया है। 2 मामलों में पेंशन बन्द कर दी गई है क्योंकि शिकायतों को ठीक पाया गया है। एक मामले में पेंशन की स्वीकृति पूर्व ही शिकायत प्राप्त हुई थी। अतः मामले को रद्द कर दिया गया है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि बड़ी मात्रा में प्राप्त आवेदन-पत्र झूठे हैं। यदि किसी मामले विशेष में मामूली सा भी संदेह होता है तो हम उसकी पुष्टि के लिये मामला सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज देते हैं। श्री शास्त्री ने बिहार के स्वतंत्रता सेनानी पेंशन अनुभाग के एक कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की थी। इस मामले को राज्य सरकार को भेज दिया गया है। उसका स्थानान्तरण किया जा रहा है। श्री शास्त्री ने अन्य भी जिन मामलों का हवाला दिया था हमने उन सब की जांच की है। अनेक मामलों में राज्य सरकार की सिफारिश पर ही पेंशन मंजूर की गई है जिस में विशेष व्यक्ति का शास्त्री जी ने नाम लिया है उसको भीपखां पहाड़ी बम केस में चार वर्ष का कारावास हुआ था।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आधे घण्टे की चर्चा में सामान्य सिद्धांन्तों तथा सामान्य समाचारों के बारे में मामला उठाया जा सकता है।

व्यक्तिगत मामलों को यहां नहीं उठाया जा सकता ? अतः माननीय मंत्री को केवल यह आश्वासन देना चाहिए कि सभी व्यक्तिगत मामलों की जांच करायेंगे।

सभापति महोदय : आप ठीक कहते हैं। मैंने कहा है कि वह व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख न करें।

श्री एफ० एच० मोहसिन : कुछ मामलो में तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने आवेदन-पत्र भेजे ही नहीं हैं मैं व्यक्तिगत मामलों में जानकारी नहीं दे सकता मैं माननीय सदस्य को सूची दिखा सकता हूं।

माननीय सदस्य ने उन संसद संदस्यों तथा विधायकों के नाम भी पूछे हैं जिन्होने उपरोक्त मामलों में प्रमाणपत्र जारी किये थे। इन मामलों की संख्या 420 है। अतः इतनी जानकारी देने में बहुत समय लगेगा।

यदि कोई आवेदन-पत्र झूठा सिद्ध होता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। दी गई राशि को वापिस ले लिया जाता है। परन्तु ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संसद सदस्य अथवा विधायक के विरुद्ध हमारा विचार कोई कार्यवाही करने का नहीं है।

हमें 420 शिकायतें प्राप्त हुई थी। केवल दो मामले ही जाली निकाले हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि अधिकांश जाली मामलों में ही पेंशन मंजूर की गई है। यदि कोई वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी है जिसको पेंशत नही मिली है तो उसके मामले पर विचार किया जा सकता है।

श्री हाल्दर ने कहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी उन क्षेत्रों से आये हैं जोकि अब पाकिस्तान अथवा बंगलादेश का भाग बन गये हैं, उनके लिए यह प्रमाणपत्र पेश करना कि वे जेल गये थे, कठिन है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में हम कुछ नम्रता दिखा रहे हैं। ऐसे मामलो में यदि आवेदक अपने किसी संसद सदस्य/भूतपूर्व संसद सदस्य अथवा विधायक से जो उसके साथ कभी जेल में रहा हो प्रमाण ले दे, तो उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। यदि अभी कोई ऐसा मामला है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं।

एक अन्य सदस्य ने कहा है कि राजनैतिक भेदभाव किया जा रहा है। हम इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। यह आरोप निराधार है।

यह सच है कि 'ताम्र-पत्र' देने में कुछ विलम्ब हुआ है। 'ताम्र-पत्र' राज्य सरकारों द्वारा वितरित किये जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गांधी इरविन संधि के कारण जो लोग कारावास की अवधि पूरी होने से पहले ही छोड़ दिये गये थे उन्हें भी पेंशन दी जानी चाहिये। एसे मामलों में यदि किसी विशेष व्यक्ति ने पांच महीने का कारावास भी भुगता है तो उसके मामले पर भी विचार किया जाता है। इस अवधि को और घटाने की मांग की जा रही है। यह सम्भव नहीं है।

यह भी कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों को 300 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें लोग पांच वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रहे हैं और जिन पर अभी अधिक लोग निर्भर करते हैं। अतः प्रत्येक मामले में गुणादोष के आधार पर पेंशम दी गई है।

जहां तक न्यायालय में विचाराधीन मामलों का सम्बन्धहै उन सभी मामलों पर विचार किया गया है जिनमें लोग छः महीने तक जेल में रहे हैं।

जहां तक भूमिगत रह कर काम करने वालों का सम्बन्ध है कुछ न कुछ साक्ष्य अवश्य होना चाहिए। अन्यथा कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि वह भूमिगत रह कर काम कर रहा था।

जो लोग बीमार अथवा बूढ़े हैं उन मामलों में हम यथासम्भव शीघ्र पेंशन मंजूर करते है जो व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्री रामावातार शास्त्री की शंकाएं निराधार हैं।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : इस प्रश्न पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। मेरे माननीय ने अभी कहा कि कुछ मामले निलम्बित हैं। वास्तव में ऐसे मामलों में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। और वे मामले विभिन्न राज्य सरकारों के पास जानकारी प्राप्त करने हेतु ही पड़े हुए हैं। मैं ऐसा पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

जिन मामलों में साक्ष्य पूर्णतया स्पष्ट होता है उनमें पेंशन तुरन्त मंजूर कर दी जाती है। ऐसा अस्थायी रूप से किया जाता है और पुष्टि होने पर इसको पक्का कर दिया जाता है। श्री शास्त्री जी ने जिस मामले का उल्लेख किया था उसे हमने पटना में चेयरमैन श्री हरिनाथ मिश्र को भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि आवेदन-पत्रों की जांच में लगभग 9 महीने का समय लगेगा। अतः यह कहना गलत है कि हम जल्दी में कोई कार्यवाही करते हैं।

शास्त्री जी ने कहा है कि संसद सदस्यों को जिनके द्वारा समर्थित मामले झूठे सिद्ध हैं, दण्ड दिया जाना चाहिए। ऐसा करना मेरे विचार मे, सम्भव नहीं है। शास्त्री जी बार बार उन्हीं मामलों को उठाते है। इस प्रश्न पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। मैं निवेदन करता हूं कि जो सदस्यगण महसूस करते हैं कि वास्तविक मामलों में पेंशन नहीं दी गई है अथवा झूठे मामलों में पेंशन दी गई है। वे मुझ से मिले। मैंने सभी मामलों में पूर्ण जानकारी दूंगा। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस किसी मामले की हमारे पास पूर्ण जानकारी है हम उसमें अनुचित विलम्ब नहीं करेंगे। इस समय हमारे पास केवल वही आवेदन-पत्र लम्बित हैं जिनके बारे में हमारे पास पूर्ण जानकारी हीं है। इस आश्वासन में इस चर्चा को समाप्त समझना चाहिये।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 22 अगस्त, 1974/श्रावण 31, 1896 (शक) के ग्यारह को म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 22nd August 1974/Sravana 31, 1896 (Saka)

M/B(D)9LSS—490—30-1-75—GIPS